(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] पंचम विधान सभा के दसवें सत्र का अठारहवां दिवस [संख्या 11

गुरुवार,
22 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(श्रम, गृह, विद्युत, सहकारी, यातायात, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, चिकित्सा, विकास, शिक्षा, आयुर्वेद, विधि, समाज कल्याण, अकाल सहायता, पुरातत्व, नगर आयोजन, पंचायत, उद्योग, सिंचाई–विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

राजस्थान नहर

251. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी-नगर, जयपुर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर का निर्माण कब आरम्भ हुआ और व कितनी लम्बी नहर कितने मूल्य पर किस वर्ष तक योजनानुसार पूर्ण हो जानी चाहिए थी ?

(2) राजस्थान नहर पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

(3) वर्ष 1975-76 में कितनी राशि इसके किस कार्य के लिए रखी गई है ?

(4) फीडर व मुख्य नहर कितनी बन चुकी है ?

(5) आगामी मुख्य नहर को कितना आगे ले जाने की योजना है ? कृपया वर्षवार विवरण देने का कष्ट करें।

(6) सिंचित क्षेत्र योजना के अनुमान की तुलना में कितना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) राजस्थान नहर का निर्माण कार्य सन् 1958 में प्रारम्भ किया गया था। 1970 के प्रोजेक्ट प्रतिवेदन के अनुसार पहले चरण में राजस्थान फीडर 204 कि.मी. लम्बी तथा राजस्थान नहर 189 कि.मी. लम्बाई में मय वितरक नहरों के 119 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वर्ष 1974-75 तक पूरी होनी थी। योजना का द्वितीय चरण जिसमें 256 कि.मी. मुख्य नहर की लम्बाई तथा वितरक नहरों का निर्माण शामिल है इस प्रतिवेदन के अनुसार 89 करोड़ रुपये की लागत वर्ष 1978-79 तक सम्पूर्ण होने की योजना थी।

(2) नवम्बर 1975 तक राजस्थान नहर पर 127.87 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(3) वर्ष 1975–76 में इस परियोजना के लिए 22.50 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। प्रथम चरण 18 करोड़ रुपये एवं द्वितीय चरण 4.5 करोड़ रुपये है।

(4) फीडर जिसकी पूरी लम्बाई 204 कि.मी. है बन चुकी है। मुख्य नहर 189 कि.मी. लम्बाई में प्रथम चरण में मय लाईनिंग के पूरी बन चुकी है।

(5) मुख्य नहर को जैसलमेर जिले में रामगढ़ तक ले जाने की योजना है। द्वितीय चरण में धनराशि उपलब्ध होने पर वर्षवार निर्माण का प्रस्ताव इस प्रकार है :—

1976–77	13 कि. मी
1977–78	30 कि.मी.
1978–79	60 कि.मी.
1979–80	100 कि.मी.
1980–81	53 कि.मी.
	256 कि.मी.

(6) सिंचित क्षेत्र योजना के अनुमान 28.4 लाख एकड़ की तुलना में पूरा है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि वास्तव में वित्तीय स्वीकृति देरी से मिलने से और राजस्थान नहर निर्माण की जो एजेन्सियां हैं उनको धनराशि नहीं मिलने के कारण इसमें काफी देरी हुई है? एक बात। दूसरी बात आवटन और वास्तविक उपयोग के जो साधन हैं उनके नहीं होने के कारण निर्माण में देरी हो रही है?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, तथ्य यह नहीं है, प्रारम्भ में ही प्रावधान हो जाने में देरी के कारण पूरा नहीं कर पाये, इसलिए देरी हुई बल्कि सही बात यह है कि प्रावधान तो समय पर हो गया किन्तु पैसा समय पर नहीं मिलने से प्रारंभ से ही देरी हुई। स्थिति यह है कि जो प्रावधान होना चाहिए था वह नहीं कर पाये। यह हमने 80–81 तक का प्रोग्राम बताया है बहुत पहले ही। कोई लम्बी डिले भी नहीं हुई है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : बजट में जो प्रावधान किया जाता है वह पूरे एक वर्ष का किया जाता है या नहीं?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, वर्ष के प्रारम्भ में ही पूरे वर्ष के बजट का प्रावधान किया जाता है और कोई विशेष मांग हो तो वह अन्त में भी की जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या इस सम्बन्ध में विदेशों से भी धनराशि के लिए बातचीत की गई है?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है भारत सरकार से है और उस स्तर पर कोई कार्यवाही हो, इसकी पूरी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ईरान से जो बातचीत हुई थी, क्या वह राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है और किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मुझे यह जानकारी मिली है कि सऊदी अरब से कोई पत्र आया है?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इसकी डिटेल्ड के बारे में मैं नहीं जाना चाहता, यह सूचना भारत सरकार से ही सम्बन्धित है और वहीं होगी। हमने विशेष धनराशि की मांग की है उस सम्बन्ध में यह बात चली थी कि रिसोर्सेज कहां से जुटाये जा सकते हैं और एक सुझाव सऊदी अरब का और ईरान का भी था और भी विदेशों में फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनके लिए भी बात चली थी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, क्या इसको राष्ट्रीय नहर घोषित किये जाने का राज्य सरकार का प्रयत्न रहा है और यह नहर जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया रामगढ़ तक ले जाने की योजना है तो कब तक वहां पहुंचेगी और इस पर इसके लिए कितनी राशि व्यय होगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर को एक राष्ट्रीय योजना मानने के लिए कई बार कहा गया है और राज्य सरकार द्वारा भी इसके लिए प्रयत्न किये गये हैं, लेकिन जो हमारी रिक्वेस्ट थी कि इसको प्लान सीलिंग से अलग रखा जाय यह नहीं मानी गई है, यह तथ्य है। रामगढ़ तक ले जाने के लिए इसमें 331 करोड़ रुपया खर्च होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने अपनी पहल करके इस बात का प्रयत्न किया है कि नई राजनैतिक परिस्थितियों में इस नहर की डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से अहमियत बढ़ रही है, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इसे राष्ट्रीय योजना के रूप में मानने और, इसका पैसा केन्द्र से दिलाये जाने के रूप में कोई अप्रोच किया है और यह प्रस्ताव भी किया है कि समाजवादी देशों से इस नहर का निर्माण करवाने के लिए सिवाय विश्व बैंक या ईरान (अमेरिका के) उनके सिवाय किसी समाजवादी देश से इसका फाइनेन्स किया जाय ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान नहर के महत्व का प्रश्न है सीमावर्ती क्षेत्रों तक इसको ले जाने का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष ही इस वर्ष के प्रारम्भ में 18.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, केवल इसी दृष्टि से और आज की परिस्थितियों को देखते हुए और नये आर्थिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इसके पानी का उपयोग हो सके इसके लिए 4 करोड़ का और प्रावधान रखा गया है और अगले वर्ष में भी अगर पैसा मिल गया तो निश्चित रूप से इसके कन्स्ट्रक्शन में गति आयेगी और हम इसको जल्दी ही पूरा कर सकेंगे। हम आशा करते हैं कि 1980-81 तक इसको पूरा कर सकेंगे। जहां तक दूसरे मुल्कों से बात करने का प्रश्न है यह सारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाता है और केन्द्रीय स्तर से ही इसको तय करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न। फर्स्ट फेज में अभी भी बहुत से लैंड लेवलिंग और डिस्ट्रीब्यूटरीज का कार्य शुरू किया है। लैंड लेवलिंग और लाइनिंग आफ डिस्ट्रीब्युटरीज की वजह से कैनाल में अव-

Page No 4

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
रोध पैदा हो गया है, डाइवर्शन पैदा हो गया है। इसका मुख्य कारण क्या है?

श्री हीरालाल देवपुरा : वैसे इस प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है। वर्ल्ड बैंक से इस वक्त जो कुछ भी कार्य चल रहा है लैंड लेवलिंग और लाइनिंग ग्रॉफ डिस्ट्रीब्यूटरीज का मौजूदा जो सिस्टम बना हुआ है उसमें दिक्कत होगी यह प्रश्न किया गया है, मैं निवेदन करूंगा कि लैंड लेवलिंग और वाटर कोर्सेज को इस तरह से किया जा रहा है कि सिंचाई साइन्टीफिक तरीके से हो और जो भी पानी बचे उसका आगे उपयोग हो सके। वाटर कोर्सेज का लेवलिंग करने का इसमें नहीं है। वर्ल्ड बैंक के अन्तर्गत कमान्ड एरिया के डेवलपमेन्ट का काम चल रहा है। काश्तकारों को लोन दिया जा रहा है और विभाग अपनी ओर से काम करवा कर सौंप रहा है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राक फास्फेट के भाव

252. **श्री भुवनेश चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने वर्तमान सत्र 1975–76 में कितने बार रॉक फास्फेट के भावों में कमी की है?

(2) क्या बार बार भावों का कम करना खनिज नीति में बुनियादी गलती का परिचायक है?

(3) रॉक फास्फेट की कमी के कारण राज्य सरकार की प्रस्तावित आय में क्या कमी होगी?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह):
(1) चार बार।

(2) जी नहीं।

(3) रॉक फास्फेट की कमी नहीं है। अतः आय में कमी का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : पहले प्रश्न का क्या जवाब दिया?

श्री जुझारसिंह : चार बार।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : आपने आर्टिफिशियल रेट बता कर बजट के घाटे को संतुलित कर दिया। लेकिन आपकी पॉलिसी फेल हो गयी क्योंकि चार बार आपने प्राइसेज को कम किया। आर्टिफिशियल रेट देने के कारण आपका माल बिका नहीं या कोई विशेष खरीददार आये थे इसलिए आपको भाव कम करने पड़े? आपने किस कारण से आर्टिफिशियल रेट रखी?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : आप एप्रोप्रियेशन बिल पर बोल लीजियेगा।

श्री जुझारसिंह : जो इन्टरनेशनल रेट्स होती हैं उन्हीं से हम गाइड होते हैं। जितना रॉक फास्फेट खनिज किया जा रहा है और ज्यों ज्यों इन्टरनेशनल मार्केट में रेट्स बढ़ीं हमने भी अपनी रेट्स बढ़ायीं। इसलिये आर्टिफिशियेलिटी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना पड़ता है मार्केट रेट्स को देख कर।

Page No 5

(5)

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : क्या आपने केन्द्रीय सरकार को अनुरोध किया कि आप रॉकफास्फेट का इम्पोर्ट न करें और किस कारण से आप केन्द्रीय सरकार को कन्वीन्स नहीं कर पाये ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करें कि राजस्थान क्षेत्र के रॉक फास्फेट से हिन्दुस्तान में कहीं पर भी कम्पीटिशन नहीं था तो फिर रेट कम करने के क्या कारण थे ? आप सप्लायर हैं तो कम करने का क्या कारण था ?

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान गवर्नमेंट ने एमीनिटीज कम नहीं की हैं। आप सप्लायर हैं तो किस कारण से प्राइस कम की इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि रॉक फास्फेट खाद बनाने के काम में आता है। किसान को सही रूप से कम कीमत में खाद उपलब्ध कर सकें यह भी एक प्रश्न है। इसमें कल्टीवेटर्स का इन्ट्रेस्ट इन्वॉल्व होता है। गेहूं के भाव कम होते जायं और फर्टीलाइजर मंहगा पड़ता जाय तो काम नहीं चल सकता। रॉक फास्फेट की कीमत हाई होगी तो फर्टीलाइजर की कीमत भी ज्यादा हाई होगी। वह भी प्रश्न सामने रखना पड़ता है। तीसरी बात प्राइस के लिये बात कही। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब से प्राइस इसकी कम हुई है इसकी सेल बढ़ती जा रही है बराबर। इनकम भी बढ़ी है उससे।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : क्या केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि रॉक फास्फेट का इम्पोर्ट न किया जाय ? राज्य सरकार केन्द्र को कन्वीन्स नहीं कर सकी इस कारण फर्टीलाइजर की रेट कम कर दी ?

श्री जुझारसिंह : पिछले साल इम्पोर्ट हुआ है वह कम हुआ है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : क्या यह सही है कि मद्रास राज्य में रॉक फास्फेट बेचना चाहते थे, टर्म्स तय हो गयीं, फिर किन कारणों से, अज्ञात कारणों से, वह टर्म्स फेल हो गयीं ? मद्रास में सेल करने का प्रपोजल था। स्टेट गवर्नमेंट और मद्रास के व्यापारियों से चर्चा भी चली।

श्री जुझारसिंह : मद्रास के पर्चेजर ही ले रहे हैं। लॉंग डिस्टेन्स के जो पर्चेजर हैं उनको स्पेशल कन्सेशन दिया है इसके कारण सेल पिक अप भी हुई है। यह चूंकि ऐसा प्रश्न है, आपके सेटिस्फेक्शन के लिये बता दूं कि फर्स्ट क्वार्टर में 25,207 टन बिका। दूसरे क्वार्टर में···

श्री अध्यक्ष : यह आप इनसे ले लें।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : डिटेल्स आ जाये।

श्री जुझारसिंह : दूसरे क्वार्टर में 64,000 टन का सेल हुआ, थर्ड क्वार्टर में दिसम्बर तक तीन महीने में 90 हजार टन सेल हुआ। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि जहां पहले एक क्वार्टर में 25 हजार टन का सेल हुआ था वहां तीसरे क्वार्टर में 90 हजार टन का सेल हुआ है। राज्य सरकार को बेनिफिट मिला है। नुकसान नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री ओंकारलाल चौहान (हग) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि रॉक-फास्फेट की कीमत कम करने से फर्टीलाइजर पर असर हुआ है यह बताया तो कितना असर पड़ा है और कमी क्या हुई है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : आज भी इम्पोर्ट होकर जो मैटिरियल आ रहा है उसके मुकाबले हमारी कीमत कम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह क्रूशियल क्वेश्चन है। आपने फरमाया कि इन्टरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएशन है रेट्स में इससे हमारा मार्केट गाइड होना है। इन्टरनेशनल प्राइसेज कट हुई हैं और आपने भी अपनी प्राइसेज कम की हैं उन फीगर्स को जस्टिफाई करने के लिये बतायें और फिर हम बतायें कि ये सही नहीं हैं। फॉरेन इन्ट्रेस्ट काम कर रहा है जिन्होंने कान्ट्रेक्ट कर रखे हैं उनको तोड़ना नहीं चाहते हैं। फॉरेन कम्पनीज से कान्ट्रेक्ट टूटे तब सेल हो। इसलिये आप कम्पेरेटिव फीगर्स दें तब ही काम चल सकता है।

श्री जुझारसिंह : जहां तक हमारी स्टेट के इन्ट्रेस्ट का प्रश्न है बहुत ज्यादा स्टाक एक्यूमुलेट हो रहा था, बिक्री नहीं हो रही थी, ज्यादा एक्यूमुलेशन होने के कारण माल बेच सकें यह इन्ट्रेस्ट था। वह तब ही बिक सकता था जब पर्चेज करने वाले लोग लें। जिस प्राइस पर खपत हो सके उस पर ही बे ले सकते हैं। इन्टरनेशनल प्राइसेज यहां के मुकाबले में ज्यादा थीं और अब भी ज्यादा हैं। वे बराबर कम करते जा रहे हैं इसी अनुपात में यहां पर भी कम किया है। उदयपुर से डेस्टिनेशन तक की प्राइसेज और दूसरी कॉस्ट लगाते हैं तो उस सब को जोड़ने पर पोर्ट पर डाइरेक्ट माल मिल रहा है उसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आंकड़ों से बताइये। रेट कैसे हाई पड़ती है ? हम कहते हैं, नहीं पड़ती है।

श्री जुझारसिंह : जो कन्वर्शन एफिशियेन्सी है, जो कन्वर्ट किया जाता है फर्टीलाइजर में, इसकी 75 पर्सेन्ट है जब कि बाहर से आने वाले माल की 90 पर्सेन्ट है। उनकी कन्वर्शन एफिशियेन्सी बेटर है। दूसरा, इसकी क्वालिटी 30 पर्सेन्ट है और उसकी 32 पर्सेन्ट है। उनकी क्वालिटी भी सुपीरियर है। कन्वर्शन रेश्यो बेटर है। उसका और इसका कन्ज्युमर इन सब बातों का ध्यान रखता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कन्वर्शन रेश्यो को मानते हुए भी क्वालिटी है उससे वे प्राइसेज ज्यादा लेते हैं या नहीं, यह फैक्ट है या नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। सदन को अवगत कराने के बजाय उनके केस को आप प्लीड कर रहे हैं कि क्वालिटी इस प्रकार है। वी वान्ट फीगर्स कि इन्टरनेशनल मार्केट में ये फीगर्स थे और आज ये हैं।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : कितना स्टाक आज रॉक फास्फेट का जमा है ? दूसरी बात क्या रॉक फास्फेट की क्वालिटी शुरू में जितनी पर्सेन्टेज की कन्वर्शन क्वालिटी के हिसाब से थी उसमें डिटेरिओरेशन आया है ? क्या कारण है?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या फर्टीलाइजर एसोसिएशन ग्राफ इंडिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि ग्रापका रॉक फास्फेट किसी हालत में ग्रायातित रॉक फास्फेट से कम नहीं है ? दूसरे, क्या यह सही है कि फर्टीलाइजर एसोसिएशन ग्राफ इंडिया ने ग्रपनी पिछली कान्फ्रेन्स में इस बात को ग्रज किया है कि जितना माल उन्होंने राजस्थान से मांगा, उतना उनको प्राप्त नहीं हो सका ?

तीसरे, क्या यह सही है कि जो फास्फेट ग्रौर सुपर–फास्फेट पर्चेजर्स होते हैं, ग्रापके जो रेट्स हैं उन्होंने उन पर कोई इम्पेक्ट कास्ट नहीं किया है क्योंकि वे मोस्टली ग्रायातित फास्फेट से ग्रट्रेक्ट होते हैं ? बल्कि ग्रापका फास्फेट केवल स्टाक के रूप में क्रिएट कर रखा है ?

श्री जुझारसिंह : प्राइस राज्य सरकार पर इतनी निर्भर नहीं करती है, जितनी प्राइस कम हुई है उसके बाद में उनका इन्सिस्टेंस था, उनके डाइरेक्शन्स से हम काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार ने ग्रपने हितों को ध्यान में रखते हुए जितना ग्रावश्यक था उतनी ही प्राइस कम की है। दूसरी बात जनवरी, 1974 से पहले हमारी प्राइस 150) रु. थी, जनवरी 1974 में 300), फरवरी में 400), मार्च में 550) रु. थी। जिस तरह से प्राइसेज ने जम्प किया है उसके मुकाबले में हमने प्रेक्टीकल व्यू लेकर जैसे जैसे उन्होंने इन्टीमेट किया है, हमने कम किया है।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : मंत्रीजी ने बहुत ही डेमेजिंग स्टेटमेन्ट दिया है। राजस्थान राज्य की तरफ से मुख्य मंत्री ने पहले स्टेंड लिया था कि हमारा फास्फेट ग्रच्छा होते हुए भी नेशनल इन्ट्रेस्ट्स का ध्यान न रखकर हमारे माल की मांग नहीं की जा रही है। भारत सरकार को यही कहकर एप्रोच किया था कि विदेशों से न खरीदा जाए, हमारा फास्फेट खरीदा जाय। दिक्कत यह बताई गई थी कि ट्रांसपोर्ट बोटलनेक की वजह से पहुंच नहीं पाता इसलिए ट्रांसपोर्ट सुविधा ज्यादा मिले। ग्राप उनकी तरफ से वह दलील स्वीकार कर रहे हैं ग्रौर राज्य सरकार की तरफ से ग्रारोप लगाया था कि हमारे यहां से नहीं खरीद रहे हैं बावजूद हमारी क्वालिटी ठीक होने से, उसको ग्राप डिमॉलिश कर रहे हैं। इसी प्रकार ग्राप राज्य के हितों को ज्योपर्डाइज कर रहे हैं भविष्य के लिए।

श्री जुझार सिंह : ग्राप तोड़ मरोड़ रहे हैं। हमने इन्सिस्ट किया है कि ग्रायात कम किया जाय, हमारे इन्सिस्टेंस पर ग्रायात कम किया है। पहले स्टाक्ड मैटीरियल था, लेकिन जब भारत सरकार ने स्वीकार किया कि ग्रायात कम किया जाएगा, तो हमारे कहने से कम हुग्रा है। इसलिए हम ग्रपने हितों को ग्रच्छी तरह से वाच कर रहे हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

भूतपूर्व राजाओं की चल व ग्रचल सम्पत्ति

253. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : व **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के भूतपूर्व राजाग्रों की गुप्त ग्रौर प्रकट सम्पत्ति का पूर्ण ग्रनुमान

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
क्या राज्य सरकार द्वारा लगाया गया है ? अगर हां, तो आज तक की चल और अचल सम्पत्ति की पूर्ण सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) आज तक कितने भूतपूर्व राजाओं की कितने मूल्य की चल व अचल सम्पत्ति को अधिग्रहण किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य के किन किन भूतपूर्व राजाओं की चल व अचल सम्पत्ति सरकार और अधिग्रहण करने का इरादा रखती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : इसमें राजा महाराजाओं की प्रकट और छिपी हुई सम्पत्ति तथा साथ में चल व अचल सम्पत्ति का ब्योरा मांगा गया है। क्योंकि इसका सम्बन्ध जी.ए.डी. से था उनको रेफर किया गया है और शायद उन्होंने इसको स्थगित करने के लिए दरख्वास्त दी है और मैं भी स्थगन के लिए निवेदन करता हूं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : सूची मुझे प्राप्त नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

श्री मीठालाल मीणा : इनका सम्बन्ध नहीं है तो फिर स्थगन के लिए क्यों कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित मंत्री अपनी टर्न पर जवाब देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भूमि का संबंध तो राजस्व विभाग से है। इसमें चल व अचल सम्पत्ति पूछा गया है। कम से कम राजस्व विभाग तो अपनी सूचना दे देता।

श्री अध्यक्ष : इसमें सभी प्रकार की सम्पत्ति है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : बजट सत्र में जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : श्री करनसिंह।

औद्योगिक बस्ती भरतपुर में पीने के पानी की व्यवस्था

254. **श्री करनसिंह** (डीग): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि भरतपुर औद्योगिक बस्ती में मजदूरों को पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं है ? यदि हां तो कब तक पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जावेगी ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): जी नहीं, वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र में कुल लगभग 1 लाख गैलन पानी प्रति दिन वितरण किया जा रहा है।

श्री करन सिंह : वहां पानी की आवश्यकता कितनी है ?

श्री चंदनमल बैद : बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है। इसलिए उद्योग विभाग व आर.आई.एम.डी.सी. 1,68,500) डिपोजिट के रूप में देने को तैयार हैं ताकि हम स्कीम बना दें। उद्योग विभाग ने 1.20 लाख और औद्योगिक निगम ने 5 लाख रु. डिपोजिट दे दी है। यह स्कीम 25-8-75

Page No 9

(9)

(श्री चन्दनमल बैद)

को मंजूर की गई है, काम शुरू किया गया है और पैसा यदि बराबर दोनों विभागों की तरफ से मिलता रहा तो स्कीम जल्दी पूरी की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) : मेरे पास ऑथोरिटी है पूछने की, वह मैंने पेश कर दी है। मुझे लिख कर दे गए हैं।

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिए।

255. श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल [श्री राजेन्द्र सिंह (डनिवारा) की अनुपस्थिति में]: क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर नगर स्थित नाहरी का नाका बस्ती में कितने भूखंडों का गत माह केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा वितरण किया गया ?

(2) क्या सभी भूखंडों का कब्जा एवं पट्टा न्यास द्वारा दे दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बस्ती में लोगों को पट्टे देने के पश्चात् वापिस ले लिए गए ? यदि हां, तो वापिस लेने के क्या कारण हैं ?

नगर आयोजना मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) दिनांक 6-12-75 को 707 भूखंडों के आवंटन पत्र वितरित करवाए गए।

(2) जी नहीं।

(3) पट्टे क्योंकि सामूहिक रूप से समितियों के प्रतिनिधियों को दिए गए थे अतः इनमें व्यक्ति विशेष के नाम व पते के अनुसार आवंटित भूखंड का नम्बर अंकित करना था। और क्योंकि पक्की सड़क, जो बनाई जा रही है उसके अनुसार भूखंडों के नंबर को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है अतः वह नंबर व विवरण व्यक्ति विशेष के पट्टे में दिया जाना है। अतः ये पट्टे नम्बर व विवरण देने के लिए वापिस लिए गए थे जो कि शीघ्र ही वितरण कर इन्हें दिया जायगा। पट्टे इन्हें पहले देने का अर्थ है कि उनका उक्त क्षेत्र में दिए गए क्षेत्रफल पर पट्टे का हक मान लिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये जो आज राष्ट्रपति द्वारा पट्टे दिए जा रहे हैं नाहरी का नाका में ये वही पट्टे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : आज जो पट्टे दिए जा रहे हैं, वह ये पट्टे नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा आज बांटे गए पट्टे वापिस नहीं लिए जायेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : वापिस तो ये भी नहीं लिए गए हैं लेकिन आज वाले पट्टों में भी यदि आवश्यक हुआ, उनके नाम वगैरह अंकित करना जरूरी हुआ; तो यह तो उनके हित में है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अच्छी तरह से अंकित करके बांटिए।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

जालोर जिले में संकर बाजरे की फसल में अरगट की बीमारी

256. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि जालोर जिले में इस वर्ष सावण बाजरे की फसल में अरगट की भयंकर बीमारी फैल गई थी ? अगर हां, तो यह बीमारी क्या है ? तहसीलवार जिले में इस बीमारी से कितनी फसल प्रभावित हुई थी ? तहसीलवार क्षेत्रफल निकाल कर सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि कृषि विभाग द्वारा उक्त बीमारी को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कब क्या क्या कार्यवाही की गई एवं उसका नतीजा क्या रहा ? एवं भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त बीमारी लगी फसल को अलग करवाकर नष्ट करवाने की भी विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई ? अगर हां, तो क्यों ? नहीं तो कहां कहां कब कब क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सत्य है कि सरकारी संकर बाजरे के बीज को जिन जिन काश्तकारों ने बोया था, उसमें विशेषकर अरगट की बीमारी लगी हुई थी एवं देशी बाजरे के बीज में अरगट रोग नहीं लगा था ? अगर हां, तो ऐसा खराब बीज क्यों सप्लाई किया गया था ? इस बारे में अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर)

(1) जी हां । जालोर जिले में अरगट रोग का प्रभाव देशी बाजरे में 10 से 15 प्रतिशत हुआ है । अरगट एक फफूंद की बीमारी है जो सिट्टे पर लगती है । तहसीलवार प्रभावित क्षेत्रफल की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । कृषि विभाग द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के लिये फसल की बुआई से कटाई तक लगातार प्रयास किये गये हैं । फसल पर रोग के लक्षण दिखलाई देने पर फफूंद नाशक औषधियों का छिड़काव व फसल कटने के पश्चात् बीजों को नमक के घोल से उपचार के लिये विभाग द्वारा रेडियो पर प्रसारण द्वारा बार बार प्रचार किया गया तथा समाचार पत्रों द्वारा सूचना प्रसारण की गई । उपचार कार्य को अधिक कारगर करवाने के लिये राज्य स्तर से भी जिलाधीशों को आवश्यक निर्देश दिये गये । भविष्य में भी रोग नियन्त्रण के बारे में विभाग के प्रयास जारी रहेंगे ।

(3) जी नहीं । रोग नियंत्रण हेतु रोग ग्रसित सिट्टों को जलाकर तथा खड़ी हुई फसलों पर फफूंद नाशक दवा छिड़क कर तथा फसल कटने के बाद बीजों को नमक के घोल से उपचारित करवाने के प्रयास विभाग द्वारा किये गये हैं ।

(4) जी नहीं । अरगट की बीमारी संकर बाजरे तथा देशी बाजरे में बराबर लगी है । बीज खराब नहीं था । अरगट की रोकथाम के लिये कृषकों को सजग कर दिया गया था तथा भविष्य के लिये भी प्रयास किया जा रहा है ।

Page No 11

(11)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूचना विभाग के आधार पर दी है, इसको मैं चेलेन्ज करता हूं । अध्यक्ष महोदय जालोर जिले में दूसरे जिलों की तो मैं कह नहीं सकता हूं 23 हजार 770 करीब डेढ़ लाख बीघा में यह रोग फैला हुआ है । इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि कितने काश्तकारों को नुकसान हुआ है । क्या यह रोग लगा तब सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । आपने कहा देशी बाजरे में तो लगा नहीं है जो संकर बाजरा थैलियों में वितरित किया गया है उसमें लगा है । यह रोग झुंझुनूं जिले में भी एक दो साल पहले लगा था, इस बाजरे में क्या स्टेप्स लिये । क्या यह सत्य है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इस बीमारी के बारे में आज तक रिसर्च करके काश्तकारों को कोई इन्स्ट्रक्शन्स नहीं दी है । ऐसी हालत में किस आधार पर संकर बाजरा वितरित करते हैं । सारा बाजरा नष्ट हो गया और जैसा बताया कि नमक के घोल से हो गया है, यह बिलकुल गलत है जो थोड़ा बहुत बाजरा बचा है उसको खाने से लोग बीमार हो जाते हैं ? मर जाते हैं । राज्य सरकार ने मेडिकल एग्जामिनेशन करके जो इफेक्टेड बाजरा था उसको अलग क्यों नहीं करवाया । यह पाईजनिस बीमारी है और माननीय मंत्री महोदय सिर हिला रहे हैं इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं परन्तु मैं उनको निमंत्रण देता हूं कि वे मेरे क्षेत्र में आयें और देखें लोगों की क्या हालत हो गई है । मुझे समझ में नहीं आता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है आप उसको मंजूर करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं और उनके खिलाफ कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं । कितने काश्तकारों को नुकसान हुआ है, इसके लिये उन्होंने कुछ नहीं कहा । मंत्री महोदय जो सूचना दे रहे हैं बिलकुल असत्य है, आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिलकुल सोता रहा है और भविष्य में तो कम से कम सचेत रहे और इस बारे में रिसर्च करके कोई इलाज निकालकर समस्या का समाधान करें वरना यह थैली का वितरण बन्द कर दें ।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस प्रश्न के सम्बन्ध में कहा है बिलकुल सही है । इस बीमारी को न तो कोई रोकथाम की गई और न काश्तकारों को सूचित किया गया । मैं समझता हूं सारा का सारा डिपार्टमेंट का ढांचा जो जिले के स्तर पर है, निष्क्रिय बैठा रहा इसलिये मेरा निवेदन है डिपार्टमेंट को आने वाले समय के लिये कम से कम सचेत रहना चाहिये और अपने काश्तकारों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिये । इसलिये मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी करने के बाद कहीं न कहीं, किसी न किसी लेवल पर रेसपान्सबिलिटी फिक्स करें · ·

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री रघुनाथ विश्नोई : रूबरू एन्क्वायरी करें ।

श्री भगराज चौधरी : इसलिए मैं चाहता हूं रेसपॉन्सबिलिटी फिक्स की जाय और खाद्य मंत्री जी का यह कहना कि फलां बीमारी से रोग हो जाता है · ·

Page No 12

(12)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो कागजी कार्यवाही है . . .

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नुकसान हुआ है, अध्यक्ष महोदय, यह केवल जालौर का ही प्रश्न नहीं है, सारे राजस्थान में जहां वहां यह थैली का बीज वितरित किया गया है, उसमें रोग लगा है . . (व्यवधान) और उसके बारे में केवल उपचार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट ने सप्लाई किया है इसलिए मंत्री महोदय घोषणा करें . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप पूरी जानकारी लीजिये . . .

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय . . .

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न . . .

श्री अध्यक्ष : आप दोनों पूछ लें।

श्री दीपंकर : आप दोनों खड़े रहें, मुझे पूछ लेने दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे किस बीज के जरिये यह बीमारी आती है ? एक और क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि संकर बाजरे में ही यह रोग लगा है। नम्बर तीन—अगर ये दोनों जानकारी मंत्री महोदय को और विभाग को हैं तो संकर बाजरे के वितरण से पहले इस बात के प्रिकॉशन क्यों नहीं लिये गये—अरगट जैसी भयंकर बीमारी जिससे लोगों की जान चली जाती है और भयंकर बीमारियां लग जाती हैं तो आपके विभाग ने प्रिकॉशन क्यों नहीं लिए। स्वयं गंगानगर में अरगट की बीमारी इस संकर बाजरे के खाने से हुई है और भयंकर बीमारियां हुई हैं जैसे आन्त्रशोथ और कुछ लोगों की तो मृत्यु हो गई है तो। आपके विभाग ने क्यों नहीं स्ट्रिक्टली इसको टेक-अप किया इसलिए यह लायबिलिटी आप उन पर ही इम्पोज करेंगे।

श्री दीपंकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो बीज वितरण किया गया है कौनसे किस्म का वितरण किया गया है और ऐसी क्या वजह हो गई कि इतनी भयंकर बीमारियां इससे हुई हैं और यह बीज कब से आपके पास पड़ा था और कितने लोगों की इसके खाने से मृत्यु हो गई . . .

श्री अध्यक्ष : (माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर) अब माननीय मंत्री महोदय का जवाब सुन लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इनके पास जैसा है, वैसा ही तो जवाब देना है। He is not taking seriously.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने और रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसे कहा। मेरे क्षेत्र में भी इस प्रकार की जो अरगट की बीमारी होने से बहुत ही फसलों को नुकसान हुआ है और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपका रेसपान्सिबिल है, उन आफिसर्स के खिलाफ क्या कदम उठाने के लिये जा रहे हैं ? मेरा निवेदन है असेम्बली की समिति बैठाकर क्यों नहीं इसकी जांच कराई जाती है ? जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देश के प्रोडक्शन में रुकावट डाल रहा

Page No 13

(13)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
है उसके खिलाफ क्यों नहीं सख्त एक्शन लिया जाय ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, अरगट रोग की बात सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही लेकिन यह सही है सांचौर, जालोर, बाडमेर और राजस्थान के और जिलों में भी बाजरे में यह बीमारी लगी है। मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं यह बीमारी केवल संकर बाजरे में ही नहीं लगी है देशी बाजरे में भी लगी है···

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह खबर कहां से आई है ? खेतों में तो आपके आफिसर्स गये ही नहीं हैं।

श्री शिवचरण माथुर : यह कहना कि संकर बाजरे में ही लगी है, यह सही नहीं है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहू हू ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान इस संकर बाजरे का बहुत महत्व है। कभी कोई बीमारी लगती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसको डिसकार्ड ही कर दें चाहे इससे पैदावार दुगुना ही क्यों न हो। यह हाई ईल्डिंग वैरायटी का बीज है बीमारी के प्रति हम सचेत हैं और हम निरन्तर चेष्टा शील हैं, रिसर्च के लिये भी चेष्टा शील हैं। कई बार बाजरे में दूसरी बीमारी लग जाती है जिसे डाउन मिलड्यू कहते हैं। वह भी राजस्थान के कई हिस्सों में लगती है। हाई यील्डिंग वैरायटी में व बीजों में यह सम्भावना रहती है। इसके लिये राजस्थान सरकार भी रिसर्च कर रही है है और भारत सरकार भी रिसर्च कर रही है। आपका यह कहना कि रिसर्च का प्रयत्न ही नहीं हो रहा है यह गलत है। अब रहा सवाल अरगट की बीमारी लगने से पहले क्या कार्यवाही विभाग ने उसको रोकने की की, मैं बता देना चाहता हूं इस तरह की बीमारी – अरगट की बीमारी इस साल ही नहीं लगी है। हर साल पर्चे छपवा कर हम बांटते हैं और कुछ पर्चे मैं आपकी जानकारी के लिये यहां भी लाया हूं ···

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कौनसे जिले में बांटे गये हैं।

श्री शिवचरण माथुर : सब जगह बांटे गये हैं और यह बताया गया है कि अरगट की बीमारी लगने की सम्भावना है। इसमें एक रस, चेपा जैसा आ जाता है उसको जला देने वाली बात कही है। स सारे के सारे को जला देने वाली बात आ सकती है जब उसका प्रोग्राम हो जो उस बाजरे को नमक से पहले ट्रीटमेंट में डालकर ताकि अरगट के जितने भी कीटाणु है वह ऊपर आ जावें उनको जला देना चाहिए। यह सारी विस्तृत जानकारी रेडियो प्रसारण द्वारा की जाती है, अखबारों के द्वारा दी जाती है और अध्यक्ष महोदय, मैं उन अखबारों की कटिंग भी लाया हूं ···

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप इन्क्वायरी करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) पहले मंत्री महोदय का जवाब तो सुन लीजिए।

(व्यवधान, अश्रव्य)

Page No 14

(14)

श्री शिवचरण माथुर : मेरी पूरी बात सुन तो लीजिए। अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा सारे जिलाधीशों को आदेश दिये गये है और रेडियो पर भी प्रचार किया गया है। अखबारों में भी प्रचार किया गया है और अखबारों की कटिंग भी मैं लाया हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जनरल जवाब से आप कनविन्स मत कीजिए। आप तो बताइये कि कब लेटर लिखे हैं सारे और जिले थे?

(व्यवधान—अश्रव्य)

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : जवाब नहीं सुनेंगे तो सन्तोष कैसे होगा। आप जवाब सुन लीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह जवाब को अवाइड कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब इतना मामला आ गया तो इन्क्वायरी कराइये। अधिकारियों की नेगलीजेन्स है या नहीं?

श्री जयकिशन लाल (तोसावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, किसान लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मंत्री महोदय कहते हैं कि पेपर बंटवाये है और अखबारों में निकलवाया क्या राज्य सरकार ने हुसीलवाइज और पंचायत समितिवाइज अपने ग्रामसेवकों से या अधिकारियों से गांवों मे जाकर मीटिंग बुलाकर उनको जानकारी कराई या नहीं? यह कहते है कि अखबारों में निकलवाया तो कोई किसान पढ़ा लिखा नहीं है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था कर देनी चाहिए कि प्रत्येक गांव वाइज मीटिंग बुलाकर अधिकारी आकर हर प्रकार का मुद्दा सुलझा दें।

दूसरे यह निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है...

श्री अध्यक्ष : आपका निवेदन तो पूरा भाषण होता है।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जिन कर्मचारियों ने ऐसी स्थिति की है और उस बाजरे से आदमी मरे हैं या जानवर मरे हैं क्या उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्राइम का केस बनाकर कोई कार्यवाही की जायेगी?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न थे। एक तो यह है कि आपने बहुत प्रचार किया रेडियो से और अखबारों से यह सही है और सेलाइन ट्रीटमेंट बताया। क्या आपके विभाग ने पहले सेलाइन ट्रीटमेन्ट करके इफेक्टेड बीजों को हटाकर प्रापर बीज का डिस्ट्रिब्यूशन किया?

नम्बर दो, जब अरगट लग गया और इतनी डेन्जरस बीमारी है तो क्या आपके फील्ड अधिकारियों या डिप्टी डाइरेक्टर ने ऐसे स्पाट्स का सलेक्शन करके ऐसे बाजरे को जलवाया? इसकी तीसरी स्टेज है कि जब थ्रेशिंग के लिए हो रहा था तो क्या आपके डिपार्टमेंट ने प्रिकाशन्स लेकर जहां बाजरा थ्रेशिंग हुआ वहां सेलाइन ट्रीटमेन्ट

Page No 15

(15)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
करवाया ? मैं स्वीकार करता हूं कि आपके प्रचार में कोई कसर नहीं है लेकिन आपका डिपार्टमेन्ट इन तीनों स्टेजेज में फेल हुआ जिसकी वजह से लोगों और पशुओं की मृत्यु हुई। आप जी. डी आर. होकर आये हैं आप जानते हैं कि राई और बाजरा एक जैसा सीड है और राई को डिस्ट्रिब्यूट करने से पहले उसका ट्रीटमेन्ट होता है और उसकी गारन्टी होती है। हम इन्कार नहीं करते कि आप हाई यील्डिंग वेराइटी को डिस्ट्रिब्यूट नहीं करायें। लेकिन उसका ट्रीटमेन्ट होना चाहिए और उसकी गारन्टी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब जवाब सुनेंगे ?

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेन्टरी है। मेरा निवेदन यह है कि क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिन कारणों से अरगट की बीमारी होती है उनका पता लगा लिया गया है ?

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय बाजरे का बीज खरीदा गया था तो क्या जानकारी करली गई थी कि यह बीज सही है या गलत है ? और अगर जानकारी करा ली गई थी तो उसके परिणाम क्या निकले ?

श्री अध्यक्ष : मैं क्वेश्चन को क्लोज करने वाला हूं क्योंकि आगे भी इम्पारटेन्ट क्वेश्चन्स हैं। आप (श्री गुरदयालसिंह संधु) सप्लीमेन्टरी पूछ लीजिए उसके बाद आपका उत्तर होगा और उसके बाद सवाल समाप्त होगा।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि जब बीज तैयार किया जाता है तो यह आम तौर पर पाया जाता है कि जो मदर सीड है वह डिफेक्टिव होता है। आम तौर पर यह बात है कि सीड कारपोरेशन आफ इण्डिया में उसका सलेक्शन करते समय लिहाजदारी और पैसे लेकर उसको सलेक्ट करते हैं। यही इसका कारण है और 8 साल पहले गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया की एक टीम मेरे इलाके में आई थी और उन्होंने बताया था कि यह जो मदर सीड है जो सप्लाई किया जा रहा है आम तौर पर डिफेक्टिव है। यही कारण है बीमारियों का। क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि जिस समय बीज सलेक्ट किया जाता है सीड कारपोरेशन आफ इण्डिया के साथ ही साथ आपका कोई आफिसर है जिसने यह किया ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, अरगट की बीमारी के संबंध में मैंने आपसे निवेदन किया कि राजस्थान के कई हिस्सों में यह बीमारी इस समय लगी। मैंने यह भी निवेदन किया है कि न केवल संकर बाजरे में बल्कि दूसरे बाजरे में भी यह बीमारी लगी...

कई माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : जवाब सुन लीजिए, सही है या गलत है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात बता दें।

श्री अध्यक्ष : I have given ample opportunity to all. Now reply please.

Page No 16

(16)

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह भी मैंने बताया है कि विभाग ने विभिन्न माध्यमों से पर्चे बांटकर ही या जिलाधीशों को और विकास अधिकारियों को इत्तला करके ही इसकी चेष्टा की कि कैसे किसानों को करना चाहिए। उसकी जानकारी मेरे पास है और आपको भी बता सकता हूं...

श्री अध्यक्ष : रिलेवेन्ट जवाब दे दीजिए।

श्री शिवचरण माथुर : अगर इस पर भी माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हैं तो मैं इसकी ओर जांच करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

अलवर के भूतपूर्व महाराजा की कृषि भूमि

257. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या अलवर के भूतपूर्व महाराजा के पास उनके या उनके परिवार के सदस्यों के कब्जों में ऐसी कोई कृषि भूमि अथवा सम्पत्ति है जो भारत सरकार द्वारा तसशुदा उनकी निजी सम्पत्ति की सूची में दर्ज नहीं है? यदि हां, तो ऐसी कृषि भूमि अथवा सम्पत्ति की सूची मय क्षेत्रफल खसरा नम्बर स्थान समेत दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसी कई जगह की कृषि भूमि और सम्पत्ति को उन्होंने अपनी राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम अथवा राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई रिटर्न या नोटिस के जवाबदारों या क्लेम आदि में दर्ज करके उन पर अपने स्वामित्व का दावा किया गया है? यदि हां, तो ऐसी कृषि भूमि अथवा सम्पत्ति कौन कौन सी हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या राजस्थान सरकार ऐसी कृषि भूमि अथवा सम्पत्ति के स्वामित्व के बारे में जो अलवर के भूतपूर्व महाराजा की निजी सम्पत्ति की सूची में दर्ज नहीं है लेकिन फिर भी उस पर अपने स्वामित्व का दावा करते हैं? इस पर क्या कोई निर्णय लिया है? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं?

(4) क्या यह सही है कि भूतपूर्व महाराजा और उनके पुत्र प्रतापसिंह ने शकुन औदी के जंगल में लगभग 3000 बीघा जमीन इसी प्रकार हड़पी हुई है और उसमें से हजारों बीघा जमीन लोगों को पुरानी तारीखों में लम्बे पट्टों पर देकर बेच दी है? इन बेचानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कर रही है? क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(5) क्या भू. पू. महाराजा के खिलाफ जानबूझकर लोगों को धोखा देकर पैसा हड़पने का केस सरकार चलायेगी?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से संबंधित सूचना रात देर से प्राप्त हुई थी लेकिन वह अधूरी है और उसके लिए कलेक्टर साहब को आज सम्पूर्ण रिकार्ड लेकर बुलाया गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इस प्रश्न को कल के लिए स्थगित कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल के लिए रख लीजिए। कल पहला प्रश्न रख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : कल तो ले लेंगे लेकिन कल हो जाये।

स्थगित प्रश्न। श्री गोपाल सिंह।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12–1–76)

पंचायत समिति, खण्डेला की स्थायी समितियों के चुनाव

79. श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति, खण्डेला, जिला सीकर की स्थाई समितियां रिक्त स्थानों की पूर्ति के अभाव में कब से काम नहीं कर रही हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थायी समितियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये जिलाधीश सीकर ने चुनाव व सहवरण के लिए विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खण्डेला की अध्यक्षता में दिनांक 25-8-75 को पंचायत समिति की मीटिंग रखी थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त चुनाव के पहले दिन दिनांक 24–8–75 को सामुदायिक एवं पंचायत मंत्री ने विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खण्डेला को इस चुनाव की जानकारी देने के बावजूद भी टेलीफोन कर जयपुर बुला लिया और उन्हें जयपुर रोक लिया तथा चुनाव नहीं होने दिया ? यदि हां, तो इस प्रकार चुनाव रोकने के क्या कारण थे ?

(4) क्या यह सही है कि जिलाधीश, सीकर ने उपरोक्त चुनाव की दुबारा तारीख 22–9–75 मुकर्रर की, मगर मुख्य मंत्री के आदेश से जिलाधीश को पुनः चुनाव स्थगित कर देना पड़ा और चुनाव अधिकारी को वापिस बुला लिया ? यदि हां, तो इस प्रकार पुनः चुनाव रोकने के क्या कारण थे ?

(5) क्या राज्य सरकार इन स्थायी समितियों के चुनाव निकट भविष्य में कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) 16–3–75 से कार्य नहीं कर रही है।

(2) जी हां।

(3) राजकीय कार्य हेतु वे उपस्थित हुए थे।

(4) यह प्रश्न चुनाव विभाग से सम्बन्धित है। इसका उत्तर चुनाव मंत्री जी द्वारा दिनांक 16–1–76 को दिया जा चुका है।

(5) शीघ्र ही चुनाव करवा दिये जावेंगे।

श्री गोपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि 24–8–75 को चुनाव होने थे उसके सम्बन्ध में आपने बी. डी. ओ. को फोन करके बुलाया था या बी. डी. ओ. ने आप से सम्पर्क किया था ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने उत्तर दिया है कि जी नहीं। वे स्वयं सरकार के काम से उपस्थित हुए थे।

Page No 18

(18)

श्री गोपाल सिंह : मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपने पूर्व में इस तरह की सूचना उसको दे दी थी कि वह यहां आ जावे ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं यह कह चुका हूं कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई। वे स्वयं आए थे।

श्री गोपाल सिंह : क्या आप यह उचित समझते हैं कि चुनाव को छोड़ कर बी. डी. ओ. इस तरह से यहां आ जाय ?

श्री रामनारायण चौधरी : मुझे इस प्रकार की जानकारी नहीं थी कि दूसरे दिन चुनाव हो रहे हैं।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : क्या यह सही है कि उन्होंने ऐसी सूचना दी कि कल चुनाव हैं, मुझे जल्दी पहुंचना है ?

श्री रामनारायण चौधरी : चुनाव से पहले दिन वे यहां आए थे तो यह उम्मीद की जा सकती थी कि दूसरे दिन पहुंच सकते थे।

श्री गोपाल सिंह : मेरा स्पष्ट आरोप है कि उन्होंने जान बूझ कर चुनाव को अवोइड किया है। जब वह चुनाव अधिकारी थे तो उनको यह जानकारी होनी चाहिए थी कि चुनाव उनका प्रथम कर्त्तव्य है और बिना कारण बताए उनको अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। क्या आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : बिना सरकारी काम से उपस्थित हुए इसलिए कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री गोपाल सिंह : बी. डी. ओ. द्वारा कर्त्तव्य पालन नहीं करने पर क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या यह बात सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में कुछ ओब्जर्वेशन्स दिए हैं और उनमें यह कहा है कि एक बार चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद में उसे राज्य सरकार को स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है और न रिटर्निंग आफिसर को। क्या यह सही है और आपकी जानकारी में है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने ऐसे ओब्जर्वेशन्स दिए हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान हाई कोर्ट ने कौन से मामले में क्या ओब्जर्वेशन्स दिए हैं इस बारे में अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट ने बहुत से मामलों में ओब्जर्वेशन दिए हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके विभाग से सम्बन्धित है और आपको मालूम ही नहीं है।.....

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री गोपाल सिंह : जिलाधीश ने दुबारा भी चुनाव पोस्टपोन कर दिया, क्या यह आपकी जानकारी में है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके विभाग से....

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय..

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अरे भाई, मैं पूछ रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर रही थी कि आपके विभाग से सम्बन्धित मामले में किसी चुनाव को स्थगित किये जाने की अपील हो और ऐसी और भी अपीलें हों और उनमें राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा ओब्जर्वेशन दिए गए हों, स्ट्रक्चर पास किए गए हों और आपको उसके बारे में जानकारी न हो तो हम क्या समझें आपके बारे में ?

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा विभाग बहुत बड़ा है। चुनाव मामलों में कई अपीलें हुई और कई मामले हाई कोर्ट में गए, कौन से मामले में क्या ओब्जर्वेशन दिए यह सब मालूम रहना सम्भव नहीं है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी चुनाव को लेकर ही दो बिल सदन में पास कराए हैं और आपको जानकारी ही नहीं है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री मीठालाल मीणा : अब आगे शीघ्र ही चुनाव करा दिए जावेंगे क्या आप यह स्योरिटी देंगे और आगे जब भी तिथि निश्चित हो तब किसी अधिकारी को नहीं बुलाया जावेगा और आप नहीं बुलायेंगे ?

श्री गोपाल सिंह : वह क्या प्रशासनिक कारण थे जिनकी वजह से सीकर से चुनाव अधिकारी को टेलीफोन करके वापिस बुला लिया गया ? कौन से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स थे, प्रशासनिक कारण थे यह बतायें in the interest of information.

श्री रामनारायण चौधरी : यह उचित समझा गया कि प्रधान का, उप-प्रधान का जब तक चुनाव न हो स्थायी समितियों का चुनाव नहीं हो।

श्री गोपाल सिंह : नियमों में क्या ऐसा प्रावधान है कि उप-प्रधान का जब तक चुनाव नहीं हो स्थायी समितियों का चुनाव नहीं कराया जाय ? कौन से नियम में प्रावधान है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चुनाव हो जायेंगे, आप मंत्री महोदय के कृपा पात्र बनने की क्यों नहीं कोशिश करते, चुनाव हो जायेंगे।

श्री गोपाल सिंह : थोड़ा प्रयत्न आप भी कर लो।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द सामरिया !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15-1-76)

दौसा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड का गठन

108. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा बुनकर सहकारी संघ लि. का गठन किस तिथि को हुआ एवं इसकी सदस्य संख्या कुल क्या थी ?

(2) उक्त संघ के चुनावों में कौन व्यक्ति कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)
आज तक हुए प्रत्येक चुनाव की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संघ के बाइलाज के अनुसार क्या कार्यकारिणी के सभी पदों का चुनाव होना चाहिये या मनोनयन भी संभव है ? यदि मनोनयन भी हो सकता हो तो किस पद के लिए ?

(4) क्या बाइलाज के अनुसार ही उक्त संघ के चुनाव सम्पन्न हुए अथवा मनोनयन द्वारा ? बाइलाज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त संघ के गठन के बाद किस किस संस्था से कितनी कितनी राशि ऋण, अनुदान आदि के रूप में प्राप्त हुई व कितनी अंश पूंजी थी ? संबंधित ऋण, अनुदान आदि के सम्बन्ध में पारित प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त संघ के गठन के बाद नियमानुसार कितनी अवधि के अन्तर से आडिट होना आवश्यक था ? क्या उक्त नियमानुसार इसका आडिट बराबर होता रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो हर आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) वर्तमान में उक्त संघ का आडिट किन किन लोगों से करवाया जा रहा है और अब वह किस स्टेज पर है ?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : दौसा बुनकर सहकारी सघ लि. के नाम से कोई संस्था पंजीकृत नहीं हुई है। इसलिए प्रश्न संख्या 2 से 7 तक के प्रश्नों के उत्तर देने का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, दौसा बुनकर सहकारी संघ लि. नाम से ऐसी कोई संस्था है इसी आधार पर आपने एक्जोर्नमेंट सीक किया है। इसकी इन्फार्मेशन दी है। इसी आधार पर पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं और मैंने स्पष्ट तौर से आरोप लगाए हैं···

श्री अध्यक्ष : पहले बात सुनिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं अध्यक्ष महोदय, पहले भी···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई संस्था नहीं है तो आप अगर मानते हैं कि ऐसी संस्था है तो आप इसको चैलेंज कीजिए। पहले आप मुद्दे की बात करें।

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि आपके इसी संस्था के नाम से जिस नाम से यह दौसा बुनकर सहकारी समिति है, पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी में कई दफा सरकार से इसमें जानकारी चाही गई है और सरकार ने इसी नाम से जानकारी दी है, पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी को जानकारी दी है ? और अगर दी है तो किस आधार पर दी है और पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी को जब इसी नाम पर सरकार जानकारी दे सकती है तो अब यहां इस नाम से सूचना देने में क्या एतराज है ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पी. ए. सी. को किस नाम से जानकारी दी गई यह मुझे जानकारी नहीं है।

श्री मीठालाल मीणा : उस नाम से पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को जानकारी जब सरकार देती है तो सरकार को यहां जानकारी देने में क्या आपत्ति है ?

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या यह सही है कि ऐसी समिति कार्य कर रही है और उसके एजेंट एक शक्तिसिंह नाम के व्यक्ति हैं जिसका तबादला कर दिया है ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने अध्यक्ष महोदय, जवाब दिया है कि इस नाम की कोई संस्था नहीं है और आप इस संस्था की बात कह रहे हैं मैं उसका क्या जवाब दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह !

श्री मूलचन्द सामरिया : नहीं, अध्यक्ष महोदय, अभी मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। प्रश्न का जवाब आप छुपा रहे हैं क्योंकि सरकार में बैठे बड़े आदमी से यह सम्बन्धित है। ठीक है, आप सरकार की इज्जत को बचायें लेकिन कम से कम जो इसके नौ सौ सदस्य हैं उन गरीबों का 26 हजार रुपया जमा है और सरकार का कम से कम साठ हजार रुपया रखा है अनुदान का, वह तो दिलवायें। कम से कम उसका रिकार्ड तो आप कब्जे में लें। जवाब नहीं देना चाहते हैं तो मत दें क्योंकि आपको अपने साथी मिनिस्टर को बचाना है लेकिन रिकार्ड तो अपने कब्जे में कर लें और लोगों का रुपया दिलायें।

श्री मीठालाल मीणा : दौसा क्रय विक्रय संघ के नाम से डाल दिया है और इस नाम से नहीं है लेकिन जो साठ हजार का गबन है उसके लिए तो कम से कम आप रिकार्ड को अपने कब्जे में ले लें ....

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह !

श्री मीठालाल मीणा : दूसरे नाम से भी हो तो रिकार्ड तो कम से कम अपने कब्जे में ले लें। नाम तो अब आपको मालूम पड़ गया है।

प्रश्न संख्या 149

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, कई फर्जी रिकार्ड बना रहे हैं। आडिट हो रहा है तो रिकार्ड बिना क्या आडिट हो रहा है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा ?

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : आप राजेन्द्रसिंह की ओर से पूछ रहे हैं ?

श्री विजय सिंह : मैं तो अपना प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

स्थगित प्रश्न

(दि. 16-1-76)

गोकुलपुरा (जयपुर) में सीताराम मंदिर की भूमि की आय

157. **श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मौजा गोकुल पुरा तहसील जयपुर में सीताराम के मंदिर की 92 बीघा माफी की जमीन है ?

Page No 22

(22)

(श्री विजय सिंह राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि की सन् 42 से सन् 57 तक की आय तहसील जयपुर ने वसूल की जो अब तक तहसील में जमा है ?

(3) क्या उक्त आय की रकम श्री कल्याण बक्स पुत्र श्री भैंरूसहाय ब्राह्मण निवासी जयपुर को देय है ? यदि हां, तो अब तक रकम क्यों नहीं दी गई ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

श्री विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा जी नहीं का जो जवाब दिया गया है वह गलत है। उस व्यक्ति की जमीन वहां पर है जो सीतारामजी के मन्दिर की सेवा करने के लिए दी गई थी, उसके बाद में सन् 42 से 57 तक इस तरह का मुकदमा चला जिसमें यह साबित करना था कि इसका टाईटिल किस के नाम पर है, इसका मालिक कौन है। अब टाईटिल उसके पक्ष में साबित हो गया। रकम जो जमा है जमीन की उसका बिल बन चुका है पेमेंट के लिए लेकिन कुछ लोग जो तहसील में काम करते हैं वे रिश्वत लेना चाहते हैं इसलिए रकम रोक रखी है। उसको रकम मिल जाय आसानी से और रिश्वत नहीं देनी पड़े, भ्रष्टाचार नहीं बढ़े इसलिए मैंने यह प्रश्न पूछा है और आप जवाब दे रहे हैं कि जी नहीं।

(व्यवधान–प्रश्नव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न पहले तो यह पूछा जाय कि मौजा गोकुलपुरा तहसील जयपुर में कोई सीतारामजी का मन्दिर भी है या नहीं। हो सकता है कि इससे भी इन्कार हों। मन्दिर है क्या, यहां से शुरू कीजिए।

श्री मूलचन्द मीणा : सीतारामजी के मन्दिर की जमीन एक शामलाती खाते में थी पहले सेटलमेंट में और वर्तमान सेटलमेंट में 2015 और 24 के बीच में इन्द्राज है। उसके पुजारी कल्याणबक्स पुत्र श्री भैंरूसहाय के नाम पर 34 बीघा 7 बिस्वा जमीन शामलाती दर्ज हैं, जिसमें कुछ कृषकों के नाम दर्ज हैं और उनकी तरफ से सम्वत् 2015 से 24 में 183.3 पैसे तहसील में जमा कराये हैं। कल्याणबक्स की एप्लीकेशन के ऊपर 21–4–60 को उसमें से टेन परसेंट काट कर 166.67 पैसे उसको 23-4-60 को लौटा दिए गए हैं ऐसी हमारे पास सूचना है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16-1-76)

देवस्थान की सम्पत्ति

149. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य एवं राज्य के बाहर देवस्थान की कितनी सम्पत्ति है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र सिंह)

(2) उक्त सम्पत्ति का क्या मूल्य है ? क्या राज्य सरकार इसकी देख रेख करने के लिए कोई बोर्ड बनाने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय

143. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में जल समस्या को हल करने के लिये विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि व्यय की गई ? जिलेवार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में व्यय की गई राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचम पंचवर्षीय योजना में जल समस्या के निवारण के लिये क्या प्रावधान रखा गया है ? आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचम पंचवर्षीय योजना अभी अंतिम रूप से स्वीकार नहीं हुई है अत: आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये जा सकते।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति शाहबाद में जल प्रदाय योजनाओं का सर्वे

144. श्री राम गोपाल (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समिति शाहबाद जिला कोटा में कितनी जल प्रदाय योजनाओं का सर्वे हुआ, कितनी स्वीकृत हुई और कितनी निर्माणाधीन है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

पंचायत समिति शाहबाद जिला कोटा में सर्वे की गई स्वीकृत हुई और निर्माणाधीन योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखिये)

योजनाओं में प्रति व्यक्ति व्यय

145. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार ने सन् 74-75 में कुल योजनाओं में प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

वर्ष 1974–75 में राज्य योजनान्तर्गत कुल व्यय रु. 10694.51 लाख हुआ जो

(योजना मंत्री)
राज्य की 1971 की जनगणना के आधार पर प्रति व्यक्ति रु. 41.51 आता है।

फागी तथा चाकसू तहसीलों में भू-जल मण्डल द्वारा सर्वे

146. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी): क्या भूतल जल मण्डल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या फागी तथा चाकसू तहसील का भू-जल मंडल द्वारा सर्वे करवाया जा चुका है? यदि हां, तो विस्तृत रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) सर्वे रिपोर्ट के आधार पर क्या राज्य सरकार के समक्ष कोई योजना विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है?

(3) उक्त क्षेत्र का यदि सर्वे नहीं कराया गया है तो अब कब तक करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिले की फागी तथा चाकसू तहसीलों का प्रारम्भिक भू-जल सर्वेक्षण वर्ष 1967–68 में किया जा चुका है। इन दोनों तहसीलों में से चाकसू तहसील का अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण वर्ष 1975–76 में प्रारम्भ किया जा चुका है जो कि जून, 1976 तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा इसकी अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण की रिपोर्ट, अक्टूबर, 1976 तक तैयार होने की सम्भावना है। मानसून की अधिकता एवं जल्दी आगमन तथा रास्ते में अत्यधिक रुकावटें होने के कारण इस वर्ष फागी तहसील का अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया जा सका।

(2) अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण के पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही इन तहसीलों को भू-जल भण्डार की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त होने के बाद ही भू-जल उपयोग की कोई योजना तैयार करना सम्भव हो सकेगा।

(3) चाकसू तहसील के अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण अक्टूबर, 1976 तक तैयार होने की सम्भावना है। फागी का अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण आगामी वर्ष 1976–77 में किये जाने की सम्भावना है।

सांचौर पंचायत समिति क्षेत्र में गेहूं में गेरू की बीमारी

147. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर पंचायत समिति क्षेत्र में लूणी नदी के नैपड क्षेत्र में अच्छे किस्म के गेहूं के बीज की बोवाई नहीं होने से कई गांवों में गेरू की बीमारी लग गई है? अगर हां, तो कितने गांवों में, कितने कुल क्षेत्र में गेरू की बीमारी लग चुकी है?

(2) उक्त बीमारी की रोक-थाम के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है एवं भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या इस बीमारी की अब तक कुछ रोक-थाम हो सकी है? अगर हां, तो कितने क्षेत्र में? अगर नहीं, तो क्यों?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह भी सही है कि दो साल पहिले भी गेहूं में गेरू की बीमारी लगी थी ? अगर हां, तो कहां कहां कितने क्षेत्र में एवं काश्तकारों को फसल का कितना नुकसान हुआ था एवं इस नुकसान की पूर्ति के लिए काश्तकारों को क्या मुआवजा दिया गया था ? इस वर्ष शुरू से ही इस बीमारी को रोकने के लिए या बीमारी नहीं होने देने के लिए विभाग ने क्या क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि काश्तकारों को शुरू से क्रेडिट पर अच्छा गेहूं का बीज उपलब्ध नहीं कराने के कारण उपरोक्त बीमारी का फैलाव हुआ ? अगर हां, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है ? इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किसके विरुद्ध की जावेगी ?

(5) क्या यह सही है कि गेरू की बीमारी होने पर इसका कोई इलाज नहीं है ? अगर हां, तो फैली हुई बीमारी वाले गेहूं क्षेत्र का इलाज किस प्रकार किया जाकर गेहूं की फसल बचाई जावेगी ? ऐसे काश्तकारों को ऐसे नुकसान का मुआवजा दिया जावेगा ?

(6) क्या सरकार शत प्रतिशत सरकारी खर्चे से गेरू की बीमारी की रोक थाम करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह भी सही है कि जिला जालौर एवं विशेषतया तहसील सांचोर में अत्यधिक वर्षा से सावण फसल में अत्यधिक काश्तकारों का इस वर्ष नुकसान हुआ है? अगर हां, तो कितने प्रतिशत नुकसान आंका गया है ? उनकी क्षति पूर्ति के लिए सरकार द्वारा काश्तकारों को कब तक क्या क्या सहायता प्रदान की जावेगी ?

(8) क्या यह भी सही है कि तहसील सांचोर एवं अन्य क्षेत्रों में जिला जालोर में बाजरे में अरगट की बीमारी फैल गई थी ? अगर हां, तो कितने कुल क्षेत्र में ऐसी फसल खराब हुई ? इस बारे में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? भविष्य में इस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की जावेगी ? इस बारे में काश्तकारों को क्या क्या सहायता दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। सांचोर पंचायत समिति क्षेत्र के गांव डूढ़ेवा में अक्टूबर माह में बोए गए केवल देशी गेहूं के 14 एकड़ क्षेत्र में भूरी गेरू की बीमारी का प्रकोप हुआ है। नेहड क्षेत्र में अच्छे किस्म का गेहूं भी बोया गया है।

(2) गेरू रोग के प्रकोप की सूचना प्राप्त होते ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण कराया गया। इस रोग का प्रकोप केवल 14 एकड़ क्षेत्र में ही पाया गया जिसमें प्रदर्शन के बतौर शत प्रतिशत अनुदान पर फफूंद नाशक दवा छिडकी जाकर रोग का प्रसारण रोका गया। इसके अतिरिक्त अभी ग्राम (डूडेवा) में रोली प्रसारण रोक के 5 प्रदर्शन लगाए गए। जिलाधीश जालोर की सिफारिश के अनुसार जालोर जिले की पंचायत समिति सांचोर नेहड क्षेत्र की 5000 हैक्टर क्षेत्र में रोली रोग महामारी घोषित

(कृषि मंत्री)
कर 50 प्रतिशत अनुदान 50 प्रतिशत ऋण पर फफूंद नाशक दवा वितरण कर छिड़काव कार्य करवाने के आदेश दे दिए गए हैं जिससे रोग का फैलाव इस अप्रसित क्षेत्र में न हो। इस सम्बन्ध में विभाग के कर्मचारियों को सतर्क रहने के आदेश दे दिए गए हैं तथा जिले में रसायनों व उपकरणों की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है।

(3) जी हां। जिला जालोर के सांचौर, नेहड़ क्षेत्र में गांव भारणीना, चितलवाना, गुडाहेमा, रतनपुरा, मेलावास, टूथवा, रतोडा, रणोदर, सूथडी, हेमूरी, सेसावा, सेली भरणावास और मेवाड़ के 12333 हेक्टर (गेहूं का) में गेरू की बीमारी लगी थी। क्योंकि गेरू की बीमारी और शीत लहर का प्रभाव साथ साथ हुआ था अतः गेरू से हुए नुकसान अलग से आंकना संभव नहीं था। इस वर्ष कृषि विभाग ने शुरू से ही काश्तकारों को देशी गेहूं के स्थान पर रोली रोधक किस्में बोने के लिए प्रेरित किया है।

(4) जी नहीं। बीज का वितरण नगद कीमत पर ही किया जाता है। किन्तु काश्तकारों को रोली रोधक बीज उपलब्ध कराया था किन्तु कृषकों ने देशी गेहूं ही बोया। जिन कृषकों ने अच्छा बीज बोया उनके रोली का प्रकोप नहीं हुआ।

(5) जी नहीं। गेरू की बीमारी होने पर इसका फैलाव फफूंद नाशक दवा 15 दिन के अन्तर पर 3-4 बार छिड़काव करने से रोका जा सकता है। नुकसान के इस मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार अपनी ओर से तकनीकी सलाह तथा महामारी घोषित होने पर 50% अनुदान की व्यवस्था करने का प्रावधान है।

(6) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा केवल महामारी घोषित होने पर कीटनाशक औषधियों के खर्चे पर 50% अनुदान व 50% ऋण देने की व्यवस्था है।

(7) प्रकृति प्रकोप से नष्ट होने वाली फसल के मुआवजे के लिए कृषि विभाग में अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(8) जी हां। जिला जालोर एवं तहसील सांचोर में बाजरे की फसल में अरगट की बीमारी लगी थी जिससे लगभग 2377 हैक्टर क्षेत्र में इस बीमारी का असर हुआ। कृषि विभाग ने रोकथाम के लिए खडी फसल में रोग ग्रसित सिट्टों को तुड़वा कर जलाने व फसल पर 1 किलो जाइनेब व आधा किलो कापर फंजीसाइड प्रति एकड़ छिड़काव कराने की सिफारिश की थी। फसल कटने पर बीजों को नमक के घोल से उपचारित कराने की काश्तकारों को सलाह दी गई है। भविष्य में भी उपरोक्त प्रयास जारी रहेंगे।

कोलायत तहसील में खनिज व्हाइट क्ले का कार्य

148. श्री लूणाराम (डूंगरगढ) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि (क) मैं. टहलाराम एण्ड सन्स, बीकानेर, (ख) मैं. बीकानेर क्लेज एण्ड केमीकल्स, बीकानेर, (ग) मै. रा. प्रोडक्ट प्लान्टर्स एण्ड फर्टीलाइजर्स

Page No 27

(27)

(श्री लूणाराम)
बीकानेर, (घ) मै. तिलकराज चांदन बीकानेर, एवं (ङ) भगवानदास चन्द्रकुमार, बीकानेर ने बीकानेर जिले की तहसील कोलायत में एक ही खनिज व्हाइट क्ले के कार्य को "बाल क्ले" "चाइना क्ले" "फायर क्ले" "बीकानेर क्ले" "बाक्साइट" एवं "येलोग्राकर" आदि के नाम से अलग अलग कुल 23 खनिज पट्टे 3784.11 हैक्टर क्षेत्र लेकर कार्य चालू कर रखा है ? यदि हां, तो क्या ये एक ही परिवार के सदस्य हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त 3784.11 हैक्टर भूमि विभिन्न क्ले के नाम बता कर उनके पट्टे हांसिल कर सरकार को धोखा दिया है ? जब कि सारी भूमि व्हाइट क्ले की ही है ?

(3) क्या यह सही है कि सर्वेक्षण, अनुसंधान करके राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों ने कोलायत क्षेत्र की माइनिंग होने वाली क्ले को एक ही प्रकार की क्ले घोषित किया है ? यदि हां तो क्या खनिज पट्टा अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत मै. बहुलाराम एण्ड सन्स आदि पांचों फर्मों ने 3784.11 हैक्टर की एक ही प्रकार के क्ले को अधिकार में रख कर माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट की धारा 6 (1) घ का उल्लंघन नहीं किया ? यदि हां, तो उनके खिलाफ विभाग ने आज तक क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त पांचों फर्मों द्वारा बिना माईनिंग किये हुये क्षेत्रों में रायल्टी की बचत के तौर-तरीके अपनाये जाते हैं ? क्या यह विभाग की जानकारी में है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त 23 क्षेत्रों में से कुछ ही क्षेत्रों में खनिज कार्य होता है और बाकी क्षेत्रों में एक दूसरी फर्म के अन्दर खोदा हुआ माल दिखला कर सरकार को धोखा दिया जाता है ?

(6) क्या सरकार इस सारे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करवा कर सीमा से अधिक क्षेत्रों को वापिस लेकर राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण खनिज का अधिक से अधिक उत्पादन का मोका अन्य समर्थकों को देगी और आज तक धोखा देने वाले उक्त व्यक्तियों की सारी लीजें खत्म की जावेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह भी सही है कि बीकानेर क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक क्रांति बिगुल दिनांक 1 जुलाई, 75 वर्ष 1 अंक 6 के पेज 2 पर उक्त ठेकेदार के खिलाफ जो प्रकाशन हुआ है जिससे यह जाहिर है कि उस क्षेत्र में उक्त ठेकेदार के कारनामे पूर्णतया चर्चा का विषय बने हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त अंक में प्रकाशित तथ्यों की जांच करवाई ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, मैसर्स रा. प्रोडेक्ट प्लाटर्स एण्ड फर्टीलाइजर्स बीकानेर के नाम से कोई खनन पट्टा पंजीकृत नहीं है। शेष 4 फर्मों के पास भिन्न-भिन्न खनिज के 19 खनन पट्टे पंजीकृत हैं जिनका कुल क्षेत्रफल

(खनिज मंत्री)

2730.62 हैक्टर है। जागीरदारों के बारे में पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है:--

(1) सर्व श्री टहलाराम एंड संस

1. श्री ग्रमरनाथ पुत्र श्री टहलाराम चांदना।

2. श्री रामनाथ पुत्र श्री टहलाराम चांदना।

3. श्री भगवानदास पुत्र श्री टहलाराम चांदना।

(2) सर्व श्री बीकानेर प्लेज एण्ड केमीकल्स:--

1. श्रीमती पद्मावती पत्नी श्री ग्रमरनाथ

2. श्रीमती त्रिपति पत्नी श्री भगवानदास।

(3) सर्व श्री तिलकराज चांदना

श्री तिलक राज चांदना पुत्र श्री ग्रमरनाथ चांदना।

(4) सर्व श्री भगवानदास चन्द्र कुमार

1. श्री भगवानदास पुत्र श्री टहलाराम चांदना।

2. श्री चन्द्रकुमार पुत्र श्री गुलाबचंद कोचर।

श्री चन्द्र कुमार के ग्रतिरिक्त भागीदार एक ही परिवार के हैं।

(2) जी नहीं।

(3) विभाग का मत रहा है कि कोलायत क्षेत्र में पाई जाने वाली क्ले बाल क्ले है जिसके लिए एनालिसिस संबंधी कार्यवाही चालू है।

एस.एम.ग्रार.डी. एक्ट की धारा 6 के ग्रनुसार फायर क्ले एक ग्रुप व ग्रन्य को दूसरे ग्रुप में होने पर पार्टी द्वारा नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(7) विभाग को जानकारी नहीं है।

ग्राम देसली (ग्रनूपगढ़) में जिप्सम का माइनिंग लाईसेन्स

149. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि. को जिला गंगानगर की तहसील ग्रनूपगढ़ के ग्राम देसली में जिप्सम का माइनिंग लाइसेन्स दिया गया है?

(2) यदि हां, तो कब ग्रौर वहां उत्पादन कब शुरू किया गया है? यदि ग्रभी तक नहीं किया गया तो क्यों नहीं ग्रौर कब तक किये जाने की संभावना है?

उत्तर

(1) जी हां।

Page No 29

(29)

(खनिज मंत्री)

(2) राजस्थान खान एवं खनिज लि. को उक्त क्षेत्र में दिनांक 14–7–71 से जिप्सम हेतु कार्यानुमति दी गई तथा दिनांक 11–2–1974 से नियमित खनन पट्टा स्वीकार किया गया। उत्पादन अभी शुरू नहीं किया जा सका है, क्योंकि :–

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा देसली से अनूपगढ़ तक सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था।

(2) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि. को अनूपगढ़ रेल्वे स्टेशन पर साइडिंग अभी तक नहीं मिली है। इस क्षेत्र में खनन कार्य रेल्वे साइडिंग मिलने पर ही शुरू करना सम्भव होगा। जिस हेतु रेल्वे से लिखा पढ़ी चल रही है।

श्री डूंगरगढ़ तहसील के ग्रामों में खनिज पदार्थों का सर्वे

150. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू की तहसील डूंगरगढ़ के ग्राम लखासर, गजपुरा, जोधासर, भभेऊ एवं सेरूणा में जियोलोजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया द्वारा भूमिगत स्थित खनिज पोटाश के लिए ड्रिलिंग कार्य जारी है ?

यदि हां, तो इस कार्य में प्रगति एवं उपलब्धि कहां तक हुई है और कब तक इस कार्य के पूर्ण होकर राज्य के आर्थिक विकास में पोटाश की उपलब्धि होने की आशा है ?

(2) पोटाश के साथ-साथ अन्य संबंधित कौन कौन से खनिज पदार्थों के मिलने की संभावना है ?

(3) क्या यह सही है कि यहां पैट्रोलियम पदार्थ मिलने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी हां, जियोलोजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया विभाग द्वारा लखासर के पास अभी तक 521 मीटर तक ड्रिलिंग कार्य किया गया है। अनुसंधान के लिये 900 मीटर की गहराई तक छिद्र करने का कार्यक्रम है। उसके उपरान्त ही उपलब्धियों का अनुमान हो सकेगा कि पोटाश मिलेगा या नहीं।

(2) लखासर के पास हेलाइट (सेन्धा नमक) और कुछ मात्रा में एनहाईड्राईट (जिप्सम) मिलने की सम्भावना है।

(3) तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन द्वारा भू-भौतिक अनुसंधान करने पर तेल की स्पष्ट संभावना नहीं बताई गई है।

ग्राम पंचायत बन्धनाऊ (सरदार शहर) में कब्जा हटाने के मामले

151. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) ग्राम पंचायत बन्धनाऊ तहसील सरदार शहर जिला चूरू में जनवरी, 1975 से ऐसे कितने सामान्य प्रशासन या अन्य तरह के कितने मामले थे, जिनमें पुलिस की मदद लेकर कब्जा हटाया गया ? सूची नाम-वार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री लूणाराम)

(2) उक्त मामलों में पंचायत द्वारा कब कब पार्टियों को नोटिस दिया तथा उन्होंने क्या जवाब दिया ? प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त मामलों में पंचायत द्वारा कब्जा उठवाने के लिए पुलिस एवं सब-डिविजनल आफिसर चुरू को कब कब लिखा गया आखिरी आदेश कब प्राप्त हुई ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ये कब्जे श्री हजारीमल प्रधान ने ही पुलिस को व नायब तहसीलदार को अपने साथ लाकर तुड़वाये ?

(5) यह भूमि आबादी की थी या अन्य नजूल भूमि या कृषि की ?

(स्थगित किया गया)

रेगिस्तानी जिलों में विशेष रोजगार योजना

152. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य के रेगिस्तानी दस जिलों में से विशेष रोजगार योजना (मिनिमम नीड प्रोग्राम) के अन्तर्गत किन किन जिलों में क्या क्या कार्य करवाना आरम्भ किया गया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

बीकानेर डिवीजन की नगरपालिकाओं में रेलवे टिकटों पर टरमिनल टैक्स

153. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर डिवीजन की नगरपालिकाओं में रेलवे टिकटों पर आक्ट्राय टरमिनल टैक्स के रूप में 6 पैसा प्रति टिकिट वसूल किया जाता है ?

(2) यदि हां, तो यह बीकानेर डिवीजन की नगरपालिकाओं वाली रेल्वे स्टेशनों के लिए ही वसूल होती है या राजस्थान की समस्त नगरपालिकाओं वाले रेल्वे स्टेशनों पर ?

(3) यह टैक्स किस अधिनियम व नियम के अन्तर्गत वसूल होता है ? इस टैक्स से विकास एवं निर्माण के कार्य ही नगरपालिकाओं द्वारा करवाये जाते हैं या सामान्य प्रशासन के कार्य भी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह टैक्स उन नगरपालिकाओं में लिया जाता है जहां पर कि संविधान के लागू होने के पहले वसूल किया जा रहा था ?

(3) यह टैक्स संविधान के लागू होने के पहले सम्बन्धित राज्यों द्वारा लगाया गया था। तथा संविधान की धारा 277 के अधीन अब भी लागू है। यह टैक्स नगरपालिकाओं में विकास निर्माण कार्यों पर ही खर्च होता है और सामान्य-प्रशासन पर भी खर्च कर सकते हैं।

भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण

154. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा गत दस वर्षों में राज्य के विभिन्न जिलों में भवन निर्माण के लिये कितना ऋण अल्प आय वर्ग,

Page No 31

(31)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
मध्यम आय वर्ग भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत आवंटित किया है ? जिलेवार प्रत्येक वर्ष की अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) आवंटन करने में राज्य सरकार कौन से आधारभूत सिद्धान्तों का परिपालन करती है ?

(3) क्या उक्त आधारभूत सिद्धांतों का ऋण आवंटन करते समय पालन किया या नहीं ? यदि पालन नहीं किया तो उसके क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों को गत दस वर्षों में अर्थात् 1965-66 से 1974-75 तक अल्प आय वर्ग में 3,20,04,479 रुपये तथा मध्यम आय वर्ग में 2,25,63,324 रुपये की ऋण राशि आवंटित की गई है। जिलेवार व वर्षवार ब्योरा संलग्न सूची 'क' में अंकित है।

(2) राज्य सरकार निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए ही ऋण का आवंटन करती है:--

(क) नगर का आकार व आबादी।
(ख) पुराने ऋणियों की मांग।
(ग) वसूली की प्रगति।
(घ) प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर जिलाधीशों द्वारा की गई मांग इत्यादि।

(3) उत्तर 2 में दर्शाये गये सिद्धान्तों का पालन प्रायः प्रत्येक आवंटन में किया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर जिले के भूमिहीन काश्तकार

155. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में ऐसे कितने भूमिहीन काश्तकार हैं जिन्हें आज से 10 वर्ष के दरम्यान एक वर्ष और तीन वर्ष के लिये भूमि आवंटित की गई थी, जिन्हें बाद के वर्षों में आवंटित समिति की बैठक नहीं होने से उनके आवंटन की मियाद नहीं बढ़ाई गई अथवा सनदें नहीं दी गई ? तहसीलवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उन्हीं भूमिहीन काश्तकारों द्वारा उसी भूमि को इस वर्ष काश्त करने पर उन्हें अतिक्रमणी घोषित कर लगान की राशि का कहीं पचास गुना, कहीं उससे कम जुर्माना किया गया, उनकी फसलों को कुंता कर और उनकी फसलें जब्त कर उन्हें बरबाद कर दिया ?

(3) बाड़मेर जिले में ऐसे भूमिहीन काश्तकारों की संख्या बतायें जिन्होंने भूमिहीन होने से सरकारी जमीन की काश्त कर ली है जिन्हें अतिक्रमणी घोषित कर लगान की राशि का अधिक से अधिक जुर्माना किया उनकी फसलों को कुंता कर उनकी फसलें जब्त कर उन्हें भी बरबाद कर दिया ?

(4) जिले में उपरोक्त वर्णित भूमिहीन काश्तकारों से कुल कितना जुर्माना वसूल किया और कितनी राशि की फसल

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
जब्त की गई ? तहसीलवार आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(6) क्या राज्य सरकार उपरोक्त वर्णित भूमिहीन काश्तकारों को जिन्होंने कि उपरोक्त वर्णित जमीन काश्त की है उन्हें नियमन की कार्यवाही करके वही जमीन अलाट करा देगी और उनकी जो फसलें जब्त की हैं और उन पर अधिक से अधिक जुर्माना किया है उनको वापिस क्षतिपूर्ति करने के लिये तैयार है ?

(स्थगित किया गया)

अलवर के भूतपूर्व महाराजा की कृषि भूमि

156. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अलवर के भूतपूर्व महाराजा की भूमि अवाप्त कर ली गई है ? यदि हां तो, भूमि की सूची नामवार, किस्मवार उनके क्षेत्रफल समेत सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत क्या कोई भूमि भूतपूर्व महाराजा की खुदकाश्त होने के कारण उनके पास छोड़ी गई है ? यदि हां, तो कौन कौन सी और कितनी ? कृपया खुदकाश्त भूमि, खसरा नम्बर, क्षेत्रफल, स्थान, गांव और नाम विशेष यदि हो तो समेत सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या अलवर के भूतपूर्व महाराजा ने कृषि भूमि पर सीलिंग कानून लागू करने की कानून की अनुपालना में पुराने सीलिंग कानून और नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत कोई रिटर्न या सप्लीमेण्टरी रिटर्न दाखिल की थी ? यदि हां तो, कब कब ?

(4) क्या सीलिंग कानून के तहत निर्णय होकर भूतपूर्व महाराजा की सरप्लस भूमि राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है ? इनकी कितनी भूमि सरप्लस पाई गई है ? कौन कौन सी भूमि भूतपूर्व महाराजा ने सीलिंग के अन्तर्गत राज्य सरकार को सौंपी है ?

(5) राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत भूतपूर्व महाराजा की कौन कौन सी भूमि अथवा संपत्ति छूट में मानी गई है ?

(स्थगित किया गया)

गंगनहर क्षेत्र में आवंटित भूमि

157. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगनहर क्षेत्र में सैंकड़ों काश्तकारों ने गलत भूमि आवंटित करवा रखी है जब कि वे भूमि पाने के हकदार नहीं थे और बहुत से ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पिछले कई वर्षों से अपीलें चल रही हैं और उनका निपटारा नहीं किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि चक 78 जी. बी. तहसील अनूपगढ़ में साढ़े 24 बीघा

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)
भूमि भूमिहीनों के नाम से आवंटित है जब कि उस गांव में कोई भूमिहीन नहीं रहा है?

(3) क्या यह सही है कि चक 38 जी.जी. द्वितीय में श्री अर्जन नामक हरिजन ने दो स्थानों पर नाजायज भूमि आवंटित करवा रखी है? चक 15 ई.ई.ए. में मु. नं. 36 के 3 बीघे 66 के 6 बीघे जो किसी श्री लालचन्द नामक व्यक्ति को आवंटित हैं मगर उस पर एक भूतपूर्व पटवारी श्री हेमराज का कब्जा है? मु. नं. 52 व 64 जो किसी श्री तेजासिंह नामक व्यक्ति को आवंटित है उस पर भी श्री हेमराज भूतपूर्व पटवारी का कब्जा है? मु. नं. 65 के साढ़े 10 बीघे पर श्री हेमराज का कब्जा है? और उस पर पिछले दस वर्षों में कभी भी रकम आराजी काश्त कायम नहीं हुई और इसी तरह मु. नं. 57 के 7 बीघे? इस तरह गंगनहर क्षेत्र में सैकड़ों लोगों ने कर्मचारियों से साज-बाज करके सरकारी भूमि पर कब्जे कर रखे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कार्यवाही करेगी?

(स्थगित किया गया)

राजस्थान क्षेत्र में भूमि का गलत आवंटन

158. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का अधिकतर नाजायज आवंटन हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि उपनिवेशन तहसील घड़साना में श्री भजन लाल अर्जीनवीस पदमपुर ने अपने स्वयं के एवं अपने परिवार के नाम पर पांच मुरब्बे भूमि आवंटित करवा रखी है और इसी प्रकार मण्डी जैतसर के व्यापारियों सर्वश्री कर्मचन्द, बरकत राम, सुन्दर लाल व किशन लाल अरोड़ा ने भी नाजायज भूमि आवंटित करवा रखी है और जिसका अब स्थाई आवंटन हो रहा है?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त भूमि का गलत आवंटन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी और उपरोक्त भूमि को शीघ्र खारिज करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

बाड़मेर जिले के काश्तकारों को पास बुकों का वितरण

159. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) बाड़मेर जिले में कुल कितनी पास-बुकें अब तक वितरित कर दी गई हैं? तहसीलवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिले में कुल कितनी पास-बुकें वितरित की जानी हैं? तहसीलवार आंकड़े प्रस्तुत करें।

(3) सभी काश्तकारों को पास-बुक के वितरण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(4) अब ये पास-बुकें कब तक वितरित कर दी जावेंगी?

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(6) अधिकारों की प्राप्ति के लिये पास बुकों की कानूनी क्या उपयोगिता है ? यदि उपयोगिता नहीं है तो कानूनी उपयोगिता लाने के लिये क्या राजस्व विभाग कोई कदम उठावेगा ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में कुल वितरित पास-बुकों की संख्या तहसीलवार निम्न प्रकार हैं:—

1.	तहसील बाड़मेर	52110
2.	तहसील शिव	12796
3.	तहसील चोहटन	25373
4.	तहसील पचपदरा	21397
5.	तहसील सिवाना	16777
	योग	1,28,453

(2) जिले में कुल पास-बुकें जो अब वितरण करनी हैं, तहसीलवार निम्न प्रकार हैं :—

1.	तहसील बाड़मेर	450
2.	तहसील शिव	1000
3.	तहसील चोहटन	877
4.	तहसील पचपदरा	1443
5.	तहसील सिवाना	4603
	योग	8,373

(3) इस जिले की पास-बुकों की कुल मांग 1,26,383 थी जिसके विरुद्ध 1,28,453 पास-बुकें वितरण कर दी गई हैं। गत वर्ष कुछ काश्तकार अकाल के कारण मजदूरी हेतु पड़ोसी प्रान्तों एवं जिलों में चले गये थे उनको एवं सहकाश्तकारों को भी अब पास बुकें वितरण की जा रही हैं। सहकाश्तकारों को वितरण करने के कारण मांग से अधिक पास बुकें वितरण हुई हैं। अब शेष काश्तकारों को वितरण की जा रही हैं।

(4) शेष पास बुकें माह जनवरी, 1976 के अन्त तक वितरण कर दी जावेंगी।

(5) राज्य सरकार ने एक अधिसूचना दिनांक 27-4-71 के द्वारा दी राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू सर्वे रेकार्ड एन्ड सैटलमेन्ट रूल्स 1971 जारी किये जिनके द्वारा पास बुक को रिकार्ड आफ राइट्स माना गया है। इस प्रकार इन पास बुकों की रिकार्ड आफ राइट्स के रूप में उपयोगिता है।

मावसी नदी (टोंक) पर पुल का निर्माण

160. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला टोंक में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत पीपलू के पास मावसी नदी पर पुल निर्माण हेतु प्रस्ताव पास हो चुका है और उसकी स्वीकृति भी विभाग ने दे दी परन्तु यह कार्य अभी तक भी शुरू नहीं किया गया ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू कर पूरा करवा दिया जावेगा व इस पर क्या खर्चा आवेगा ? ब्यौरेवार बताने का कष्ट करें।

उत्तर

न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम के अन्तर्गत नाथरी-पीपलू सड़क पर पीपलू नाले पर क्रोस ड्रिनेज कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 1.75 लाख की 26–11–75 को दी गई

Page No 35

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

है आरम्भ में सबमरसेबिल ब्रिज के एस्टीमेट रु. 33 लाख के प्राप्त हुए थे, जो स्वीकृत धनराशि से अधिक थे, अत: अब 17-11-75 को 12 फीट चौड़ा (Vented cause way) वेन्टेड काजवे के एस्टीमेट बनाने के आदेश दिये हैं। एस्टीमेट की तकनीकी स्वीकृति होने पर खर्च होने वाली धनराशि का अनुमान हो पावेगा, तथा कार्य तब ही आरम्भ हो सकेगा।

ग्राम खेमावास (लालसोट) में कृषि कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन

161. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष ग्राम खेमावास तहसील लालसोट (जयपुर) के निवासियों ने अग्रिम योजना के अन्तर्गत कृषि विद्युत संबंधों के लिये आवेदन-पत्र दिये थे? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी? कृपया निम्न तालिका के आधार पर सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें:—

(1) प्रार्थना-पत्र देने की तारीख (2) एस्टीमेट की फाइल भेजने की तिथि (3) एस्टीमेट स्वीकृति हेतु भेजने की तारीख (4) एस्टीमेट आने की तारीख (5) एस्टीमेट स्वीकृत होकर आने की तारीख (6) डिमान्ड नोटिस जारी होने की तारीख।

(2) क्या यह सही है कि डिमाण्ड नोटिस के बाद किसानों ने एस्टीमेट के गलत होने की प्रार्थना की? यदि हां, तो किस तारीख को?

(3) क्या यह सही है कि एस्टीमेट की जांच करने पर डिमान्डों में अन्तर आया और दोनों एस्टीमेटों में फर्क निकला? यदि हां, तो प्रत्येक प्रार्थना-पत्र की सूची सदन की मेज पर रखें तथा डिमाण्ड में एल. टी. पोल कितने थे और रिवाइज एस्टीमेट में एल. टी. पोल कितने थे?

(4) क्या यह सही है कि इस अन्तर को ठीक करने के समय में भी विलम्ब हुआ और इसी मध्य अग्रिम धनराशि विद्युत योजना सरकार ने बन्द कर दी जिसका भारी नुकसान किसानों को भुगतना पड़ा और कृषि उत्पादन को भारी क्षति हुई?

(5) यदि हां, तो इस प्रकार के गलत ऐस्टीमेट व विलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निम्न 14 प्रार्थना-पत्र इस गांव से प्राप्त हुये थे। वांछित सूचना नीचे दी जा रही है:—

1.	प्रार्थना-पत्र देने की तारीख	15–10–74
2.	एस्टिमेट की फाइल भेजने की तिथि	15–10–74
3.	एस्टिमेट आने की तारीख	26–10–74
4.	एस्टिमेट स्वीकृति हेतु भेजने की तारीख	4–11–74

(विद्युत् मंत्री)

5. एस्टिमेट स्वीकृत होकर आने की तारीख 11–1–75

6. डिमान्ड नोटिस जारी होने की तारीख 20–1–75

(2) जी हां। कृषकों द्वारा दिनांक 17–2–75 व 21–2–75 को एस्टिमेट को रिवाइज करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे। माननीय श्री मीठालाल मीणा, सदस्य विधान सभा ने भी माननीय विद्युत् मंत्री महोदय को 26-2-75 को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था।

(3) जी हां। पहले व दूसरे एस्टिमेट का विवरण नीचे दिये जा रहा है:––

प्रथम एस्टिमेट

एच. टी. लाईन 20 पोल रुपये 23000।–

एल. टी. लाईन 82 पोल रुपये 69700।–

सब स्टेशन 100 के बी. ए. एक रुपये 21000।–

रुपये का योग 1,13,700

द्वितीय ऐस्टिमेट

एच. टी. लाईन 26 पोल रुपये 29900/–

एल. टी. लाईन 65 पोल रुपये 55250।–

सब स्टेशन 100 के. वी. ए. एक रुपये 21000।–

रुपये 1,06,150।–

(4) एस्टिमेट्स को रिवाइज करने के लिए प्रार्थना-पत्र आने की तारीख तक एडवान्स योजना के तहत नये केसेज लेना मुख्य अभियन्ता के आदेश संख्या आर.एस.ई.बी. सी.ई. ओ. एण्ड एस.।सं.–6।6858 दिनांक 31–12–74 के द्वारा रोक दिया गया था। माननीय सदस्य श्री मीठालाल जी मीणा के विशेष आग्रह पर इस केस के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स बनवाने की आज्ञा अधीक्षक अभियन्ता, जयपुर (जिला वृत) द्वारा 28–2–75 को दी गई थी, परन्तु दौसा सहायक अभियन्ता के दौसा उप संभाग के मजदूरों में अशांति होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति के निपटने में व्यस्त होने के कारण इस डिविजन के कार्य में देरी हुई और बाद में एडवान्स योजना बिल्कुल बन्द हो गई।

(5) परिस्थिति वश जो देरी हुई है उसके लिए किसी अधिकारी को सीधे से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कर्मचारियों की गल्ती के लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

लालसोट (जयपुर) ग्रामीण विद्युतिकरण योजना का कार्य

162. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि लालसोट (जयपुर) ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

(श्री मीठालाल मीणा)

कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो क्या सरकार उक्त योजना की मासिक कार्य रिपोर्ट से संतुष्ट है ? तथा अब तक कितने कुओं को कनेक्शन दे दिये गये ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत आवंटित कन्डक्टर बांदीकुई तथा अन्य ग्रामीण विद्युतिकरण योजना में भेज दिया गया ? यदि हां, तो लालसोट योजना में कन्डक्टरों की कमी के बावजूद कण्डक्टर बांदीकुई क्यों भेजे गये ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि लालसोट स्थित सहायक अभियन्ता की उक्त कार्य के प्रति विशेष रुचि नहीं है ?

उत्तर

(1) प्रारम्भ में सामान की उपलब्धि नहीं होने के कारण कार्य की गति कुछ धीमी रही। अब कार्य सामान्य गति से चल रहा है।

(2) एल.टी. पोल्स की कमी के कारण जो कन्डक्टर लालसोट क्षेत्र में काम में नहीं आ पाया था उसे बांदीकुई आर. ई. सी. योजना के कार्य के लिये अधिशासी अभियन्ता के आर्डर्स से लोन पर भेजा गया था। एल. टी. पोल्स व कन्डक्टर्स की व्यवस्था अब लालसोट की स्कीम के लिये कर दी गई है।

(3) जी नहीं।

जयपुर जिले के गांवों का विद्युतिकरण

163. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में कौन कौन से गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब इस योजना के अन्तर्गत किन किन गांवों को प्रस्तावित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक जयपुर जिले में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

(4) अगले वित्तीय वर्ष में कितनी राशि खर्च की जावेगी ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतिकृत गांवों की सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) माह नवम्बर, 1975 के अन्त तक ग्रामीण विद्युतिकरण योजनाओं पर 1,69,06,027/97 रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(4) अगले वित्तीय वर्ष के लिये 1,14,52,000 रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रानीखेड़ा—सांचौर सड़क का कार्य

164. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा—सांचौर सड़क को चौड़ी की जाकर दुबारा कारपेटिंग का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है ? अगर हां, तो उसमें से कितना कार्य किया गया है एवं कितना कार्य बाकी है ? शेष कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि सागड़ दुगावा (गुजरात बोर्डर) सड़क का कार्य अभी तक अधूरा है ? अगर हां, तो कितना कार्य अभी तक अधूरा है, इस वर्ष इस सड़क का कार्य करवाने के लिये सालाना योजना में कितनी रकम रखी गई है ? क्या इस रकम को बढ़ाकर इस सड़क को इस साल पूर्ण करवाने का राज्य सरकार प्रयत्न करेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि केरिया एप्रोच रोड का कार्य (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत) अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है ? अगर हां, तो उसमें से कितना कार्य करवा दिया गया है एवं कितना कार्य अपूर्ण है ? इस सड़क कार्य को कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि सुईगांव—सांचौर—बाड़मेर राष्ट्रीय मार्ग पर सांचौर से खोड़ा तक सड़क की हालत बहुत खराब है ?, अगर हां, तो इसका दुबारा कारपेटिंग का कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा ? क्या यह भी सही है कि लूणी नदी का टूटा हुआ पुल भी अभी तक दुबारा नहीं बनवाया गया है ? इसका पुनः निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा ?

(5) ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र में कौन कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य कब तक करवाया जावेगा ?

(6) सांकड़ से वासन देवड़ा सड़क जो गांधी शताब्दी गांव को मिलाने वाली है, कब तक पूर्ण करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) सड़क की सम्पूर्ण लम्बाई 48 कि.मी. में सड़क को चौड़ा करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। 30 कि. मी. में से डामर कार्य पूर्ण करा दिया है। बाकी 18 कि.मी. में डामर कार्य शेष है जिसकी वर्ष 75-76 के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है।

(2) पूर्ण 12 कि. मी. में डामर 1.1-2 कि. मि. में मैटल एवम् नदी में रपट कार्य अवशेष है। वर्ष 75-76 में सांकड़ दुगावा के नाम से कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि रानीवाड़ा सांचौर सड़क से सुराना एप्रोच रोड के लिए 10,000) रुपये का प्रावधान है, इस वर्ष धनराशि बढ़ाकर सड़क को पूरा करने की धनाभाव के कारण अभी योजना नहीं है।

(3) केवल मिट्टी का कार्य पूर्ण हुआ है। सोलिंग, बैलास्ट एकत्रित किया जा रहा है, शेष धन उपलब्धि के अनुसार पूरा किया जा सकेगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) सांचोर से खोड़ा सड़क की दशा साधारण है। डामर कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है। लूनी नदी का पुल टूटा नहीं है। पुल छोटा होने के कारण इसका विस्तार करना है और कितना विस्तार आवश्यक है, भारत सरकार का यातायात एवम् परिवहन मंत्रालय द्वारा माडल स्टडी (Model Study) कराई जा रही है। माडल स्टडी का परिणाम प्राप्त होने पर आगामी वर्ष कार्य आरम्भ होने की आशा है।

(5) न्यूनतम आवश्यकता योजना में पंचायत समिति सांचोर क्षेत्र में एप्रोच रोड ग्राम केरीया वाया होती बांभो स्वीकृत है और कार्य प्रगति पर है।

(6) इस सड़क पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य किया गया है, अर्थाभाव के कारण आगे कार्य सम्भव नहीं है।

पंचायत समिति लालसोट क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

165. श्री मोठालाल मीणा (लालसोट): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि लालसोट (जयपुर) पंचायत समिति क्षेत्र की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतिकरण योजना में कुछ ऐसे क्षेत्र रह गये है, जिनके सम्बन्ध में जल मण्डल की रिपोर्ट भी ठीक है, जहां पानी की कोई कमी नहीं है और उपजाऊ क्षेत्र है तथा वहां के किसान विद्युत् कनेक्शनों के लिये उत्सुक हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र के लिये कोई अन्य ग्रामीण विद्युतिकरण योजना तैयार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

निगम द्वारा स्वीकृत योजना में लालसोट पंचायत समिति के 62 गांवों का ही विद्युतिकरण प्रस्तावित है न कि पूरी पंचायत समिति का। इस चालू योजना में बाकी गांव सम्मिलित नहीं किये जा सकते। दूसरी योजना बनाने के लिये चालू योजना के पूरी होने पर ही विचार किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 पर डामर का कार्य

166. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 से नारनोल वाली सड़क पर दुबारा डामर डालने हेतु जीरो रोड़ी मौके पर पड़ी हुई है? यदि हां, तो डामर कब तक डाली जावेगी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क अन्तरप्रान्तीय महत्वपूर्ण सड़क है लेकिन सोतानदी का पुल न बनने के कारण आवागमन रुक जाता है? यदि हां, तो सरकार कब तक पुल बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 से नारनोल सड़क पर सरफेस पेंटिंग के बाद कारपेट करने हेतु रोड़ी एकत्रित की गई थी, किन्तु धनाभाव के कारण डामर कार्य कराना अभी संभव नहीं हुआ है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) सड़क के महत्व को ध्यान में रखते हुये सोता नदी के पुल निर्माण की आवश्यकता सरकार समझती है, किन्तु धनाभाव के कारण उक्त नदी पर पुल निर्माण अभी सम्भव नहीं हो रहा है।

बनाड़ी बांध की योजना

167. **श्री सुरेशचन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विभाग ने कोटपूतली तहसील में बनाड़ी बांध बनाने की योजना बनाई है? यदि हां, तो यह योजना कब बनाई गई और यह कितनी लागत की है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना का कार्य इस वित्तीय वर्ष में ही शुरू होना था? यदि हां, तो अब तक इस ओर क्या प्रगति हुई है?

(3) बनाड़ी बांध से कितनी जमीन को पानी दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

योजना का विस्तृत सर्वे कार्य जारी है। योजना की अनुमानित लागत रु. 11.70 लाख है।

(2) जी नहीं।

(3) बनाड़ी बांध से लगभग 1952 एकड़ भूमि में एक बार पानी दिया जा सकेगा।

ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत गांवों में बिजली

168. **श्री भैंरूलाल** (अकलेरा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में 1 अप्रेल, 1972 से 31 मार्च, 1975 के अर्से में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के तहत कुल कितने ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया? कृपया पंचायत समितिवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त योजना के तहत उक्त अर्से में पंचायत समिति मनोहर थाना, जिला झालावाड़ के कितने ग्रामों को विद्युतिकरण योजना में लिया गया? कृपया ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि समय समय पर मांग की जाने के उपरान्त भी उक्त अर्से में उक्त पंचायत समिति क्षेत्र के एक भी ग्राम को विद्युतिकरण योजना में नहीं लिया गया है, बल्कि हर साल किसी न किसी (मैटिरीयल अथवा वित्ताभाव) के बहाने ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत विस्तार से वंचित रखा जाता रहा है।

(4) क्या यह भी सही है कि जिला परिषद् झालावाड़ की बैठक दि. 20–6–74 में मुख्य मंत्री ने भाग लिया था? उस बैठक की कार्यवाही के समय सदस्यों की इस उचित मांग को ध्यान में रखते हुये पंचायत समिति मनोहरथाना व डग क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में शीघ्र ही विद्युत विस्तार किये जाने की घोषणा की थी?

(श्री मेरूलाल)

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त घोषणा के पालनार्थ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न विभाग द्वारा ही कोई कारगर कदम उठाया गया है ?

(6) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति, मनोहर थाना के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत विस्तार के अभाव में क्षेत्र का कृषि विकास ठप्प है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार कृषि विकासार्थ उक्त क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में शीघ्र ही ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के तहत विद्युत विस्तार करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 1 अप्रेल, 1972 से 31 मार्च, 1975 तक की अवधि में 2315 गांवों का विद्युतिकरण हुआ जिसकी तहसील-वार सूची संलग्न है।

(2) पंचायत समिति, मनोहरथाना की कोई ग्रामीण विद्युतिकरण की योजना इस अवधि में नहीं बनी।

(3) जब योजना ही नहीं बनी तो किसी भी ग्राम के विद्युतिकरण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब तक इस क्षेत्र में अधिक विद्युतिकरण उच्च प्रसारण लाइनों के अभाव में करना सम्भव नहीं हो पाया है।

(4) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उक्त बैठक में भाग लिया था और इस क्षेत्र की योजना जल्दी बनाने के बारे में कहा था।

(5) जी नहीं। मण्डल को इस क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना बनाने के सम्बन्ध में दिनांक 13-11-75 को आदेश दिये गये थे। यदि तकनीकी दृष्टि से सम्भव हुआ तो शीघ्र ही यह योजना बन सकेगी।

(6) ऐसा तो नहीं है, कृषि विकास कार्य बिजली के अतिरिक्त भी होता है। शेष प्रश्न का उत्तर प्रश्न 5 वें के उत्तर में दिया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चक 23 बी.बी. में सिंचाई के लिये पानी

169. **श्री गुरदयाल सिंह सन्धु** (करणपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चक 23 बी.बी. (गंग नहर क्षेत्र) जिला गंगानगर में मुरब्बावार (स्क्वायर-वाइज) कितनी कितनी सिंचित भूमि है और उसे कितना कितना नहरी पानी दिया जाता है और इसमें पानी देने का समय प्रत्येक मुरब्बे में कितना कितना है ? इस गांव में कितने पक्की ईंट बनाने के भट्टे हैं और उन्हें कितना कितना पानी दिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि भट्टों की भूमि गैर-मुमकिन व असिंचित क्षेत्र है मगर भट्टों को अतिरिक्त पानी के अलावा उस भूमि पर जो भट्टा क्षेत्र में है (जिनमें भट्टे बने हुए हैं और जिनमें ईंटें बनाई जाती हैं) को भी सिंचित क्षेत्र मानकर उसका पानी भट्टे वाले लगा रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामवासी अपने मोगे (आउट लेट) में से किसी भी

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
भट्टे को पानी नहीं देना चाहते क्योंकि भट्टे वालों को नहर विभाग की साजिश से ज्यादा पानी दिया जा रहा है जब कि एक मुरब्बे को जिसे .04 सी.सी. पानी मिलना चाहिये उससे दुगने से ज्यादा पानी हर भट्टे को मिल रहा है जबकि उनका मोगे में इतना हिस्सा नहीं है ?

(4) क्या यह सही है कि इस गांव की आबादी आसपास के गांवों से कम है ? यदि हां, तो क्या विभाग उन भट्टों को बन्द करेगा ? यदि नहीं, तो क्या उनके लिये अलग से पानी का प्रबन्ध करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) चक 23 बी.बी. (गंग नहर क्षेत्र) जिला गंगानगर में मुरब्बा वार (स्क्वायर वाइज) सिंचित भूमि की सूची संलग्न है। इस चक में कुल सिंचित क्षेत्र 1246 बीघा 17 बिस्वा है और इस चक के नीचे का डिस्चार्ज 2.28 घनफुट प्रति सैकण्ड है। प्रत्येक मुरब्बे को 2.56 घनफुट प्रति सैकण्ड प्रति हजार एकड़ के हिसाब से 0.04 घनफुट प्रति सैकण्ड पानी दिया जाता है। हर मुरब्बे को 2 घण्टे 37 मिनट पानी की बारी दी जाती है। इस चक में 11 बीघे 10 बिस्वे क्षेत्र में स्थित बारी के लिए 0.06 घनफुट प्रति सैकण्ड का डिस्चार्ज, कृषि फार्म के लिए 0.20 प्रति सैकण्ड का डिस्चार्ज और भट्टों के लिए 0.03 घनफुट प्रति सैकन्ड का डिस्चार्ज भी दिया जाता है। इस चक में पक्की ईंट बनाने के 2 भट्टे हैं एक मुरब्बा नं. 46 व दूसरा मुरब्बा नं. 31 में है प्रत्येक भट्टे को 2 घण्टे 26 मिनट पानी की बारी दी जाती है।

(2) भट्टों की भूमि गैर मुमकिन व असिंचित क्षेत्र होती है ऐसे क्षेत्र को भट्टे के निमित्त पानी के अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र का पानी नहीं दिया जाता। मुरब्बा नं. 31 में सिंचित क्षेत्र का पानी भी दिया जा रहा है जिसके विषय में आवश्यक जाँच की जा रही है।

(3) यह सही नहीं है कि ग्रामवासी भट्टे को पानी नहीं देना चाहते। उनकी ओर से इस विषय में कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। स्पष्टतया क्योंकि भट्टा क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र के अतिरिक्त नियमानुसार पानी कीमत जमा करवाकर दिया जाता है और भट्टों के निमित्त डिस्चार्ज जो कि 0.033 घनफुट प्रति सैकण्ड है मोघे के साथ अतिरिक्त पाइप लगाकर दिया जाता है।

(4) चक 23 बी.बी. की आबादी कई चकों से कम भी हो सकती है क्योंकि इस चक के समीप ही पदमपुर मण्डी स्थित होने के कारण अधिकांश लोग मण्डी में ही रहना पसन्द करते हैं। भट्टों को बन्द करने का प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित है। भट्टों के लिए पहले ही सिंचाई विभाग द्वारा अतिरिक्त पानी अतिरिक्त पाइप मोघे के माध्यम से दिया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखिए)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15-1-76)

बीकानेर जिले के गांवों में बारानी भूमि का अलाटमेंट

24. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील कोलायत, लूणकरणसर, बीकानेर व नोखा में किन-किन व्यक्तियों की

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

किस-किस गांव में कितनी कितनी बारानी भूमि 1975 में आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि सीलिंग में प्राप्त हुई भूमि भूमिहीन लोगों को अलाट नहीं करके उन्हीं भू-स्वामियों के परिवार के लोगों को ही अलाट की गई ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ब्योरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15–1–76)

सांचोर-हाड़ेचा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं

29. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर-हाड़ेचा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना द्वारा सब ग्रामों में अब तक पीने के पानी की पूरी सप्लाई नहीं की जा रही है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उक्त योजना के तहत सांचोर के आसपास नए ट्यूब वैल या ओपन वैल्स द्वारा पानी लिया जाकर सब गांवों में पूरा पीने का पानी कब तक सप्लाई किया जा सकेगा ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त योजना में नगरपालिका क्षेत्र सांचोर को पानी सप्लाई की दृष्टि से अलग क्षेत्र करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि गलीफा के सरहद में रामदेवजी के मन्दिर के पास बने हुए हौज में अभी तक जल प्रदाय योजना हाड़ेचा के अन्तर्गत पानी सप्लाई शुरू नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्या विभाग ग्राम गलीफा में बने हौज में पानी न देकर उसी लाइन को रामदेवजी के स्थान पर सार्वजनिक हौज में उसी लाइन को निकाल कर उक्त स्थान को जोड़ना उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

(4) सांचोर तहसील की देहड़ा-भाव वगैरह ग्रामों की क्षेत्रीय नल योजना, सांकड़ पालड़ीपुर क्षेत्रीय जल योजना एवं सील-गोलासण वगैरह क्षेत्र जल योजनाओं की क्रियान्विति कब तक की जाकर इसके अंतर्गत आए हुए ग्रामों में पानी सप्लाई शुरू करवा दी जावेगी ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करावें।

(5) तहसील सांचोर में क्षेपड़ खारे पानी के क्षेत्र में स्वच्छ मीठे पानी की सप्लाई की व्यवस्था सरकार कब तक कर सकेगी ? इस क्षेत्र में कौनसी योजनाओं का अब तक सर्वेक्षण किया गया है एवं उन योजनाओं की मंजूरी कब तक करवा दी जावेगी ? इस क्षेत्र के कुल ऐसे कितने ग्राम हैं जहां पीने के पानी का गम्भीर संकट है एवं इससे लोग बीमारियों

Page No 44

(४४)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
से ग्रस्त रहते हैं ? इन ग्रामों में पीने के पानी का संकट कब तक दूर किया जावेगा ?

(6) तहसील सांचोर में अन्य कितने ग्रामों में पीने का मीठा पानी उपलब्ध नहीं है ? उन ग्रामों में क्षेत्रीय जल योजनाओं द्वारा कब तक स्कीमें मंजूर की जाकर पीने के पानी का संकट दूर कर दिया जावेगा ? किन ग्रामों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हाथ में ली जा रही हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं, सभी ग्रामों में पानी वितरण किया जा रहा है। किन्तु पानी इस समय केवल एक ही नलकूप से प्राप्त किया जा रहा है, अतः पानी पूरी मात्रा में वितरण नहीं किया जा पा रहा, इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक अन्य नलकूप सांचोर-गोलिया में भू-जल विभाग द्वारा खोदे जाने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(2) इस विषय में प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं जिनकी जांच होने के उपरान्त इस विषय में निर्णय लिया जावेगा।

(3) रामदेव जी के मन्दिर के पास विभाग का कोई होज नहीं है। उक्त पंचायत समिति के होज को विभाग द्वारा जोड़ने का कोई विचार नही है।

(4) तीनों क्षेत्रीय जल योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यानुसार कार्य हो रहा है व क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना सीलू छजारा में, सीलू एवं भावे हेमागुड़ा में, भाव में पानी दिया जा चुका है व सांकड पालडीपुर के ग्राम गुंदाऊ काबुल की ढाणी भीरपुरा एवं खारा में इस साल में पानी चालू हो जावेगा बाकी के ग्रामों के लिए बजट का प्रावधान इस साल में नहीं है। अगले वित्तीय वर्ष में इन्हें चालू किया जा सकेगा।

(5) समस्त क्षेत्र का मास्टर प्लान बना लिया गया है समस्त ग्रस्त क्षेत्रों का समाधान जिला आयोजना समिति के प्रस्तावानुसार धन की उपलब्धि के अनुसार किया जा सकेगा।

(6) तहसील सांचोर में लगभग 60 ग्राम ऐसे बाकी हैं जहां खारा पानी है। नई योजनाएं जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार व धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत की जा सकेंगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15–1–76)

लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र में भूतपूर्व न्याय पंचायतों के लेखकों के बकाया वेतन का भुगतान

33. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लालसोट (जयपुर) पंचायत समिति क्षेत्र में भूतपूर्व न्याय पंचायतों के किन किन लेखकों का कितना कितना वेतन बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त भुगतान के बारे में राज्य सरकार ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसे लेखकों को

Page No 45

(45)

(श्री मीठालाल मीणा)
ग्राम पंचायतों के क्लर्कों अथवा अन्य नौकरियों में कोई प्राथमिकता देगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस संबंध में नीति निर्णय शीघ्र लिया जा रहा है।

(सूची के लिए परिशिष्ट–4 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15-1-76)

पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र में प्राथमिक पाठशालाओं की व्यवस्था

34. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र में प्राथमिक पाठशालाओं की व्यवस्था ठीक नहीं है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो इस क्षेत्र में कुल कितनी प्राथमिक पाठशालाएं हैं ? इनमें से कितनी पाठशालाओं के भवन बने हुए हैं एवं कितनी पाठशालाओं में भवनों का अभाव है ? सूची मय नामों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त प्राथमिक पाठशालाओं में से कितनी पाठशालाएं शिक्षकों के अभाव में कब से बन्द पड़ी हैं ? सूची मय नाम के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उक्त पाठशालाओं में से कितनी पाठशालाओं में लड़कों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों का अभाव है ? सूची मय नाम के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उक्त पाठशालाओं के भवनों का निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा ? उक्त पाठशालाओं में शिक्षकों का अभाव कब तक दूर कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में इस वर्ष एक भी नई प्राथमिक पाठशाला नहीं खोली गई ? अगर हां तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि ग्राम नलदरा में ग्रामवासियों की तरफ से पाठशाला भवन एवं शिक्षक के रहने का मकान काफी अर्से पहले से बनवा दिया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि पहले कुछ समय तक पंचायत समिति द्वारा एक शिक्षक भी लगाया गया था ? अगर हां, तो कब एवं कितने समय तक ? उक्त शिक्षक फिर उक्त पाठशाला से क्यों हटाया गया ? अब दुबारा उक्त पाठशाला में शिक्षक कब तक लगवा दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पंचायत समिति में कई पाठशालाओं में ब्लेक बोर्ड एवं टाट पट्टियां एवं कई आवश्यक सामान भी उपलब्ध नहीं हैं ? अगर हां, तो कितनी पाठशालाओं में कब से उक्त सामान की कमी है ? उक्त सामान की सप्लाई उक्त पाठशाला में कब तक करवा दी जावेगी ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करावें। उक्त सामान की कमी वाली पाठशालाओं की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(5) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में नेयड क्षेत्र में स्थित कई पाठशाला भवन अत्यधिक बाढ़ के कारण नष्ट हो गये थे ? अगर हां, तो कब व कितनी पाठशालाओं के भवन बाढ़ में बह गए थे ? उन भवनों का पुर्ननिर्माण किसके द्वारा कब करवाया गया ? सरकार द्वारा उक्त भवनों के निर्माण के लिये क्या सहायता दी गई है ? उक्त पाठशाला भवनों का पुनः निर्माण अब तक नहीं करवाया गया है तो फिर कब तक करवा दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) हां यह सत्य है कि शाला भवनों की दृष्टि से पंचायत समिति, सांचौर क्षेत्र में प्राथमिक पाठशालाओं की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस पंचायत समिति में 126 शालाएं हैं। इनमें से 115 शाला भवन बने हुए हैं। अधिकांश शाला भवन कच्ची ईंटों के बने हुए हैं जिन पर खपरेल एवं लोहे व सीमेन्ट के चद्दर चढ़े हैं। 14 निम्न ग्रामों में पाठशाला भवनों का अभाव है:—

1–खासरवी 2–जेरोल 3–करावड़ी 4–जाजसन 5–साकरिया 6–आकोड़िया 7–बेड़िया 8–पलादर 9–भवातड़ा 10–बारेली 11–धरनावास 12–क्यासियों की की ढाणी 13–चारणी 14–पादरली (माली-की ढाणी) डूटवा।

(2) इस पंचायत समिति हेतु 139 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं एवं सभी पद भरे हुए हैं शिक्षकों के अभाव में निम्न 7 शाला बन्द पड़ी हैं :—

1–निभाऊ 2–वर्ष से बन्द है।

2–ईटावा दिसम्बर, 75 से बन्द है।

3–बेड़िया 22–1–75 से बन्द है।

4–आकोडिया 22–1–75 से बन्द है।

5–चारणीय–दिसम्बर, 75 से बन्द है।

6–साकरिया वर्ष भर से बन्द है।

7–पादरड़ी ईटावा दिसम्बर, 74 से बंद है।

48 शालाओं में लड़कों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की कमी है जिसकी सूची संलग्न है। 53 नये पदों की स्वीकृति हेतु मांग की गई है। मांग की पूर्ति होते ही उक्त शालायें पुनः खोल दी जावेंगी। बेड़िया, अकोडिया, भाटणीम व साकरिया में शाला भवनों का अभाव है। राज्य सरकार से राशि मिलते ही तुरन्त बाद भवन बना दिया जायेगा।

(3) जी हां। शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों के नवीन पद सृजित न किये जाने के कारण नई प्राथमिक पाठशालायें खोला जाना सम्भव नहीं हो सका है। यह सही है कि नलदरा ग्रामवासियों के द्वारा एक कच्चा भवन शाला हेतु बनाया गया है।

नलदरा ग्राम में प्राथमिक पाठशाला चालू किये जाने के लिये शिक्षा विभाग से मांग की गई थी किन्तु स्वीकृति के अभाव में पाठशाला नहीं खोली गई। शिक्षा विभाग से स्वीकृति प्राप्त होते ही पाठशालायें आरम्भ करदी जायेंगी।

(पंचायत एवं विकास मंत्री)

(4) जिन पाठशालाओं में ब्लैक बोर्ड एवं टाटपट्टियों आदि सामान की कमी थी उनके लिए पंचायत समिति द्वारा सामान क्रय कर लिया गया गया है। यह सामग्री इन पाठशालाओं में शीघ्र ही भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। निम्न पाठशालाओं में सामान की कमी बताई गई है :—

1. जेरोल 2. बन्ना की ढाणी 3. पनाणा 4. मारूखेड़ा 5. काछेला 6. छजारा 7. लाछीवाड़ा 8. सरावा 9. दुगाव 10. अगड़ावा।

(5) जी हां। निम्नांकित पाठशालाओं के भवन बाढ़ के कारण नष्ट हो गये थे:—

1. धरनावास 2. वोरली 3. कपासियों की ढाणी 4. घाटणीम 5. पादरड़ी 6. खेजड़याली।

उपरोक्त स्थानों में से खेजड़याली को छोड़कर कहीं भी शाला भवन नहीं बने हैं। खेजड़याली में शाला भवन ग्राम वासियों द्वारा चन्दे से बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा उक्त भवनों के लिए कोई सहायता नहीं दी गई है। राशि उपलब्ध होते ही शाला भवन बनवा दिये जावेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16–1–76)

जालोर जिले में सीलिंग कानून के अन्तर्गत प्राप्त भूमि का आवंटन

52. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में सीलिंग कानून (नया एवं पुराना दोनों के अन्तर्गत) के अन्तर्गत काफी जमीन निकली है? अगर हां, तो दोनों कानूनों के अन्तर्गत कहां कहां पर कितनी कितनी भूमि भूमिधारियों की निकाली गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि सीलिंग कानून के अन्तर्गत निकाली गई भूमि का आवंटन भूमिहीन काश्तकारों में पूरा अभी तक नहीं किया गया है? अगर हां, तो क्यों? आवंटन का पूरा कार्य कब तक करवा दिया जायेगा?

(3) क्या यह भी सत्य है कि सीलिंग कानून के अन्तर्गत निकाली गई आवंटित जमीन का वास्तविक कब्जा भूमिहीन काश्तकारों को कई स्थानों पर अभी तक नहीं दिया गया है? अगर हां, तो कहां कहां पर एवं क्यों? अब उनका कब्जा कब तक करा दिया जावेगा? ऐसी आवंटित भूमि का अनुसूचित जाति एवं जन जाति, कृषि श्रमिकों एवं अन्य छोटे काश्तकारों को किस अनुपात से आवंटन किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सत्य है कि सीलिंग कानून के तहत एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत जिला जालोर में हजारों मामले पैंडिंग हैं? अगर हां, तो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
किस किस तहसील के कितने कितने किस किस/के मामले कब से पेंडिंग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करावें। उनका निपटारा कब तक करवा दिया जावेगा ?

(5) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में विशेष रूप से नेपड क्षेत्र में भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि का वास्तविक कब्जा सैंकड़ों मामलों में अभी तक नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उनका कब्जा कब तक दिलवा दिया जावेगा ?

(6) क्या यह सत्य है कि नेपड क्षेत्र का तरमीम कार्य ज्यादा होने से ठीक तरह से लैण्ड रिकार्ड तैयार नहीं हो पाया है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या सरकार अब तरमीम के लिये विशेष सैटलमेंट की पार्टी भिजवा कर तरमीम कार्य शीघ्र करवा कर लैण्ड रेकार्ड शीघ्र ठीक करवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(7) क्या यह भी सत्य है कि नामान्तरकरण के हजारों मामले जिला जालोर की तहसीलों में काफी अर्से से पैंडिंग पड़े हैं ? अगर हां, तो कहां कहां पर कितने कितने मामले निपटाने शेष हैं ? उनका निपटारा कब तक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, जालोर जिले में पुराने एवं नये सीलिंग कानून के तहत तहसीलवार भूमि के अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये हैं:—

नाम तहसील	पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत क्षेत्रफल (एकड़ में)	नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत क्षेत्रफल (एकड़ में)
जालोर	4770	1626
आहोर	19405	356
भीनमाल	4083	554
सांचोर	3236	823
योग	31494	3359

(2) जी हां। समस्त अतिरिक्त घोषित भूमि को अभी कब्जे में नहीं लिया गया है। आवंटन के मार्ग में एक कठिनाई यह भी है कि भूमिधारियों द्वारा आप्शन में जो भूमि दी गई है वह सबसे निम्न श्रेणी की है। उसमें काफी भूमि रेतीली व ऊबड़-खाबड़ होने की वजह से बार-बार प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित करने पर भी लोगों द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। जो भूमि आवंटन योग्य है उसका आवंटन माह फरवरी, 1975 के अन्त तक कर दिया जावेगा।

Page No 49

(५१)

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां, कुछ ऐसे मामले हैं। इस प्रकार के मामले तहसील आहोर के ग्राम जोड़ा, तहसील भीनमाल के ग्राम सीणधरा, नरराणा, दासपा, चान्दूर एवं रामसीण, तहसील सांचोर के ग्राम भाटकी, काछेला, केरिया, भगड़वा, खाम्पराई, नीम्बाऊ, भनखोल, रामपुरा, रणोदर, हरियाली एवं भाव में है।

कब्जा देने के मार्ग में निम्न कठिनाइयां आई हैं:—

(1) जालोर उपखण्ड के तहसील आहोर के मामले में राजस्व अपील अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है।

(2) भीनमाल उपखण्ड की सांचोर तहसील में आवंटन माह दिसम्बर में हुआ है। इससे कब्जा लेने में विलम्ब हुआ है।

(3) भीनमाल तहसील में माह जनवरी, 1976 में आवंटन होने से आवंटियों द्वारा आवंटित भूमि की निर्धारित कीमत जमा नहीं कराई गई जिससे कब्जा देना शेष है। अब कब्जा देने का शीघ्र प्रयास किया जावेगा। भूमि आवंटन में विभिन्न वर्गों का प्रतिशत निम्न प्रकार है:—

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य
21 प्रतिशत	12 प्रतिशत	57 प्रतिशत

(4) जालोर जिले में पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत 37 मामले तथा नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत 69 मामले हैं। इस प्रकार कुल 106 मामले विचाराधीन हैं। धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में 1467 मामले विचाराधीन हैं। उपरोक्त समस्त मामलों का तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है:—

सीलिंग कानून के तहत विचाराधीन मामले:—

नाम तहसील	नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत	पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत	योग
जालोर	9	5	14
आहोर	14	18	32
भीनमाल	34	11	45
सांचोर	12	3	15
	योग: 69	36	106

(राजस्व मंत्री)

धारा 91 के अन्तर्गत विचाराधीन मामले :—

नाम तहसील	छः माह से कम	एक वर्ष से कम छः माह से अधिक	एक वर्ष से अधिक दो वर्ष से कम	दो वर्ष से अधिक तीन वर्ष से कम	तीन वर्ष से अधिक	योग
जालोर	441	171	54	30	19	715
आहोर	121	28	40	–	–	189
भीनमाल	141	19	12	4	3	179
सांचोर	201	116	28	24	15	384
योग :	904	334	134	58	37	1467

(5) जी हां । नेहड़ क्षेत्र में 925 व्यक्तियों को मौके पर तरमीम कार्य नहीं होने से आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया जा सका है । अब शीघ्र ही तरमीम कार्य कर कब्जा दलाने की कार्यवाही जारी है ।

(6) नेहड़ क्षेत्र में 29 ग्रामों में तरमीम कार्य बहुत बाकी है । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जावेगी ।

(7) जी नहीं । केवल 279 मामले विचाराधीन हैं । जिनका तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम तहसील	दो माह से कम	दो माह से अधिक छः माह से कम	छः माह से अधिक एक वर्ष से कम	योग
जालोर	55	–	–	55
आहोर	97	4	2	103
भीनमाल	34	–	–	34
सांचोर	75	12	–	89
योग :	261	16	2	279

इन समस्त विचाराधीन नामान्तरकरणों का निपटारा माह फरवरी, 1976 के अन्त तक कर दिया जायेगा ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16-1-76)

अलवर जिले में भूमिहीनों को काश्त की भूमि का अलॉटमेन्ट

53. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में बीस सूत्री कार्यक्रम में भूमिहीनों को काश्त की जमीन अलॉट करने के विशेष अभियान में किस-किस चुनाव क्षेत्र या तहसील से कितनी-कितनी जमीन अलाट की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इस अलॉट की हुई जमीन में से किस-किस तहसील से किस-किस को अलॉट की हुई जमीन किस कारण से कैन्सिल कर दी गई ? कृपया सूची मय आज्ञा की प्रति के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त अलॉट की हुई जमीन में से किस-किस अलोटी को कैन्सिल करने के नोटिस किस-किस बिना पर दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) अलाटमेन्ट तहसीलवार किया गया है जो निम्न प्रकार है :—

अलवर	8827
रामगढ़	7132
राजगढ़	10956
लक्ष्मनगढ़	8591
थानागाजी	10383
किशनगढ़	11627
तिजारा	8973
मुन्डावर	8656
बहरोड़	7128
बानसूर	6310
योग :	88584 बीघा

(2) तहसील बहरोड़ के एक मामले में आवंटी की अपात्रता के कारण किए गए एक आवंटन के निरस्तीकरण के अतिरिक्त अभी तक और कोई आवंटन निरस्त नहीं किया गया है।

(3) 9 तहसीलों के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों की जांच से ज्ञात हुए अनियमित आवंटनों को कैन्सिल करने के नोटिस जारी किये गये हैं जिसकी सूचियां तहसीलवार विवरण सहित संलग्न हैं। तहसील बानसूर के अनियमित आवंटनों के बारे में जांच कार्यवाही जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति 1969-70 का बारहवां व तेरहवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्रीमती प्रभा मिश्रा।

श्रीमती प्रभा मिश्रा (सभानेत्री, जनलेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं, जन लेखा

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

समिति 1975-76 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन को उपस्थापित करती हूं :—

(1) जनलेखा समिति 1969-70 के आठवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों के परिपालन हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित बारहवां प्रतिवेदन।

(2) अजमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड, सहकारी बाजार, अजमेर से संबंधित तेहरवां प्रतिवेदन।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का तृतीय प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री शोभाराम।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं, सदस्य अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 1975-76, समिति के तृतीय प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं।

अध्यक्षीय घोषणा

कार्य सूची में दिये गये विषयों पर विचार के लिए समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष : एक बात मैं सदन से जानना चाहता था। आज सप्लीमेन्टरी की ग्रान्ट्स और एक्सेस ग्रान्ट्स भी है। तो प्रोसीजर क्या हो, दोनों को अलग-अलग लें, पहिले सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स ले लें और उसके बाद एक्सेस ग्रान्ट लें और उसके बाद बुलेटिन का प्रयोग करें। इस पर आपकी मर्जी क्या है या इन दोनों को एक साथ ले लें या एक साथ ही सब पर विचार कर लिया जाये, एक साथ ले लें।

कई माननीय सदस्य : एक साथ विचार कर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : तो ठीक है।

आज की कार्य सूची में रखे गये कार्यक्रम पर वाद विवाद पर चर्चा की सुविधा हेतु समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया गया है :—

(1) राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता समापन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं पारण हेतु 3 बजे तक का समय रखा गया है।

(2) अनुपूरक अनुदान की मांग 1975-76 (प्रथम संकलन) और अतिरेक अनुदान की मांग 1970-71 एक साथ ही प्रस्तुत की जायेगी व इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव भी एक साथ ही प्रस्तुत किये जायेंगे। मंत्री महोदय एक साथ ही कटौती प्रस्तावों का उत्तर चार बजे देंगे। 4-30 बजे मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर इन मांगों को मतदान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) तत्पश्चात् राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1976 और राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976 पर विचार होगा।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता समापन) विधेयक, 1976

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता समापन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये।

Page No 53

(53)

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता-समापन) विधेयक, 1976 को एक सप्ताह/एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परि-चालित किया जावे।"]

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अनुसूचित ऋणी विधेयक, 1976 की जैसे ही घोषणा मंत्री महोदय ने की है, उस सूचना से सारे राजस्थान में एक हर्ष की लहर दौड़ गयी है और हजारों लाखों की तादाद में जो लोग बन्धन में बंधे हुए थे उससे मुक्त हो गये हैं।

(12.02 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक तरफ से यह सुख की बात है। यह एक प्रगतिशील कदम है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। यह भी हमारे 21 सूत्रीय कार्यक्रम का एक अंग है। इस दिशा में पहले भी एक साल के लिए इनके ऋण के भुगतान को रोका था। अब उन्हें बिलकुल ही ऋण मुक्त करने की घोषणा की जा रही है और इस कानून को ला रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार को बधाई है। इसके साथ ही साथ मंत्री महोदय को, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुराने दस्ता-वेज के आधार पर लोन था, जिस तरह से लोगों के ऊपर लिखा पढ़ी करवा ली गयी थी, भूमि या और कोई चीज बंधक रखवा ली थी वे दस्तावेज बनाये जा रहे हैं। पहले तो यह कानून था कि लिखा पढ़ी कायदे के मुताबिक नहीं होती थी, रजिस्ट्री नहीं होती थी तो दस गुना तावान देकर या पन्द्रह गुना तावान देकर, उसकी रजिस्ट्री मान ली जाती थी। इस प्रकार के दस्तावेजों के ऊपर आपके जिला मुख्यालयों के ऊपर लोग दस्तावेज कर रहे हैं जिनका प्रगटीकरण सरकार को पहले नहीं हुआ था, अब लोग उसको प्रकट कर रहे हैं और उनको सही मानते हुये पुराने दस्तावेजों का नामान्तरकरण कर रहे हैं। इससे जो ऋणी को सरकार मुक्त कर रही है, मैं समझता हूं कि ऋण मुक्ति के साथ जो उनका पुराना ऋण है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनके जिम्मे रह जाता है और इस प्रकार वे ऋणी के ऋणी रह जायेंगे। इसका कोई प्राविजन इसमें नहीं है। वह किया जाना चाहिये। इस पुरानी लिखा पढ़ी को, उनके ऊपर पेनल्टी लगाकर दस्तावेज इस प्रकार से लें और उसको सही मान लिया जाये-तो इनको गैर कानूनी करार दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अमूमन इस प्रकार की लिखा पढ़ी गांवों में छोटी बहियों में या प्रोमेजरी नोट में की जाती है। इस प्रकार के दस्तावेज, लेन देन करने वाले लोग लाखों की तादाद में गांवों के अन्दर हैं और लाखों की तादाद में लोगों का नुकसान हो रहा है। करोड़ों की प्रोपर्टी को इधर उधर किया जा रहा है। इसलिए इससे भी लोगों को बचाने की कृपा करें, यह मेरा निवेदन है।

एक दूसरा निवेदन यह है कि धारा 3 के तहत आपने ऋण मुक्त किया परन्तु

(श्री दीपंकर)

स्वयं सरकार इससे पीछे हटना चाहती है। वह अपना ऋण, बैंक का ऋण, कोआपरेटिव सोसाइटी का ऋण, उसका जिम्मा आप नहीं लेना चाहते हैं। अगर मुक्ति दे रहे हैं, कम से कम वह नये सिरे से जिन्दगी शुरू करें, इसके लिये राज्य सरकार को भी घाटा उठाना चाहिये, जिस प्रकार से प्राइवेट लेने देने वाले आदमी को पैसे नहीं लेने दे रहे हैं, उसको पैसा नहीं देना चाहते हैं, जो उसके ऋण की समाप्ति आप इस कानून के जरिये कर रहे हैं ताकि किसी तरह से वह अपना जीवन यापन नये सिरे से करें तो उसी तरह से बैंक का जो ऋण उसने लिया है, राज्य की किसी अन्य एजेन्सी से ऋण लिया है, और उन एजेन्सियों का उल्लेख है, यह माना गया है कि इन एजेन्सियों का लोन उसको चुकाना होगा। मेरा निवेदन है कि सरकार इसको भी हटा ले। सरकार ने जब इतनी उदारता बरती है, दूसरों के लिये हुए प्राइवेट लोन की वसूली को रोक रहे हैं तो सरकार खुद भी अपने लोन की वसूली नहीं करे। सरकार अकाल में पैसा खर्च करती है, सरकार घाटा उठाती है, बाढ़ आने पर पैसा खर्च करती है, भूकम्प आ जाने पर सरकार लोगों को राहत देती है, ऐसे वक्त पर सरकार लोगों को राहत देने के लिए पैसा खर्च करती है तो जब नीचे गिरे हुए तबकों के लोगों को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उसको सब प्रकार के ऋणों से पूर्ण मुक्ति प्रदान की जानी चाहिये। आप दूसरों के लोन को तो लेने नहीं देंगे परन्तु आप अपना लोन जरूर लेंगे। एक तरह से होना तो यह चाहिये था कि चाहे सहकारी बैंक का लोन हो, सहकारी समिति का लोन हो, या किसी सरकारी बैंक का लोन हो, कोई भी तरह की सरकारी एजेन्सी हो, उन तमाम की देनदारी सरकार अपने ऊपर लें और सरकार इस देनदारी को लेती है और इस तरह से इन लोगों को ऋण मुक्त कर देती है तो ये लोग सही मायने में मुक्ति पायेंगे और एक नये सिरे से अपने जीवन को प्रारंभ करेंगे। सरकार को एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिये अन्यथा सरकार की तरफ से सरकार के आदमी तो इन लोगों को डराते ही रहेंगे। एक का डराना तो बंद हो गया परन्तु दूसरे का डर तो बना हुआ है। आज भी पटवारी वहां पर मौजूद है अमुक अमुक बैंक की किश्तें लेने के लिये, दूसरी सरकारी एजेन्सी की किश्तें हैं, उसने हर जगह से पैसा लिया है। बैंक की या अन्य एजेन्सीज की जो बाकी जिम्मेदारियां हैं, उन से एक बार आप उनको मुक्त कर दें, इसके लिए आपको उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

एक आपने यह रखा है कि गांव के जो शिल्पी होंगे या जो सीमान्त कृषक हैं या इस तरह के ऋणी हैं अनुसूचित जाति के हैं, उसको प्रमाण-पत्र देना होगा। आपने नायब तहसीलदार, तहसीलदार को यह प्रमाण-पत्र देने का अधिकार दिया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रमाण-पत्र जो देने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने आज भी रजिस्ट्री कराते वक्त पैसा बांध रखा है, पेशी कराने के लिए पैसे लेते हैं, नोटिस तामील कराने के लिये और न कराने के लिए पैसा लेते हैं। इस तरह से प्रमाण-पत्र भी बिकने लग जाएंगे। तहसील हेडक्वार्टर पर आप क्या यह पसन्द करेंगे

(श्री दीपंकर)

कि एक तरफ तो आपने यह मुक्ति दी और दूसरी तरफ गांव का कोई सीमान्त कृषक, गांव का बिल्कुल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ऋणी एक प्रमाण-पत्र के लिए भटकता फिरे। तहसील में बिना 5, 10 या 20 रुपये जैसी हैसियत होगी, जैसी मर्जी होगी जिस तहसील में जिस दर का रिवाज होगा वह उसको देना पड़ेगा और वहां पर इसके एजेन्ट बन जायेंगे। प्रमाण-पत्र में बड़ी भारी दिक्कत पैदा हो जायगी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब इतना उदार दृष्टिकोण सरकार का है तो यह दृष्टिकोण और कर लिया जाय कि जिस तरह से विकास अधिकारी को समाहित किया है बहुत से कामों में उसी तरह से कम से कम सरपंच को इसमें ले लें। वह गांव का रहने वाला है। उसकी नालेज में है कि कौन शिल्पी है, क्या धन्धा करता है, कौन अनुसूचित जाति का है। वह सरपंच का प्रमाण-पत्र ले ले और पंचायत का प्रमाण-पत्र ले ले। जब पंचायत को हमने अपने लोकतंत्र की बेसिक इकाई माना है और संविधान में उसको रखा है तो उसको क्यों न रखें ताकि उसको इसके लिए इधर-उधर भटकना न पड़े। जब पंचायत को आप एक इकाई मानते हैं, जब आप उसको न्याय करने का अधिकार देते हैं, जब आप सब तरह से उसको संविधान में संज्ञा देते हैं तो मैं समझता हूं कि पंचायतों को महत्व देना चाहिए न कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार या दूसरे किसी व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को देने से निश्चित तौर से वह जिस प्रकार से यह प्रमाण-पत्र लेने जायगा तो प्रमाण-पत्र के लिए उसको कोई न कोई किश्त अदा करनी पड़ेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री दीपंकर : कर रहा हूं।

पहले आपने यह तय कर लिया था कि एक साल के लिए रोक दिया जाय। चूंकि अब एक साल का सवाल नहीं उठता है और आपने अपनी तरफ से सिद्धान्त यह माना है और आपने अपनी तरफ से ऋण-मुक्ति का पूरी तरह से यह कर दिया है और दूसरी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, कोई एजेन्सी दूसरी उनको ऋण देने की नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर से गांव के व्यक्ति का जीवन जिस तरह से चलता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, फसल के टाइम पर उसको बीज चाहिए, बैल चाहिए, कपड़ा चाहिए और धन्धा करने के लिए कुछ चाहिए तो उसकी पैसे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, धन की कोई न कोई व्यवस्था उसके लिए आवश्यक है। वह सामाजिक प्राणी है, चाहे छोटे रूप में उसका जीवन बीतता है फिर भी छोटा-मोटा कोई न कोई फन्क्शन उसके यहां होता रहता है, जिसमें 100, 200 या 500 रु. की आवश्यकता हो तो वह कहां से लाये ? उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे तुरन्त रूप से तो और आप यह घोषणा कर दें और हम भी गांवों में जाकर यह घोषणा कर दें कि किस तरह से भारत सरकार की तरफ से यह एक बैंक खोला गया है तो लोग

(श्री दीपंकर)

कहेंगे कि हमारे क्या काम का ? सरकार क्या अपनी किसी एजेन्सी के जरिये कम ब्याज पर या बिना ब्याज के सीधी किश्तों पर, सरल तरीकों से पैसा दिलवा सकती है ? नहीं खुलवा सकती है तो आपने यह घोषणा कर दी कि ऋणों का निपटारा किया जा सकेगा तो निपटारे के अन्दर बहुत सारे लोग जो दबे हुए हैं वह अदालतों में जायेंगे। बजाय ऋण-मुक्ति दिलाने के आपने इतने दिनों से उनको रोक रखा है तो वह लोग उनके पास जायेंगे और प्राइवेट में उनसे सौदा तय होगा। वह कहेंगे कि ऋण-मुक्ति कर दी तो अब पैसा कहां से लाओगे तो वह लोग उनको जवाब नहीं दे सकेंगे। जब तक बोहरों को जवाब देने के लायक हस्ती आप उनमें पैदा नहीं करते हैं तो उनकी मजबूरी होगी। सरपंच से पूछेंगे तो वह जवाब नहीं दे सकेगा, प्रधान उनको जवाब नहीं दे सकेगा, एम. एल. ए. जवाब नहीं दे सकता है और सरकार के अधिकारी जवाब नहीं दे सकेंगे कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था है। तो फिर प्राइवेट तौर से यह धन्धा चलता रहेगा और ऋणी उनसे यही कहेगा कि आप हमारे मालिक और हम आपके चाकर। जब तक वैकल्पिक रूप से उस व्यक्ति को कोई मुक्ति का साधन, उस व्यक्ति को समाज में ऊंचा उठाने की सुविधाएं, उसके जीवन यापन का साधन आप नहीं देते हैं तब तक यह आपका कानून पूरा नहीं है।

एक अन्तिम बात मैं कहता हूं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अंग्रेजों के वक्त के अन्दर, चांद करण शारदा, एक एम. पी. थे जिन्होंने कि शारदा एक्ट बनवाया था कि छोटे बच्चों की, नाबलिग बच्चों की शादी नहीं होना चाहिए, परन्तु वह एक्ट बन जाने के बाद फोर्स में नहीं आया। अंग्रेजों का राज्य भी चला गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति को ही 25 वर्ष से अधिक हो गये, संविधान को लागू हुए 25 वर्ष पूरे हो गये और उसकी हम रजत जयन्ती मनाने वाले हैं, लेकिन शारदा एक्ट को लागू होने के इतने वर्ष के बाद भी हम एक एक बालिश्त के छोरों को बींद बने हुए घोड़ों पर बैठे हुए घूमते हुए देखते हैं। उसको पुलिस देखती है, सरकार देखती है और जन-प्रतिनिधि देखते हैं। तो ऐसे कानून का कोई मकसद नहीं होगा जब तक कि सही मायने में कोई उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था न की जायगी, ऐसी वांछनीय स्थिति आप पैदा न करें। आप अगर नहीं कर सकते हैं तो इसको न करें सस्ती वाह-वाह लूटने के लिए। बाद में, थोड़े दिनों के बाद में गालियां खाने के लिए तैयार मत होइये। आपने लोगों में विश्वास पैदा किया और उस विश्वास के आधार पर यहां पर बहुमत में बैठे हुए हैं। उस आशा और विश्वास को गिराने वाला ही नहीं बल्कि जूते मारने वाला वातावरण नहीं बनने देना चाहिए। इसलिए यह जो कमी रही है उसकी पूर्ति करवाने के लिए कृपा करेंगे। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि यह कमी रह गई है इसलिए मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय ताकि जो ऐसी पैसा देने वाली एजेन्सी है उससे सरकार एग्रीमेंट करे और फिर जनता के सामने, आपके सामने नये सिरे से प्रस्ताव पेश करे, या और किसी तरह से सिलेक्ट कमेटी राय दे या और किसी तरह से आप स्वयं सोच

(श्री दीपंकर)

सकें आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था दें, अन्यथा यह आपका अधूरा है। उनकी मुक्ति नहीं होगी, बल्कि और गाढ़ापन आ जायेगा। इसलिए समाजवादी व्यवस्था के लिए यह लाजिमी तौर पर हो। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) यह समाज के व्यक्तियों को खरीदने का कानून बन रहा है यह बहुत अच्छा है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था न हो तो यह अधूरा है। यह कमी रह गई है। अगर आप इसको बाद में लाना चाहते हैं या आपकी क्या मर्जी है? बिल्कुल स्पष्ट चीज तो सामने आये ताकि हम गांवों में जाकर यह कह सकें कि सरकार मजबूर है। उसके पास पैसा नहीं है। आप विश्व बैंक से राजस्थान नहर बनाने के लिए पैसा ले सकते हैं, कृषि उद्योग निगम से आप पैसा ले सकते हैं, बीमा निगम से पैसा ले सकते हैं मकान बनाने के लिए, तो क्या वजह है कि इन गरीब तबके के लोगों के लिए जिनकी आप ऋण-मुक्ति चाहते हैं उनके लिए जो कुछ करोड़ रुपये चाहिए उनकी आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? अगर यह आपकी मजबूरी है तो आपका यह संगठन अधूरा-है, और उसका समाज के ऊपर बहुत बुरा असर होने वाला है। हम यह समझते हैं कि इससे गरीब लोग और दूर चले जायेंगे, जिनकी आस्था हम पर आज तक रही है, जिनकी बदौलत हम यहां पर आये हैं वह हम से सदा सदा के लिए दूर चले जायेंगे। फिर यदि बाद में पैसा भी लेकर जायेंगे तो वह कहेंगे कि तुम झूठे हो। वह लोग उनसे कहेंगे कि यह कल तुम्हारा मकान कुर्क करा लेंगे और इस तरह का वह वातावरण बना देंगे। वह बड़े सजग हैं। इसलिए उनका अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए आप वैकल्पिक व्यवस्था जरूर रखें। वह इसमें नहीं है। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित ऋणी (ऋणिता-समापन) विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने यह कहा कि जब तक आज जो ऋण लेने वाला है उसकी हालत ऐसी न कर दी जाय कि ऋण लेने के लिए वह एक इन्डीजिनस बैंकर के पास नहीं जा सके, और सरकारी एजेन्सी से ऋण प्राप्त करके अपने जीवन को पूरा कर सके, तब तक यह कानून अधूरा है। इसमें दो राय नहीं है कि गरीबी को मिटाने की तरफ यह एक प्रगतिशील कदम है, और जो छोटे काश्तकार हैं, जो विलेज आर्टीजन्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, और जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि पहले का ऋण चुकता करने के बाद आगे से ऋण न लें, उन लोगों के ऋण समाप्त किये जाने चाहिए। लेकिन उनके जीवन को पूरा करने का जहां पर सवाल आता है, जिनको जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है, उनके लिए जब तक कोई दूसरा प्रावधान न हो तब तक इस कानून से बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिलने वाला है।

लेकिन इसके साथ-साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की परम्परा डाली जाय कि पहले जो ऋण

(श्री विजयसिंह राठौड़)

लिया है उसको आप समाप्त कर दें और फिर दूसरा ऋण जो सरकार दे उसको जिस काम के लिये ऋण दिया गया है उसी काम में वह खर्च करें और दूसरे फालतू काम में खर्च न करे नहीं तो वह फिर दुबारा उसको चुका नहीं पायेगा और नहीं चुकाने की वजह से यह परम्परा पड़ जायगी कि राज्य को उससे भी छुड़ाना पड़ेगा और वह यह सोचेगा कि पैसा मिल गया है तो किसी में भी खर्च कर दो, क्योंकि राज्य तो ऋण को छुड़ाता रहता है। इसलिए यह परम्परा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन जब हम दूसरी योजनाओं पर खर्च कर पाते हैं तो उनको एक बार ऋण मुक्त कर दें ताकि आगे वह इण्डीवीजुअल से ऋण नहीं ले। अगर ले तो सरकार से ले। मैं समझता हूं कि यह हमारा गरीबी मिटाने की ओर एक कदम होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सामाजिक कुरीतियों के कारण ये लोग कर्जदार ही रहते हैं। उन कुरीतियों पर ही खर्चा करते करते मर जाते हैं। जैसे नुकता है। मृत्यु भोज है। इसी तरह से शादी व्याह में अनाप शनाप खर्चा होता है। एक छोटे से छोटे आदमी को भी खर्चा करना पड़ता है। तो उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिये जो कदम उठाये जायें उनकी पालना सख्ती से करनी चाहिए। जब तक हम ऐसी कुरीतियां मिटाने के लिए कानून का सख्ती से पालन नहीं करेंगे तब तक उनका निस्तार नहीं होगा। उन कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए जिससे कि लोगों के विकास और उनकी बहबूदी के लिए उन्हें सक्षम बनाया जा सके। इसके सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। आपने थोड़े दिन पहले अध्यादेश जारी कर दिया मोरेटोरियम का, इसको एक साल बढ़ा सकती थी सरकार। आज लोगों को नंगा खड़ा करके रुपया वसूल किया जाता है। लोगों को इसके लिए सागड़ी बनना पड़ता है। अभी थोड़े दिन पहले माननीय सदस्य योगेन्द्रनाथ हांडा ने सागड़ी प्रथा पर बताया था। वह बिल्कुल सही बात थी। वह शाहपुरा की बात थी। हमने वहां पर जाकर देखा है। यह प्रथा आज भी जारी है। अगर किसी ने ऋण ले लिया और वह सेठ साहूकार बिना लाइसेंस वाला है तो आज भी वह रकम वसूल कर रहा है। सारा गांव उसके साथ है। उसी का साथ देता है जो पैसा देता है। उनको निर्दयता से काम करना पड़ेगा। दूसरी बात जेवर रखने की है। उसके लिए लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। 5,000 रु. का जेवर रखते हैं तो हजार दो हजार रुपया देते हैं। इस प्रकार के केसेज में नान काग्नेजेबल आफेंस बनाकर उनका चालान करना चाहिए। कोई कानून का खतरा नहीं मानते हैं। जरूरत ऐसे लोग महसूस करते है जो लेने वाले हैं। अगर लेने वाला है और वह बोलने वाला नहीं है तो समाज के अन्दर जो गिरी हुई स्थिति के लोग हैं, जिनका कोई बोलने वाला नहीं है तो उनका जेवर वह खा भी जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के मामले को काग्नेजिबल केस बनाकर इसको समाप्त किया जाना चाहिए।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि सरकार वसूली के लिए जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने निवेदन किया कि सरकारी ऋण को जो कोआपरेटिव समितियां हैं, उनको जमा कराने

(श्री विजयसिंह राठौड़)

के लिए लोगों को ऋण लेना पड़ता है। अकाल पड़ रहा है। वह लोन जमा नहीं करा सका। वसूल करने के लिए जायेंगे तो उस समय उसको ऋण लेकर जमा कराना पड़ता है। यह भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस बात का इसके अन्दर कोई प्रावधान होना चाहिए। इस बात को सरकार देखे। उस वक्त की आर्थिक-स्थिति को देखकर सरकार यह आश्वासन दे जिससे कि लोगों को रिलीफ मिल सके। इसके अलावा जो आदमी ऋण लेने के लिये जाते हैं तो उसको जिस काम के लिए ऋण लेना पड़ता है उसको कई जगह से सर्टीफाई करना पड़ता है। पंचायतों के अन्दर उस पर पहले का बकाया नहीं है, यह सर्टीफाई कराने के लिए उसको रिश्वत भी देनी पड़ती है। ग्राम–सेवक को भी रिश्वत देनी पड़ती है। इस रिश्वत को भी देने के लिये उसको ऋण लेना पड़ता है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इस तरह के एक आदमी को जानता हूँ। उसने ऋण के लिये कई बार निवेदन किया। उसको कुआ खोदना है। उसको कोई ऋण नहीं मिला। पटवारी ने दो साल रसीद नहीं दी। ग्राम-सेवक ने रसीद नहीं दी। उपाध्यक्ष महोदय, उसने ऋण लिया और आज उसका बेटा सागड़ी बनकर काम कर रहा है। सरकार उसका कुआ नहीं खुदवा सकी। लेकिन एक ब्राह्मण बैंकर ने कुआ खुदवाया उससे कहा गया · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

कि वह रिपोर्ट कर दे तो उसने कहा कि उस वक्त तो कोई नहीं आया। पटवारी से तस्दीक नहीं दिलवा सके। हमें काम करने के लिए रुपया नहीं मिला। फिर उसने कहा कि हमारा लड़का तो वहां पर नौकरी करता है। गांव में जायें। आज इतने दिनों के बाद भी, 26 जून के बाद भी, हमारी सरकार और जन सम्पर्क विभाग यह फिजा पैदा नहीं कर सका है। इसीलिए इण्डिवीजुअल बैंकर्स हैं। इस बारे में बहुत बड़ा और भारी दोष मैं जन सम्पर्क विभाग का मानता हूं। इस प्रकार की बातों को वह फैलाने के लिए तैयार नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गांव ऐसे गरीब तबके के हैं, और पिछड़े हुये हैं जिनके लिए यह जरूरी है कि वह अपना विकास करें। अपनी बहबूदी को बढ़ायें। समाज और दूसरे लोगों के साथ वह चल सकें। उनके लिए इस प्रकार का वातावरण हो कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें और दूसरों के मुकाबले खाने और कमाने की जो जरूरत है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी समय से इस बात का इन्तजार था, जिस कानून की आवश्यकता थी इस देश में वह कानून बनाने के लिये यह विधेयक माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने सदन के सम्मुख पेश किया है। इस बात की बड़ी खुशी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम गरीबों के स्टेन्डर्ड ऑफ लाइफ को ऊंचा उठाने के लिये अब तक जो उनका विभिन्न तरीकों से शोषण होता रहा है उन गलत रिवाजों को, उन गलत कानूनों को और गलत ट्रेडिशन्स को बदलने के लिये आगे कदम उठा रहे हैं

(श्री मोहर सिंह)

इस बात की खुशी है। पर उपाध्यक्ष महोदय, इतना होते हुए भी जो यह विधेयक आया है तो इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित करने में कितना समय लगता। इस कानून के द्वारा ऋण समापन करने का जो तरीका है उससे मेरा थोड़ा मतभेद है। साथ ही जो भेदभाव ऋण समापन के अन्दर डाला गया है जो जनता का ऋण है जनता के द्वारा दिया गया उसको तो खत्म कर दिया गया है और सरकार का जो जनता पर ऋण है उसको वदस्तूर कायम रखा गया है इसमें भी मेरा मतभेद है। तीसरी बात यह है कि जब तक यह निश्चित नहीं कर दिया जाय कि यह कर्जा माफ होने के बाद में गरीबों को फलां जगह से कर्जा मिलेगा तब तक इस कानून के द्वारा एक दम से यह अवरोध पैदा हो जायगा कि गरीब लोग आगे से भी कहीं से कर्जा नहीं ले सकेंगे। इस पर थोड़ी सी तफसील के साथ मैं सदन के समय का ख्याल रखते हुए जल्दी से अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो यह कानून लाया गया है, आज से चार दिन पहले इस सदन में एक कानून पास किया गया था कि लघु किसानों के कर्जे माफ किये जायेंगे। इसमें चार कैटेगरी थी, तीन कैटेगरी शिल्पकार, भूमिहीन किसान और साथ में सीमान्त किसान इनके साथ लघु किसान भी शामिल किया गया था, वह लघु किसान जो 15 बीघा से ज्यादा का काबिज था वह भी शामिल था लेकिन इस लघु किसान को इस कानून के अन्दर से निकाल दिया गया है, तीन कैटेगरी के किसानों को तो इसमें शामिल किया गया है और लघु किसान को इसमें नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह निवेदन करना है कि फिर सदन का समय क्यों लिया गया जब आप यह कानून ला रहे थे कि हम गरीबों के कर्जे माफ करने जा रहे हैं और इसका असर देहातों में लोगों पर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आज अगर आप गांवों की जिन्दगी को देखें, एक गांव में जैसे 100 घर हैं उसमें खाती भी होते हैं, कुम्हार भी होते हैं, सुथार भी होते हैं, नाई और धोबी भी होते हैं यह सब मिलाकर दस-बारह प्रतिशत होते हैं, ये घर ऐसे होते हैं जो पूरक हैं, सप्लीमेन्टरी होते हैं और ये लोग किसानों को मदद देने का काम करते हैं। बाकी 80–90 प्रतिशत किसान जो गांवों में होते हैं उनमें दो या तीन किसान धनवान होते हैं जो अनाज का स्टाक रखते हैं और पैसा भी उनके पास बहुत होता है। ऐसे किसान बहुत ही कम होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ज्यादातर किसान जो 70 प्रतिशत 75 या 80 प्रतिशत होते हैं वे गरीब तबके की मन्जिल तक के किसान हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आपने इसको तीन कैटेगरी के लिये तो लागू कर दिया और चौथी कैटेगरी को छोड़ दिया, उस पर लागू नहीं होगा तो वह बेचारा कहां जायगा। आपने भूमिहीन किसानों को, शिल्पकार को और सीमान्त किसान को तो इसमें रखा है कि उनका कर्जा माफ हो जायगा, लेकिन लघु किसान को शामिल नहीं किया गया है। जहां तक सीमान्त किसान का सवाल है आपने नहरी एरिया में जहां डबल क्रोप है उसमें .33 हैक्टर का रखा है इस हिसाब से सवा बीघा

(श्री मोहर सिंह)

जमीन वालों के लिए आपने कर्जा मन्जूर किया है। मैं समझता हूं कि यह जो लिमिटेशन है यह भी बहुत थोड़ी है और इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरा दूसरा ऐतराज है वह यह है कि जो भेदभाव आपने रखा है कि गवर्नमेन्ट का जो कुछ भी कर्जा है, चाहे कोआपरेटिव सोसायटी का हो या किसी दूसरी एजेन्सी का वह तो बदस्तूर कायम रहेगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग बहुत ही गरीब हैं और गांवों में बसते हैं मान लीजिये किसी कारण से उनके घर में कोई बीमार हो गया उसको कर्जा चुकाने में, या और कोई आफत आ गई, तो उनको बड़ी दिक्कत है, वह कहां से पैसा लायेगा, इसलिए इसका व्यावहारिक पहलू भी देखना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, कहीं हम इस प्रकार की दिक्कत तो पैदा नहीं कर रहे हैं और उससे कहीं उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों में दिक्कत तो नहीं आ जायगी और हम इस प्रकार की गलती तो नहीं करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को और गरीब लोगों को जो आये दिन दिक्कतें पैदा हो रही हैं उससे हमको आंख नहीं मूंद लेना चाहिए। इसलिए मैं आपके जरिये माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि आप गांवों की जिन्दगी को भी देखेंगे और इसके व्यवहारिक पहलू पर भी ध्यान देंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे किसी के पास एक हजार रुपये हैं और किसी को जरूरत पड़ गई कि उसको बीकानेर जाना है बीमार को भर्ती करने के लिये या और किसी काम के लिये, अकाल पड़ जाय या और कोई दिक्कत आ जाय और उसने दो तीन सौ रुपये उससे ले लिये क्योंकि उसको उसकी सख्त जरूरत थी, इसलिए उसका कर्जा देने का कारण भी देखना चाहिए कि उसका शोषण तो नहीं किया जा रहा है उसने जरूरत के समय उसकी जो मदद की है उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, इसको भी हमने छूट दे दी है लेकिन अगर वह समय पर पैसा उसको नहीं देता तो उस पर क्या बीतती। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से भी इसको देखना पड़ेगा कि इसका इम्प्लीमेन्टेशन होते वक्त कहीं किसी प्रकार की फिरका परस्ती या तंगदिली न पैदा हो जाय और गांवों में झगड़े नहीं फैल जायं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से किसी को और किसी जरूरी काम के लिये कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ गई, कहीं दो–ढाई वर्ष से अकाल पड़ गया और उसको कर्जा लेना पड़ा तो जो आज हम यह कानून बना रहे हैं उसका उस पर क्या असर होगा इसलिए इसकी भी इसमें गुंजाइश होनी चाहिए। इस चीज को भी इसमें समायुक्त कर लेना चाहिए, इस पर भी इसका असर नहीं पड़ना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में अगर देखा जाय तो आपस का जो कर्जा लिया गया है वह तो आपने माफ कर दिया लेकिन गवर्नमेंट का जो कर्जा है उसका क्या होगा? उससे भी छूट मिलनी चाहिए, उसको भी माफ किया जाना चाहिए। मैंने अभी अभी देखा है कि पंचायत समितियों की तरफ से बीज और खाद वगैरह के लिए जो कर्जा दिया गया उसके

(श्री मोहर सिंह)

ऊपर भारी ब्याज लगा करके और एक क्विन्टल ज्वार के लिये उनसे जबरदस्ती की जाती है उनके सामानों की कुर्की की जाती है और उनके पशु तक को नीलाम किया जाता है। इसलिए अगर किसी ने सही ढंग से कर्जा दिया है जरूरत के लिए और उसका शोषण नहीं किया है केवल काम निकालने के लिये दिया है तो उस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। एक तरफ तो गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि गरीबों को राहत पहुंचाई जाय तो उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिए कि चाहे बीस तीस करोड़ का नुकसान ही क्यों न हो, लेकिन कम से कम एक लिमिट तक कोआपरेटिव का कर्जा भी छोड़ दिया जाना चाहिए लेकिन जो ज्यादा पैसा है दूसरे कामों के ऋण के नाम पर उसके लिये तो मैंने नहीं कहा लेकिन जो वास्तव में गरीब आदमी हैं और सरकार का कर्जा है तो उसको भी माफ कर देना चाहिये तब तो मैं समझूंगा कि सरकार वास्तव में गरीबों को ऊंचा उठाना चाहती है वरना इससे तो गावों में अवरोध पैदा होगा। वह बेचारा कहां से पैसा लायेगा, बैंक से भी उसको नहीं मिल सकेगा इसलिए इस अवरोध को दूर करने के लिये प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा विभाग का कर्जा भी माफ किया जाना चाहिए चाहे कितना ही सरकार को क्यों न नुकसान उठाना पड़े, जिस तरह से शराब बन्दी के लिए सरकार कहती है कि पैसा कहां से लावें उसी तरह से इसके लिए भी कहेगी कि आमदनी कहां से बढ़ावें, यही बहाना इसमें भी बनाया जायगा कि गवर्नमेन्ट के पास पैसा कहां है कि उनको भी माफ कर दें। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि इससे जो गवर्नमेन्ट की मन्शा है गरीबों को ऊंचा उठाने की और दूसरी तरफ उनको पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है। आपका कर्जा तो महफूज रहे, आप तो आराम से रहें और दूसरों का कर्जा माफ होगा तो कर्जे के बाबत आप गांव में वैमनस्य पैदा कर देंगे।

हां, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि हमने यह मांग की है कि उनका कर्जा माफ किया जाय, लेकिन कर्जा माफ करने का भी तरीका है। गांव के अन्दर जिस प्रकार का रहन-सहन है तो उसमें आपस में वैमनस्य पैदा न हो पाये इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक कर्जा तो वह है कि जो कि गरीब का शोषण करने के लिए दिया गया है। 10 वर्ष पहले दिया गया और वह एक हजार का 5 हजार तक आ चुका है और वह चुका चुकाया है लेकिन आज भी वह उसकी खाल उतार लेना चाहता है। इस प्रकार से शोषण जिस किसान का हो रहा है वह दया का पात्र है। लेकिन इस प्रकार के जो कर्जे दिये गये हैं जैसे कि 3 वर्ष पहले दिया गया और दो बार अकाल पड़ गया और चुकाया नहीं गया तो उसको बैंक की रेट से ब्याज दिलवा दिया जाय और उसका कर्जा उसको दिलवा देना चाहिए। जिसने 6 गुना और आठ गुना शोषण के जरिये ले लिया उसके कर्जे को खत्म कर दिया जाय। इसको जरूर व्यवहारिक तरह से सोचना चाहिए। आपके जरिये मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह भी गांव के रहने वाले हैं और वह यह जानते हैं कि हमारे गांवों में भी सब तरह के किसान हैं। हमारे यहां पर

(श्री मोहर सिंह)

जो हरिजन थे उनके यहां पर जो धान पैदा हुआ वह उन्होंने बेच दिया क्योंकि लगान चुकाना था। कुछ चीजें थी उसको बेचकर कहने लगे कि कर्जा तो हमको देंगे नहीं, क्योंकि गांव में 2–4 आदमी ही देने वाले होते हैं। वह कुछ इधर-उधर कर 200, 400 रु. मजदूरी में कमा लेते थे। इनको पैसा देना नहीं क्योंकि आर्डिनेन्स आ गया है। हम तो जा रहे हैं भटिंडा से आगे भट्टों पर काम करेंगे ठेकेदार साहब के यहां। उसका पैसा वे नहीं दे सके तो उनकी बहन बेटियों को उसने रख लिया। वह गरीब आदमी बहुत परेशान होकर गांव को आ गये और उनसे कहा कि पैसा दो ताकि हम हमारी बहन-बेटियों को जिनको ठेकेदार ने रख लिया उनको लायेंगे। यह हालत है, उपाध्यक्ष महोदय।

आज हम कानून बना देंगे क्योंकि आज आपके पास में बहुमत है। कानून बनायेंगे इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हमें वस्तु-स्थिति देखना चाहिए। हमारे ग्रामीण जीवन में अनावश्यक रूप से, छोटी सी बात के लिए बिगाड़ नहीं करवाना चाहिए। इस बात को कहते हुए साथ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज को इसमें जरूर समाविष्ट करें कि कोई शिक्षा के लिए पैसा दिया गया हो, विवाह-शादी के लिए जो पैसा ले लिया गया है, बीमारी-शिमारी के लिए कर्जा ले लिया गया हो उन कर्जों को शोषण के कर्जों में नहीं मानेंगे और उनको दो तीन वर्ष का ब्याज बैंक रेट से उसमें ब्याज समाहित करके कर्जा दिलवाने के लिए कोई प्रावधान उसमें रखना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो ब्याजखोर हैं और जिनका काम ही ब्याज कमाने का है और ब्याज पर ब्याज चक्रवर्ती ब्याज लगाकर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का शोषण करते हैं तो इस प्रकार के लोगों के बहीखाते चैक करवाना चाहिए। उनके इस प्रकार के कब्जे जो कि शोषण के लिए हैं उनको खत्म कर दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप विचार करेंगे और जल्दी से जल्दी ग्राम बेस पर नहीं तो पंचायत बेसिस पर एक एक बैंक इस प्रकार की कायम की जायगी या कहीं से पैसा लायेंगे। विश्व बैंक जैसे दबाने वाले बैंकों से आपने कर्जा लिया है। हमारे देश में घना पैसा पड़ा हुआ है। कोई ऐसा कानून लाकर बैंकों के जरिये ज्यादा से ज्यादा पैसा मुहैया करवायें, और बैंकों की शाखाएं ग्राम पंचायतों के लेवल पर कायम करके किसान के लिए यह छूट कर दें कि कर्जा उससे लें। उसको इन ब्याजखोरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है जो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी से शोषण करते आ रहे हैं। उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ग्राम पंचायतों के लेवल पर बैंक कायम करें जिससे लोगों को उन्नति करने के लिए सहूलियतें मिलें।

इस प्रकार से राजस्व मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कानून लायें तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन व्यवहारिक तौर से गांवों में जाकर लागू करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जो मेरा कथन है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय और उसकी रिपोर्ट

(श्री मोहर सिंह)

सत्र तक आ जाय ताकि इसमें कोई त्रुटि न रहे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क्या गरीब लोग देहात में ही बसते हैं, शहरों में नहीं हैं ? क्या 2400 या 3000 रु. की आमदनी कमाने वाला शहर में नहीं हैं ? यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है ? जब देहात के गरीबों को आप सहूलियत देना चाहते हैं तो शहर में कितने प्रतिशत गरीब लोग बैठे हुए हैं उनको शामिल करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है ? यह शहर और देहात के अलग अलग सोचने की जो नीति है वह उचित नहीं है। उसको सही ढंग से लायें और एक स्वस्थ परम्परा कायम करें कि गरीब चाहे देहात में हो, गरीब चाहे शहर में हो, उन सभी को इनमें शामिल किया जाय। इसलिए इसमें वह प्रावधान होना चाहिए शहर में गरीब भूमिहीन किसान हो, चाहे सीमान्त किसान जो हैं उसको भी इसके अन्दर शामिल किया जायगा।

इन सुझावों के साथ मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए एक माह के लिए प्रसारित कर दिया जाय। जो कानून के इम्प्लीमेन्टेशन में दिक्कत आने वाली है वह न आये और गांवों में एक दूसरे के प्रति बैर-विरोध और तनाव पैदा न हो और व्यर्थ में किसी गरीब का पैसा न चला जाय और उसको काम पड़ेगा तब पैसा कहां से आयेगा ? आपके पास ऐसी वैकल्पिक चीज नहीं हैं कि उसको दे दें। मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि इन सारी चीजों पर ठंडे दिल से विचार करें यह विचार न करें कि मोहरसिंह उधर बैठने वाला है, विरोध करना ही उसका काम है। सही जो बात है वह मैंने आपके सामने रखी है और मुझे उम्मीद है कि आपके अन्दर जो किसान बैठा हुआ है वह इस बात को विचारेगा और जरूर विचारेगा।

इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एक महीने के लिए इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित कर दें ताकि और भी किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो वह आ जाय हमारे सामने, अन्यथा आप शोषण को बढ़ावा ही बढ़ावा देंगे। गांव के जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए साथ दें।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया]:

"राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता-समापन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन इसी सत्र/एक सप्ताह/इसी सत्र में प्रस्तुत करें (प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव, श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक को तो हमने रिपील कर दिया और आज उसके स्थान पर····

श्री उपाध्यक्ष : रिपील कर दिया या पास कर दिया ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उस पर हम विचार कर चुके हैं और उसके बाद अब हम राजस्थान ऋणी (ऋणिता समापन) विधेयक पर विचार कर रहे हैं। भारतवर्ष के अन्दर और राजस्थान के अन्दर करोड़ों लोग ऋण-ग्रस्त हैं, और उसमें विशेष कर जो लोग श्रम करते हैं और न्यूनतम मास्पेक्ट के लोग हैं वह ऋण के चंगुल में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आज जो यह बिल सदन के अन्दर प्रस्तुत कर रहे है और जिसको आज हम एक कानून बनाने जा रहे हैं, जिसमें लिक्विडेशन उन ऋणों का कर रहे हैं, यह स्वागत योग्य कानून है, और इससे ऐसे लाखों लोग मुक्ति की सांस लेंगे हमारे प्रदेश में, और देश के अन्दर करोड़ों लोग मुक्ति की सांस लेंगे।

वैसे पहले मोरेटोरियम स्थापित किया गया तो वह एक स्टेज था जिससे ऐसे कर्जे को रोका, लेकिन आज उनके समापन की दूसरी स्टेज पर हम आ रहे हैं। मोरेटोरियम के अन्दर लघु कृषक, सीमान्त कृषक, खेत मजदूर, विलेज आर्टिजन के कर्जों की भुगतान को मोरेटोरियम के जरिये रोका है, लेकिन इस बिल में लघु कृषकों को निकाल कर सीमान्त कृषकों, विलेज आर्टिजन और एग्रीकलचर लेबर को इसके अन्दर जोड़ा है। बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है और विशेष तौर से राजस्थान जिसकी सामंती परम्परायें रही हैं उसके अन्दर तो पीढ़ी दर पीढ़ी में लाखों लोग केवल ऋण के कारण दासता की बेड़ियों में जकड़े थे जैसे यह मोरेटोरियम का अध्यादेश आया, हजारों ऐसे लोगों को आकांक्षायें पैदा हुई थी जो कर्जों से पीड़ित थे और यह कर्ज समाज के लिए कोढ़ था। जितना कर्जा दिया जाए उससे ज्यादा लिया जाए। कर्जे के बाद चाहे कर्जा कर्जे के रूप में भी आजाए चाहे जिन्स के रूप में, चाहे दोनों रूप में दिए जाएं, जो कुछ भी गरीब के पास है वह सब कुछ देता गया और फिर हर साल उसके अन्दर वृद्धि होती चली जाए, ब्याज का कोई रेट नहीं और फिर उस कर्जे के पेटे में व्यक्ति को काम करने पर मजबूर किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही यह मोरेटोरियम का अध्यादेश आया, मैं अपने जिले की बात बताता हूं कि लाखों लोग, कम से कम 65 लाख की आबादी में 3 लाख लोग जो विलेज आर्टिजन्स हैं उनमें आकांक्षायें जागृत हुई, वहां सामन्तों के बड़े बड़े फार्म हैं, देश के करोड़पति लोगों के फार्म हैं, उन्होंने मुक्ति की सांस ली चाहे बीकानेर महाराजा कर्णीसिंह का फार्म हो, चाहे शिवनाथ हरियाणा के उपमंत्री चाहे बांगड़ साहब का फार्म हो जिस पर कम से कम 200-300 लोग आज से नहीं 20 साल पहले से इन कर्जों के अन्दर जकड़े हुए थे, उन्होंने अंगड़ाई ली और उनको अपना भविष्य नजर आया। करणीसिंह जी के फार्म पर कई सालों से 150 परिवार बैठे हुए हैं और जिन पर कर्जों पर इतना भार हो गया है कि उनकी जीवन पर्यन्त मुक्ति नहीं हो सकती थी और वे गुलामी आज भी राजा के फार्म पर कर रहे हैं जो राजा नहीं रहा साधारण नागरिक है। गिन्नाला के अमीनचन्द तलवासिया जो 5 हजार एकड़ भूमि के स्वामी हैं उस पर कम से कम 300 व्यक्ति काम करते हैं वे गंगानगर आए, जिलाधीश के आफिस को घेर लिया। वे 1958 से जबसे भाखरा का

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

कालोनाइजेशन हुआ, सिंचन शुरू हुआ तब से कर्जदार हैं और उन लोगों ने मुक्ति की सांस ली। इसी प्रकार अनेक भूपति जैसे सेठ लीला, उमराव एण्ड कम्पनी, सेठ सुगनचन्द जो लोग हर प्रकार का अत्याचार इस बांडेड लेबर पर करते थे उन्होंने मुक्ति की सांस ली। राजस्थान के और सामंती क्षेत्रों में भी यह हालत है। मेरे इलाके में जब बांडेड लेबर अपना पैसा देकर भी जाता तो भी उसकी औरत, बच्चे, परिवार के सब लोगों को पकड़ कर ले जाते थे। 10 दिन पहले जब इम्पलीमेंटेशन कमेटी की मीटिंग हुई तो सेठ सुगनचन्द के बारे में प्रश्न उपस्थित हुआ। उससे तीन दिन पहले ही अपने बांडेड लेबर को जो कि दरअसल बांडेड लेबर नहीं था काश्तकार थे, एक कमरे में पकड़कर बेरहमी से पीटा और हर प्रकार से उनको इस बात पर मजबूर किया कि अपने नाम गिरदावरी दर्ज न करवाए और कर्ज को Repay करें।

लेकिन उपाध्यक्षजी, सारी प्रशंसा जितनी बिल की की जाए वह उस समय तक पूर्ण नहीं होगी जब कि इसके अन्दर जो कमजोरियां हैं उसकी ओर संकेत न करूं। विशेष कर जो टीनेन्सी एक्ट की धारा 46 बी उसमें जैसे कमजोर वर्ग जोड़ा गया है, जब तक यह कमजोर वर्ग नहीं जोड़ देते तब तक सारे सेक्शन्स कवर नहीं होते। जो कमजोर वर्ग हम अंकित करना चाहते हैं उसके अन्दर विलेज आर्टीजन्स लेते हैं, सीमांत कृषक को लेते हैं, हम एग्रीकल्चरल लेबर को लेते हैं और कमजोर वर्ग और नहीं जोड़ते हैं तो बहुत से लोग जो आज भी कर्ज से दबे हुए हैं और जिनका संबंध समाज से गहरा है, वह सीमा की परिधि में नहीं आता चाहे चमार, चाहे बुनकर चाहे कोली, चाहे रेगर चाहे भंगी, सारे के सारे इस बिल की सीमा में नहीं आते और वह समाज का पिछड़ा हुआ तबका है जिनको भी इस बिल में शामिल करना चाहिए। आप विलेज आर्टीजन की परिभाषा में उन लोगों को बिल की सीमा में लेते हैं जो पुराने इम्पलीमेंट्स बनाते हैं या खेती संबंधी कोई कार्य करता है या खेती से ताल्लुक रखने वाले किसी कार्य के अन्दर या उससे संबंधित इम्पलीमेंट्स हैं उसके अन्दर लेते हैं लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जैसे कि गांव का चमार या गंगानगर के कालोनाइजेशन क्षेत्र में गोठवाल होता है, उसको भी सीमा से बाहर रखा है, वह व्यक्ति जो समाज के निम्न स्तर का काम करता है, रात दिन हीन कार्य करता है, वह भंगी या मेहतर हो पर इसकी सीमा की परिधि में नहीं आते। अगर कमजोर वर्ग 46 ख में जैसे मैंने संशोधन रखा है, शामिल नहीं करते और विलेज आर्टीजन का शिड्यूल तैयार करके इसमें नहीं लगाते तो बिल अधूरा होगा। चाहे वह व्यक्ति निरसी है जो बड़े बड़े आदमियों का हुक्का बनाता है और गांवों में समाचार देने का काम करता है वह व्यक्ति इसमें नहीं आता है। बुनकर जिसकी आमदनी 2400) रु. से अधिक नहीं है इस सीमा में वह भी नहीं आता है। वह शिड्यूल के रूप में आए चाहे विलेज आर्टीजन के एक्सप्लेनेशन के रूप में आए और मुख्य रूप से 36 ख जो उसके अन्दर क्लाज जोड़ना पड़ेगा इससे सारे कमजोर वर्गों को मुक्ति मिलेगी।

चाहे कर्जे हैं चाहे बांडेड लेबर से काम कराने की बात है चाहे बांडेड लेबर की सम्पति के संबंध में बात है, मैं समझता हूं भारत

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

सरकार के जो डाइरेक्शन्स हैं, भारत सरकार का जो अध्यादेश है उसमें स्पेशली पेनल पनिशमेंट्स रखी गई हैं ये पनिशमेंट्स इसके अन्दर बिल्कुल नहीं हैं जिनको इसके अन्दर शामिल करना आवश्यक है। पिछली बार जब मोरेटोरियम पर विचार हो रहा था, तो मंत्री महोदय ने बार बार भारत सरकार की जो डाइरेक्शन्स हैं जिसके आधार पर राज्य सरकार ने बिल बनाया है, इस सदन में पढ़कर सुनाया था और इसलिए जो मिनिस्ट्री आफ लॉ एण्ड जस्टिस एण्ड कम्पनी एफेयर्स को बांडेड लेबर सिस्टम एबालीशन आर्डीनेंस (नं. 17 आफ 1975) भारत का जो है उसको स्पेशली इस सदन में पढ़ने के लिए लाया हूं ताकि मंत्री महोदय अपने आपको दुरुस्त कर सकें। उन्होंने पेनल पनिशमेंट्स रखी हैं बांडेड लेबर के सम्बन्ध में। अगर उसकी जो मोर्टगेज्ड प्रापर्टी है उसको मुक्त नहीं किया गया, काश्तकारी कानून में मंत्री महोदय ने उसके अन्दर पेनल पनिशमेंट्स रखी हैं, मैं धारा 9 को सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसके अनुरूप मैंने अपना संशोधन प्रस्ताव रखा है।

"No creditor shall accept any payment against any bonded debt which has been extinguished or deemed to have been extinguished or fully satisfied by virtue of the provisions of the Ordinance."

अब इसका ओपरेटिव पोर्शन है :

"Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and also with fine..."

तीन साल के पनिशमेन्ट का प्रावधान इसमें रखा गया है और फिर उसकी सम्पत्ति वगैरा मुक्त नहीं होती है। प्रोविजन 16 देखिये :

"Whoever, after the commencement of this Ordinance, Compels any person to render bonded labour, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and also with fine which may extend to two thousand rupees."

इससे कम पेनल पनिशमेंट मैंने प्रेस्क्राइब की है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने सेक्शन 9 में अमेन्डमेंट दिया है। ऑर्डिनेन्स का सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं और अब सेक्शन 22 पढ़ेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सम्पति मुक्त कराने का प्रश्न है :

"Whoever, being required by this Ordinance to restore any property to the possession of any bonded labour, omits or fails to do so within a period of thirty days.."

इसमें 30 डेज का प्रोविजन है। 30 दिन में सम्पत्ति मुक्त हो। नहीं करता है तो पेनल पनिशमेंट है।

Page No 68

(६८)

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

"...shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees, or both..."

पनिशमेंट को भी।

"... and out of the fine, if recovered, payment shall be made to the bonded labourer at the rate of Rs. 5 for each day during which possession of the property was not restored to him."

अगर वह प्रोपर्टी रिलीज नहीं करता है।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय,

श्री परसराम मदेरणा : कौन-सा सेक्शन पढ़ रहे हैं। बोन्डेड लेबर आॅडिनेन्स का सेक्शन कौन-सा आप पढ़ रहे थे?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : सैक्शन 19। इसमें दो खतरनाक प्रोविजन किये गये हैं। One thousand rupees fine, or imprisonment or both. Now you have made the provison:—

"Provided that nothing in this clause shall apply to the sale of any moveable property held and concluded before the commencement of this Act."

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है बोन्डेड लेबर जो हैं, उसकी सम्पत्ति, जिसका कि दर्द भरा चित्रण माननीय मंत्रीजी ने स्वयम् ने पिछले सत्र में प्रस्तुत किया था उसका जेवर, गहने या सब कुछ बोन्डेड लेबर में जाता है और जो पंचनामा लिखा जाता है वह भी कभी सही नहीं होता है। तीन हजार का माल है तो उसके अगेन्स्ट में 500 रुपये, अधिक शोषण न हो तो 1 हजार रुपये अर्थात् अधिक से अधिक 1।3 से तो ज्यादा नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक्स्ट्रीम शोषण होता है। स्थिति और भी गम्भीर है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसके अन्दर जो सैक्शन रखे गये हैं उनको ओमिट करना चाहिये। सैक्शन 19 में पेनल पनिशमेन्ट जितना दिया गया है उसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिये और सब क्लाजेज आले हैं वे काफी खतरनाक हैं। सब-क्लाजेज को रिप्लेस किये जाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Please conclude.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का स्वागत करते हुए क्लाज बाई क्लाज पर आवेंगे तब और भी निवेदन करूंगा। यह बिल स्वागत योग्य है। हमें उन एजेन्सीज को मजबूत करने की आवश्यकता है जिसके जरिये निम्न तबके को ऋण प्रदान करें। कोआपरेटिव सोसाइटीज, बैंकिंग एजेन्सीज, फाइनेन्शियल कार्पोरेशन्स, एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन्स और विकास से सम्बन्धित सारी एजेन्सीज हैं उनको ज्यादा इसमें इन्वोल्व करना चाहिये और एक रिवोल्युशनरी चेन्ज लाना चाहिये। आज हमारी इन एजेन्सीज का कर्जा उच्च वर्ग में वितरित होता है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को लीजिये। डिटेल्ड आंकड़े हैं मेरे पास। लेकिन अभी मैं

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

समय नष्ट नहीं करूंगा उनको रखकर, चाहे कोआपरेटिव सोसाइटीज का कर्जा हो चाहे फाइनेन्स कारपोरेशन्स का कर्जा हो इन एजेन्सीज का नम्बर बढ़ाना पड़ेगा और निम्न स्तर तक ले जाना पड़ेगा। कोआपरेटिव सोसाइटी की मैम्बरशिप को सिम्पलीफाई किया है। चाहे वोहरे को मैम्बर सोसाइटी का बना लें या सीरी को मैम्बर बना लें लेकिन कर्जा वोहरा लेकर सीरी को कर्ज के साथ एडजस्ट करता था। चूंकि यह सारा का सारा कर्जा निम्न-स्तर के वर्ग में जाय इसके लिये इसमें काफी परिवर्तन की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकारलाल।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता समापन) विधेयक, 1976 सदन के समक्ष विचारार्थ चल रहा है। मैं बिल का तो स्वागत करता हूं कि समाजवादी समाज की रचना में यह बिल काफी योगदान देगा। यह पहला बिल आया है जिसमें कि छोटे काश्तकारों को जैसा कि इसके ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया हुआ है, एग्रीकल्चर लेबर, मार्जिनल फार्मर्स, रूरल आर्टिजन्स, इनको राहत पहुंचायी जाय। सदियों से ये लोग शोषित रहे हैं और शोषण समाप्त होना चाहिये। उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिये जिससे वे लोग भी दूसरे लोगों की तरह आगे आ सकें और अपना जीवन बदल सकें।

इस बिल के साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक काम्प्रीहेन्सिव बिल भी इस सदन के अन्दर आता। कई ऐसी चीजें रह गयी हैं जिनकी नितान्त आवश्यकता है। आज जब सदन के अन्दर विचार करते हैं, मैं हांडा साहब से सहमत हूं जिन्होंने बहुत-सी ऐसी बातें बतायीं, ऐसे लोग जो इकोनोमिकली बेकवर्ड हैं, ठीक है यह मार्जिनल काश्तकार, विलेज आर्टिजन पर लागू होगा लेकिन ऐसे लोग भी हैं समाज में अधिक हैं, जिनका शोषण बराबर होता है जैसे नाई, धोबी, मेहतर इस प्रकार के लोग हैं जो कर्जों में फंस जाते हैं। कर्ज का आधार क्या है? गरीबी ही उसका आधार है। आखिर कर्जा व्यक्ति क्यों लेता है? इसको ध्यान में रखना चाहिये। उसके पीछे उसकी क्या आवश्यकता है? उसी के बेस पर कानून बने। मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा इस सम्बन्ध में कि उनको एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो दूसरे लोग रह गये हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है, जिनको कर्ज से, शोषण से मुक्ति दिलाना है, उनको भी शामिल किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ इसमें कोई पीनल क्लाज नहीं है। मैं नम्रता से कहना चाहूंगा मंत्री महोदय, को कि सैन्ट्रल का अनटचेबिलिटी एक्ट है जिसमें 500 रुपये और पांच साल की सजा रखी है। ऐसा प्रोविजन आपको भी लाना चाहिये। जो लोग इतने दबे हुए हैं, हिम्मत नहीं कर सकते वे आगे आवेंगे कौन इनकी सुनेगा और किस प्रकार की निजात मिलेगी। आखिर इन लोगों को मुक्ति मिले, इनका शोषण बन्द हो तो इसका काग्नीजेबिल आफेन्स नहीं बनाया गया तो मुश्किल हो जायगी और साथ ही यह नान-बेलेबिल भी

(श्री ओंकारलाल चौहान)

होना चाहिये । क्योंकि मैं देखता हूं कि एवीडेन्स के बिना पर जीत जाते हैं। यह भी एक आवश्यक चीज है कि कानून बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि जो बनाया जा रहा है वह पूर्ण रूप में है कि नहीं और अगर पूर्ण रूप मे नहीं भी है तो खास-खास चीजों को पूरा करता है या नहीं करता है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको क्या हिच है, क्या दिक्कत है । जब समाजवादी कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं–इस प्रकार का क्लाज लेने से घबराना शब्द तो मैं उनके लिये नहीं कह सकता हूँ लेकिन क्यों हिचकिचा रहे हैं ? यह काग्नीजेबिल आफेन्स होना चाहिये और नान बेलेबिल भी होना चाहिये ।

इसके साथ साथ मान्यवर इसके अन्दर सर्टिफिकेट की बात आई-तहसीलदार और नायब तहसीलदार, लेकिन आज पंचायत समितियां कई जगह हैं और विकास अधिकारी एक ऐसी ऐजेन्सी है जो आसानी से सुलभ हो जाते हैं और खास कार्य भी नहीं होता है तो मैं समझता हूं ऐसे लोगों को उनसे फायदा मिल जाय और प्रमाण-पत्र मिलने में सुविधा हो जाय तो वे परेशानी से बच जायेंगे····

श्री रामानन्द अग्रवाल : और काम भी मिल जायगा ।

श्री ओंकारलाल चौहान : काम भी मिल जायगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री जी का डेफिनेशन के बारे में भी ध्यान दिलाना चाहता हूं–एग्रीकल्चर लेबरर की जो डेफिनेशन दी है 2400 रु. वह बहुत कम होती है, यह बढ़नी चाहिये क्योंकि आज महंगाई के जमाने में कुछ भी नहीं है । दुनियां भर की चीजें महंगी हैं और यह राशि कम मालूम पड़ती है इसको बढ़ाना चाहिये तीन हजार कर दें या चार हजार कर दें । मैं समझता हूं कम से कम तीन हजार कर दें तो लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी । इसलिए इस बात को भी देखना पड़ेगा अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर समाप्त करूंगा–एक बात और आती है कि गवर्नमेंट लोन्स की, ऐसा है कि सूद का काम बहुत खराब है और मैं समझता हूं मुस्लिम मजहब में तो उससे खराब कोई काम है ही नहीं । तीसरा इन्ट्रेस्ट यह भी देखना चाहिये जिन चीजों पर सहकारी करजा देते हैं, गांवों की स्थिति ऐसी खराब है आप भी जानते हैं मंत्री महोदय परिचित हैं और जनतन्त्र की प्रणाली पर विश्वास करते हैं और जनतन्त्र का ज्ञान भी रखते हैं उनके लिये कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये और साहूकारों से व सेठों से आगाह करना चाहते हैं तो यह भी ध्यान देना चाहिये कि किस प्रकार उनको उसमें राहत दिलाई जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसको काग्निजेबिल आफेन्स और नान-बेलेबिल आफेन्स बनाकर संशोधन करना चाहिये तभी हम इसको प्रगतिशील और आज के युग का प्रोग्रेसिव एक्ट समझेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (मलबर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस विधेयक को लाने के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ख्याल से राजस्थान में भूमि सुधारों के बाद यह विधेयक जो कि राजस्थान के 32 हजार बिखरे हुये गांवों के गरीब लोगों को शोषण के कर्जे से राहत देगा। यह बहुत बड़ा परिवर्तन का कदम साबित होगा। कम से कम उपाध्यक्ष महोदय, यह उस गरीब दबी पिसी जनता को जो आज तक किस्मत के सहारे अपनी इस गरीबी को परमात्मा और अपने पुराने कामों से जोड़ता था और जो शोषण के बोझ से दबे हुये हैं उससे निजात पाना केवल ईश्वर की कृपा पर और भरोसे पर मानता था, यह विधेयक उन लोगों तक एक नई राहत की सांस देगा और उनमें एक नई जागृति पैदा करेगा कि वह उन वर्गों के विरुद्ध जो शोषण करते आये हैं खड़े होकर और व्यापक स्तर पर जो शोषण हो रहा है उस पर उतर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून में जहां अच्छाइयां है जिसका जिक्र हमारे दल के माननीय सदस्य ने किया है वहां कुछ इस बिल की कमजोरियां भी हैं जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और जो मुझे लगता है कि इस बिल की स्प्रिट है, उस स्प्रिट के खिलाफ इसमें एडवरटेन्टली या कैसे रह गया पिछली बार जब हम इसी से सम्बन्धित मोरेटोरियम आफ डेट्स के बिल पर बहस कर रहे थे उस समय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि जो कुछ परिभाषा में या उस एक्ट में जिन बातों को उस वक्त मंजूर कर रहे थे, आज इस बिल पर विचार करते हुये वे उन परिभाषा से प्रतिबद्ध नहीं होंगी और यदि कोई बात परिवर्तन के लिये आवश्यक हुई तो वे उसके लिये तैयार होंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि किन्हीं मामलों में वे भी यह महसूस करते हैं कि सरलीकरण की आवश्यकता है जैसे सीमान्त कृषक के बारे में, हमने कुछ सहूलियत की डेफिनेशन देने का प्रोविजन किया है जिसमें आथोराइज्ड आफिसर के डिसिजन पर देना पड़ता है तमाम सिंचित क्षेत्र के सवा एकड़ जमीन का किसान सीमान्त कृषक माना जायगा, यह हमने सुझाव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में एक तो खामी यह है कि जो ग्रामीण शिल्पी या कृषक श्रमिक की परिभाषा दी गई है और उसमें उनकी पारिवारिक आमदनी 2400 रु. वार्षिक रखी गई है उसमें दो बातें हैं— वह बात तो अलग है, एक तो मैंने संशोधन में दिया है लेकिन इसमें जो पारिवारिक आमदनी कहा गया है—तो पारिवारिक आमदनी क्या होगी, परिवार क्या होगा इसकी डेफिनेशन इसमें नहीं दी है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिवार की डेफिनेशन हमने भी अपना जो संशोधन दिया है ओवर साइट से उसकी डेफिनेशन नहीं दी है इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा इसको केवल अदालतों पर नहीं छोड़े कम से कम नये सीलिंग एक्ट में मैं सुझाव दूंगा, 1973 के सीलिंग एक्ट में जो फेमिली की डेफिनेशन आपने मानी है पुरुष, उनकी स्त्री और नाबालिग बच्चे और बालिग लड़के हैं तो उसका अलग परिवार माना जायगा और अगर शादीशुदा लड़की है तो उनका अलग यूनिट माना है। इस कानून में भी उसी डेफिनेशन को लागू कर दिया जाय। उसी डेफिनेशन को लागू कर दिया जाए तो

Page No 72

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वास्तव में ग्रामीण शिल्पियों में या ग्रामीणों में जिस तरह का परिवार होता है बालिग अलग होते हैं उसी तरह रखा जाय वरना यह अन्देशा रहेगा कि वे प्रिजुडिस है, जिस तरह की जूडिशियरी या एक्जीक्यूटिव आती है, उनका प्रयास इन तबकों के खिलाफ रहता है तो इसकी परिभाषा उनके विरुद्ध होने की गुंजाइश है इसलिए मैं कोई ऐसी परिभाषा नहीं देकर जो लेटेस्ट परिभाषा फेमिली की आपने इम्पोजीशन आफ सीलिंग एक्ट, 1973 में मानी है उसी डेफीनेशन को इसमें डालने की बात कह रहा हूं।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि इसकी धारा 3 में कौन से कर्जों पर यह नहीं लागू होगा उसमें जो मोनोटोरियम आफ डैट्स का कानून लाये थे उससे भी आगे बढ़कर एक खतरनाक चीज इसमें जोड़ दी है। माननीय मन्त्री जी उसमें जो आपने (घ) के आगे (ङ) जोड़ा है कि "अनुसूचित ऋणी द्वारा खरीदे गये माल की कीमत व्यपदिष्ट करने वाला कोई ऋण"। अंग्रेजी में इसको आपने कहा है :

> "Any debt which represents the price of the goods purchased by a scheduled debtor."

उपाध्यक्ष महोदय, इन्नोसेन्ट बेशक लगता होगा लेकिन यह क्लाज ऐसा है जो आपके इस सारे एक्ट की मन्शा को नेगेटिव कर देगा। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में जो साहूकार गरीब लोगों को कर्जा देते हैं आप सभी को जानकारी है कि नगद के रूप में वह बहुत कम दिया जाता है। किसी न किसी चीज के रूप में ही दिया जाता है। साहूकार एक दुकानदार भी है, साहूकार कर्जा देने वाला एक बड़ा जमींदार भी है जो या तो गुड़ देता है या अनाज देता है और उसका ब्याज लेता है, सवाया लेता है या किसी और रूप में लेता है। तो और यह डेफीनेशन उस माल कीमत के रूप में कर्जा वापिस देते हैं उसके ऊपर लागू नहीं होगी तो राजस्थान के 90 परसेन्ट 95 परसेन्ट कर्ज इन्हीं गरीब तबकों के जिन गरीब तबकों को आप राहत देना चाहते हैं इस कानून के परव्यू से निकल जायेंगे। कांग्रेस के माननीय सदस्य देहातों से अधिकतर आते हैं, आदिवासी साथी हैं, हरिजन साथी हैं और ग्रामीण शिल्पियों में से भी होंगे उनका अपने जीवन का अनुभव इस बात को बताता है, उनके परिवारों पर भी कर्जा होगा, उनके पास पड़ोस वालों पर भी कर्जा होगा और कर्जा यदि शादी के लिए है तो चावल गुड़, शक्कर दिलाकर दिया है या गाय भैंस दिलाई है उसका कर्जा दिया है। तो साहूकार ने नगद नहीं देकर अपने पास से या किसी से किसी न किसी रूप में कर्जा दिलाया है जो कि कर्जे के रूप में चल रहा है। इसलिए आपने इनको इसकी जद में से निकाल दिया। तो इसका मतलब यह है कि यह कानून जिसका मैंने बहुत बड़ा स्वागत किया है केवल एक लाइन की क्लाज से आप इसकी आत्मा को निगल रहे हैं, तमाम ताकत को निगल रहे हैं और फिर केवल यह कागजों में रह जायेगा और फिर मैं यह समझता हूं कि यह जो भारत सरकार का या इन्दिरा जी का मकसद है वह पूरा नहीं होगा।

माननीय मंत्री जी ने उस रोज कहा था कि इस प्रकार के हमें वहां से इन्सट्रक्शन्स

Page No 73

(73)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

या मार्गदर्शन आये हैं। मैं यह समझता हूं कि उसमें भी देखने की इनको आवश्यकता है। मैं समझता हूं या तो इस बारे में मार्गदर्शन इस तरीके के नहीं आये हैं और यहां की ही सूझ होगी और यदि मार्गदर्शन हैं भी तो भी मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत डेंजरस हैं और इस क्लाज के होने के बाद यह कानून नेगेटरी बन जायेगा। कानून की कोई अहमियत नहीं रह जायेगी। इस दृष्टि से आप इस पर विचार करें।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ बातें तो वही हैं जो पहले बिल के संबंध में हमने कही थीं और इसलिए जब क्लाज बाई क्लाज इस पर बहस करेंगे तब उसके बारे में अधिक कहा जा सकेगा। लेकिन दो तीन बातें आवश्यक हैं जो किसी भी इस तरह के बिल का अंग होनी चाहिए। एक तो यह बात है कि कानून को लागू करने की मशीनरी क्या होगी? आपने देखा, बाण्डेड लेबर के संबंध में जो केन्द्र का आर्डीनेन्स है उन्होंने इम्प्लीमेन्टिंग मशीनरी अलग बनाई और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिम्मेवार बनाया कि वह इसको लागू करें। आपके इस कानून में यह इम्प्लीमेन्टिंग मशीनरी नहीं है इसलिए आपका कोई अधिकारी इस बात की जिम्मेवारी नहीं समझेगा कि वह कर्ज इस तरह से माफ हुए या नहीं, इनकी शर्तें पूरी हुई या नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है—इसको देखने वाला कोई नहीं है। उस बाण्डेड लेबर के अध्यादेश में इस प्रकार की विशेष तौर से मशीनरी का जिक्र है। दूसरे उसमें विजिलेन्स कमेटीज को भी कायम किया गया है कि जिसमें जनता के आदमी और सरकारी आदमी सारे क्षेत्रों के, हर जिलों के, हर सब डिविजन के बैठकर इसकी देखभाल भी करेंगे कि कोई बाण्डेड लेबर है तो नहीं, कोई ऐसा कर्जा जो माफ कर दिया हो वह वसूल तो नहीं कर रहा है, कोई नया उन्हीं शर्तों पर कर्जा तो नहीं दे रहा है। इसलिए इस एहतियात की भी जरूरत है कि आप अपना कर्जा माफ कर देते हैं उसकी तो कोई वसूली नहीं कर रहा है। जो प्रापर्टी उनको वापिस हो जानी चाहिए थी वह हुई या नहीं और शायद आपको नयी विजिलेन्स कमेटीज बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप यही कह सकते हैं कि उस बाण्डेड लेबर के आर्डीनेन्स में जो विजिलेन्स कमेटीज होंगी उन्हीं को आप इस कानून के तहत भी विजिलेन्स रखने का अधिकार दे सकते हैं।

तीसरी बात पेनल्टी के बारे में है। एक कानून लागू हो जाये, इसके पीनल क्लाज के बारे में हमने कुछ संशोधन भी दिये हैं वह संशोधन जैसा मेरे से पूर्व मेरी पार्टी के बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि दो धारायें मुख्य तौर से हैं। एक तो जिस किस्म के कर्ज आपने माफ किये हैं जिनको खतम घोषित किया है उनकी किसी तरह से खिलाफ वर्जी करके वसूली शुरू न हो जाये। आपने कान्सीक्वेन्स आफ दिस एक्ट के रूप में यह तो घोषित कर दिया कि इस प्रकार का तमाम कर्जा खत्म माना जायेगा, इस प्रकार की डिक्रियां खत्म मानी जायेंगी, इस प्रकार के ऐतराजात खतम मानी जायेगी लेकिन आपके इस माने जाने के बावजूद और किसी ने वसूली करली तो क्या उसके बारे में आपका कानून चुप है। इसका मतलब यही हुआ कि कोई क्रेडीटर ऐसे लोन के बारे में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो अपना एक्स्टिग्वीश कर दे अदालत में नहीं जा सकता उस पर दीवानी मुकदमा दायर नहीं हो सकता लेकिन और वसूली कर लिया है तो वह वापिस वसूल भी नहीं हो सकता। वह जुर्म भी नहीं है। उसको आप रोक भी नहीं सकते। आपकी विजिलेन्स कमेटी उसको केवल शर्मिंदा कर सकती है। उसको यह नहीं कह सकती कि आपने ऐसा किया है और आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के जो डेट्स आपने एक्सटिग्विस किये है इसकी कोई वसूली नहीं कर सके इसको पीनल बनाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि केन्द्र ने बाण्डेड लेबर के एबालीशन में उसके खिलाफ एक्सटिग्विश कर्ज की वसूली को पीनल बनाया है. उसी तरीके से आप भी बनवायें दूसरे आपने यह कहा है कि अगर किसी ने कोई किसी के पास अपनी चीज गिरवी रख रखी थी, गहना गिरवी रखा था, जमीन गिरवी रखी थी तो यह कर्जा ऐसा एक्ट होने के बाद वह चीज उनको वापस देगा और वापिस देने के लिए यह भी कहना अपना कि अगर वापिस नहीं देगा, देर करेगा तो उसको अपनी मनी, प्रोपर्टी वसूल करने का उस ऋणी को अख्तियार होगा। मैं यह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि यह जो शब्दावली आपने इस कानून में रखी है, यह तो आपकी घर की नही है उसी बाउण्डेड लेबर आर्डीनेंस से जो आपने ली है फिर उसको अधूरा क्यों लिया। उस कानून में यह भी कहा है कि अगर तीस दिन के अन्दर 2 वह पजेशन उस चीज का वापिस नहीं दें, जो आजाद हो गई है, तो उसको जुर्म करार दिया है और नहीं देने की स्थिति में उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, फौजदारी मुकदमा चल सकता है, उसको सजा हो सकती है, पीनल बनाया है आपने। मैं आपको याद दिलाऊं कि टीनेंसी एक्ट में जब संशोधन किया गया और 15 तारीख को इसी सदन में इस बिल को लिया था उस समय 15 वर्ष से पांच वर्ष का संशोधन में लाया था और हमने यह अमेंडमेंट रखा था कि उसका कब्जा दिलाने की कोई गारण्टी नहीं है तो आपने अपनी तरफ से एक पीनल क्लाज मूव करके जो कि इसी हाउस में अडाप्ट हुआ है, दो साल की सजा और इतना जुर्माना वह कब्जा नहीं दिलाए तो हो सकता है। वही बात इसमें भी हो सकती है कि वह कब्जा जिसके पास है, जिन ऋणों को माफ कर सकता है, किसी की दो बीघा जमीन है जो किसी के पास रहन थी या किसी की हंसली किसी के पास गिरवी थी, या किसी के पास किसी की भैंस या बैल गिरवी था वह एक्सटिग्विश होता है तो वापिस होना चाहिए। वापिस नहीं होगा तो अब मजबूरन उसको सिविल सूट लाना पड़ेगा और उस गरीब के पास कहां पैसा है कि सिविल सूट करके इस बुनियाद पर डिक्री हासिल कर ले। तो जिस तरह से आपने टीनेंसी एक्ट में उस मोर्टगेजी पर रहम खाकर उस के लिए दो साल की सजा और इतने रुपये जुर्माने का प्रोविजन किया है और उसको मजबूर किया है कि जमीन का कब्जा वापिस दिलायेगा। उसी तरीके से यह साधारण आर्डीनेंस की तरह से मैं आपसे कहूंगा कि वैसा ही आप पीनल क्लाज बना दें कि तीस दिन के अन्दर 2 अगर वापिस नहीं करता है तो यह जुर्म होगा, इसकी इतनी सजा होगी और इस तरह से जहां आपने इस बिल में यह

Page No 75

75

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दूसरे क्लाज लिए हैं, कहीं से ढूंढ़ना नहीं है, अपने ही पास मौजूद हैं। इसलिए मैं राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इस बिल में पीनल क्लाज वहां से ले लें तो यह बिल अपने आप में पूर्ण बन जाएगा।

तो यह कुछ एक पोइन्ट और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। उस दिन मोरेटोरियम ओन डेट्स वाले दिन क्राफ्ट की डेफिनेशन नहीं थी, यह आपने भी महसूस की और अभी भी इस बिल में उस डेफिनेशन के नहीं होने से आज भी उसमें कमी है। तो मेरा निवेदन करना है कि इसके दो ही रास्ते हैं। या तो क्राफ्ट की डेफिनेशन कर दें, जो कस्टमरी ट्रेडीशनल तरीके से गांवों के अन्दर रहने वाले या ट्रेडीशनल लोग जो उसमें शामिल होते हैं उसका शिड्यूल आप इसके साथ लगा दीजिए और उस शिड्यूल को समय समय पर रिवाइज करने का अधिकार गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लें। जैसे जैसे आपके नोटिस में आए, इस प्रकार के नए लोग आएं जिनको शामिल होना चाहिए, आप उसमें एड करते चले जायं। या आप इस डेफिनेशन के बजाय इस शिल्पी ग्रामीण शिल्पी का मतलब जो कि इस एक्ट के साथ परिशिष्ट में दिए गए क्राफ्टर हैं, यही ग्रामीण शिल्पी माने जायेंगे और इनको ही इसके अन्दर शामिल कर दीजिए, वरना केवल ज्यूडिशियल इण्टरप्रिटेशन पर छोड़ना मैं उचित नहीं समझता हूं। मैंने उस दिन भी आपको यह निवेदन किया था कि यह बिल पास होते ही हमारे गांव का नाई, अपना धोबी, अपना कोचवान पूछेगा कि मेरा कर्जा माफ हुआ कि नहीं तो हम क्या कहें उससे। आपकी कर्जा माफ करने की नियत है तो इस प्रकार के लोग, कई लोग जो शनिश्चर का तेल मांगते हैं, उनको क्राफ्टर मानेंगे, जो शनिचार का तेल मांगते हैं, जो जोगी हैं जो आटा मांगते हैं यह कोई क्राफ्टर नहीं है लेकिन बहुत गरीब लोग हैं, इन गरीब लोगों ने अगर कर्जा लिया है तो न ये ग्रामीण शिल्पी हैं, न छोटे किसान हैं, न ये कोई सीमान्त किसान हैं और न कृषि श्रमिक हैं। ये इस डेफिनेशन में नहीं जायेंगे, इसलिए या तो आप वह कमजोर तबका जिसकी डेफिनेशन हमने रखी है उसको आप मान लीजिए तो उससे ओवर राइडिंग हो जाएगा और यह गरीब लोगों को राहत मिल जाएगी, नहीं तो ग्रामीण शिल्पी में तो होंगे नहीं। जो तेल मांगने वाले हैं या आटा मांगने वाले हैं वे तो अपने आपको ग्रामीण शिल्पी नहीं कह सकते हैं लेकिन कानून में मैंने इन्कलूड्स वीमेन कर दें, पुरुष को भी स्त्री कह सकते हैं तो बात दूसरी है। आप शिल्पी की डेफिनेशन में जोगी को भी रख दें, तेल मांगने वाले को भी रख दें, कोतवाल को भी रख दें तो ये सब कवर हो जायेंगे। तो दोनों रास्तों में से एक रास्ता आप बतलाएं तो आपका यह कानून पूर्ण होगा और नहीं तो उसके अन्दर दिक्कत आएगी।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजगढ़ सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही, हमारी कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी की तरफ से जो माननीय सदस्य आए हैं उन्होंने इस बिल का स्वागत तो किया लेकिन बाद में जो व्याख्या की उससे ऐसा लगा कि स्वागत में बिल का विरोध है। कहने लगे कि इससे गांवों के अन्दर झगड़े फैला देंगे। तो माननीय सदस्य

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गांव के साहूकारान और इस पिसी हुई जनता के बीच झगड़े को बहुत खराब समझते हैं। आज की मार्क्सिस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी की रिवोल्यूशन की डेफिनेशन में गांव की यह पिसी हुई जनता अपने इन साहूकारों के खिलाफ खड़ी न हो और उनमें आपस में संघर्ष न हो, क्या आज उनकी मान्यता यह रह गई है। उनका कर्जा माफ नहीं करके केवल सरकार के ही कर्जे माफ हों। केवल सरकार से ही संघर्ष हो, जनता का जनता के बीच आपस में नहीं हो। उनकी राजनीति में आज वह शोषक साहूकार भी जनता लगता है और वह शोषित किसान भी जनता लगता है और उसकी एकता चाहते हैं, खराब लगती है तो सरकार की लगती है। सरकार ने तो मकान बनाने के लिए ऋण दिया, सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण दिया है या बीज के लिए ऋण दिया है, कोआपरेटिव का ऋण है, उनको वे कर्जे तो माफ होने चाहिए और उस बेचारे साहूकार के, आपस में बिरादरी के भाइयों में, गांव वालों में आपस में झगड़े नहीं हों, तो उनके हिसाब से यह बिल सरकारी कर्जे माफ होने का बिल होना चाहिए, साहूकार के कर्जे माफ करने का बिल नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं और हमारी पार्टी इस बात से सहमत नहीं हैं बल्कि हम तो यह कहते हैं कि यह रिवोल्यूशनरी आइडियल के बिल्कुल खिलाफ है, बिलकुल विरोध में है और पूरी तरह से शोषक वर्ग की खुली वकालत है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का दृष्टिकोण दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता आल्टरनेटिव क्रेडिट के सम्बन्ध में यह दृष्टि में रख कर उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। यह सदन में सभी माननीय सदस्यों ने कहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना प्रवर समिति को भेजने का मोशन मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता समापन) विधेयक, 1976 को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय इस सम्बन्ध में मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है, इस सम्बन्ध में मैं सदन के समक्ष अपने विचार रखना चाहता हूं।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सदस्य (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) क्या कवर कर रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो यह कवर कर रहा हूं कि इसके अन्दर मेहतर शामिल नहीं हो रहे हैं, वह तो सबसे वीक कास्ट है ....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह विधेयक सीमित करके ग्रामीण शिल्पी ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तो समझ गए आप ?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बारीक बात को वे समझ नहीं पाये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : .. के लिए ही लाया गया है। मैं तो यह कहना चाहता हूं और मैंने पहले भी जब मोरेटोरियम का विधेयक आया था तब यह बात रखी थी कि इस

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कानून से डेजर्ट एरिया के किसी भी गरीब आदमी को रिलीफ नहीं होगा। मैंने पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी की है। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें केलकुलेशन कर ले क्योंकि जो मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन दी है उस मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन के अन्दर 3.67 हैक्टर लैंड पर मार्जिनल फार्मर है इन डेजर्ट एरिया के अन्दर। तो 3.67 हैक्टर यानि 23.32 बीघा। 23.32 बीघा तो हर एक किसान के पास में जमीन ज्यादा ही होगी अनुसूचित जाति और जन जाति या कोई भी कमजोर से कमजोर वर्ग को ले लें उसके पास में भी 23.32 बीघा से जमीन ज्यादा है। अगर 23.12 बीघा जमीन रखता है तो वह किसी भी हालत में उस जमीन पर निर्भर नहीं रह सकता है। उसकी कोई इकोनोमी ठीक नहीं हो सकती है। वह अपना निर्वाह इस जमीन से नहीं कर सकता है इस रेगिस्तानी क्षेत्र में। इसलिए 23.32 बीघा जो निर्धारित की गयी है मार्जिनल फार्मर की डेफीनेशन में, पहले तो स्माल फार्मर की डेफीनेशन थी और स्माल फार्मर की डेफीनेशन में उससे डबल हो जाता है। जो मोरेटोरियम का विधेयक था, वहां डबल हो जाता है। तब 46 बीघा जमीन आ जाती थी। परन्तु वहां स्माल फार्मर को जो ऋण माफ किया गया है··

श्री उपाध्यक्ष: स्माल फार्मर पर लागू नहीं होता है।···

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: स्माल फार्मर पर लागू नहीं होता है, यह तो मैं भी कह रहा हूं। मार्जिनल फार्मर पर लागू हो रहा है तब इस डेजर्ट एरिया को और कोई लाभ नहीं होता है। इसके बारे में अमेन्डमेन्ट भी रखा है। यह जो इर्रीगेटेड एरिया है, उनके बारे में भी कुछ इसमें बढ़ाने के लिये माननीय रामानन्द जी ने और इस डेजर्ट एरिया के बारे में संशोधन रखे हैं···

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैंने डेजर्ट एरिया के बारे में 9 एकड़ के बारे में कहा है। जो रखा है उसको एकड़ में कन्वर्ट किया है। मैं इसको बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: तब तो इससे भी लाभ नहीं है। मैं तो 9 एकड़ नहीं, 9 हैक्टर समझ रहा था। 9 एकड़ से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए इसका तो अमेन्डमेन्ट राज्य सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत कर दिया जाये तब ही हमारे जिले के किसानों को लाभ हो सकता है और इसके लिए मेरा सुझाव है कि 75 बीघा आप रखें तब जाकर डेजर्ट एरिया को लाभ होता है। एलाटमेन्ट भी करते हैं तो 75 बीघा का करते हैं। 75 बीघा नहीं करते हैं तो 50 बीघा कर दें तब जाकर के शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स और वीकर सेक्शन इसका लाभ ले सकेंगे अन्यथा किसी भी तरह से लाभ नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कर्ज से मुक्त करने के बाद आप यह समझ लें कि कर्ज से मुक्त कर दिया और एक निश्चितता आ गई, यह मैं नहीं मानता हूं। कर्ज से मुक्ति देने के बाद में गवर्नमेन्ट की रेस्पांसिबिलिटी होगी और साथ ही साथ हमारे ऊपर भी रेस्पांसिबिलिटी आयेगी क्योंकि इनको कर्ज से मुक्त कर दिया है।··

श्री ओंकारलाल चोहान: आप तो खुद देते हैं।

Page No 78

(78)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं तो नहीं देता हूं और न कभी दिया है और न कभी इन्ट्रेस्ट ही लिया है मेरी जिन्दगी में। यह मैं आपको कहना चाहता हूं तो मेरा निवेदन यह है कि जिन लोगों को कर्जे से मुक्ति दी है, उन लोगों को, गवर्नमेंट को लोन देना चाहिये, कोआपरेटिव लोन दे और दूसरी एजेन्सीज लोन दे काश्त करने को हल की सुविधा दी जाये, काश्त करने के लिये बैल की सुविधा दी जाये। जिन लोगों को ऋण से मुक्त किया है, उन लोगों के लिए स्पेशली गवर्नमेंट की रेस्पांसिबिलिटी होनी चाहिये कि इन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा दी जाये ताकि वे फिर से सरों के ऋण के चंगुल में न फंसे। महाजन के चंगुल में न फंसे। कर्जों से मुक्त कर दिया और बाद में शादी के मामले में, शराब के मामले में और दूसरे प्रकार के व्यसन को लेकर ये लोग कर्जे में न फंसे, गवर्नमेंट इसका भी बराबर ध्यान रखे वरना क्या गवर्नमेंट बार बार इनको कर्जे से मुक्त करेगी? यह प्रश्न सामने आयेगा। इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेवारी आती है कि जिन लोगों को कर्जे से मुक्त किया है उन लोगों को विशेष मदद दी जाये ताकि वे अपना जीवन निर्वाह कर सके और अच्छी तरह से जिन्दगी चला सके।

दूसरा पाइन्ट यह कहना है कि यह जो प्राविजन रखा है, कर्जे से मुक्त कर रहे हैं कि उनके जितने मोर्टगेज डीड हैं उनका फौरन पजेशन देना भी आवश्यक है परन्तु इसके बारे में प्राविजन यह रखें कि प्रोपर्टी की प्राप्ति के लिए वह सिविल सूट करे। तो सिविल सूट करने की उसको शक्ति नहीं है। यह स्पष्ट है। सिविल सूट का प्राविजन किया तो क्या वह सिविल सूट करेगा। वह सिविल सूट कर्जा लेकर ही करेगा। यह पोजीशन है। इस प्राविजन के साथ पीनल क्लाज हो। 30 दिन के अन्दर वह कर दें वरना सजा के बारे में पीनल क्लाज होना चाहिये। जब तक पीनल क्लाज नहीं होगा तब तक यह इम्पलीमेंट भी नहीं होगा क्योंकि जो कानून बनावे और उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं होवे तब तक उसका कोई अर्थ नहीं होगा और वह कानून स्थापित भी नहीं होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ग्रामीण शिल्पी के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि कौन कौन व्यक्ति इसमें आते हैं, उसके बारे में कह देना चाहिये। दूसरे फेमिली के बारे में डेफीनेशन भी स्पष्ट होनी चाहिये। यह आवश्यक है और इस कानून के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से अमेन्डमेंट इन दृष्टिकोणों के साथ रखा जावे ताकि यह कानून सार्थक हो और इसका इम्पलीमेंटेशन होकर गरीब आदमियों को इसका लाभ मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली, आप बोल तो चुके हैं। मामला इसको तीन बजे पूरा करना है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : इम्पलीमेंटेशन के बारे में सुझाव दूंगा।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह मानता हूं कि बीस सूत्री प्रोग्राम जो प्राइममिनिस्टर द्वारा हमें दिया गया है, उसके बाद राज्य सरकार और दूसरी सरकारें भी प्रयत्नशील मालूम होती है समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाने के लिए और इस दौर में जितने भी

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

एक्ट और कानून लाये गये हैं, चाहे आर्डिनेन्स की शक्ल में हो, चाहे वे बिल की शक्ल में आ रहे हों, उनमें हमने कुछ कदम आगे बढ़ाये हैं उस मक्सद की तरफ, उस मंजिल की तरफ जिस मंजिल को हमने अपने सामने रखा और इसलिए मैं राज्य सरकार को इस कदम के लिए मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और मैं यह समझता हूं कि अगर आप इस तरह से प्रयत्नशील रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जायेंगे और हम समाजवाद को पूरी शक्ल में ला सकेंगे।

इस एक्ट में कुछ सुझाव जरूर मुझे पेश करना है। इसमें एक बड़ा शक यह पैदा हो रहा है कि आपने यह तो तय कर दिया कि 2400 रुपये के अमाउन्ट से जिसकी आमदनी कम होगी उसका कर्जा माफ हो जावेगा। लेकिन इसको कौन चैक करेगा और इसका क्या आधार होगा, इसके बारे में हमारे लिये कोई रास्ता साफ नहीं है। मेरा निवेदन है कि आपका कानून इस तरह का बनना चाहिये जिसका कि इण्टरप्रिटेशन में एक्जीक्यूटिव का कम से कम हिस्सा हो। मसलन आप यह कह दें कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोग शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग और बेकवर्ड क्लास के लोग इनका जो कर्जा होगा वह तो माफ होगा और दूसरा यह प्रिजम्पशन होगा कि जिनकी इनकम 200 रुपये माह से कम होगी सिवाय इसके कि लेन्ड लॉर्ड या मनी लेन्डर्स यह साबित कर दे कि इसकी इनकम 200 रुपये महीने से ज्यादा है तो इसका बर्डन, इसका सबूत पेश करने का बरडन उस आदमी पर नहीं रहना चाहिये जिसके ऊपर कर्जा है। आप यह कह दें कि इस वर्ग के लोग जिनकी कि हालत कमजोर है, जो पिछड़े हुए हैं, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो गांव में आबाद है, इसके अलावा बेकवर्ड क्लास के लोग जैसे भंगी सर भंगी तो इसमें आता है, धोबी है, नाई है या कोई लोहार है–तो मेरा यह निवेदन है कि आप यह केटेगरी जो है, इसको आप खुद ही लिख दीजिये यह दो अलफाज बढ़ा दें। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में जो कौमें आती हैं, उनका कर्जा माफ किया जाता है। यह कितने आकर कहते हैं कि उनकी ज्यादा आमदनी है। तो इसका तो साबित करने वाले पर होना चाहिए। आज कोई परिवार दो रुपया, चार रुपया से कम में गुजारा नहीं कर सकता है। 2400 की आमदनी तो बहुत से परिवारों को खो कर देंगे। इसको बढ़ाना चाहिए। मेरी पार्टी के लोगों ने सुझाव रखे हैं। 3,000 रखें या 3,600 रखें। इतने रुपये रखना तो बहुत ही लाजिमी मालूम पड़ता है। आपको इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। केटेगरी को एक्सक्लूड करना इसलिए जरूरी होना चाहिए ताकि कानून का इण्टरप्रिटेशन दो, तीन, चार तरह से नहीं होना चाहिए। अब शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राईब्स और बैकवर्ड क्लासेज, इसके अलावा जैसे धोबी और लुहार हैं, उनको शामिल कर दीजिये। उनका कुछ बढ़ा दीजिये। मेरा निवेदन यह है कि मार्जिनल फार्मर का है जैसे, तो वह सीलिंग कानून से सम्बन्धित है। अगर हम इधर से बढ़ाएंगे तो सीलिंग कानून में बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं इसके बारे में कहना नहीं चाहता हूं। आपने जो चीज एक्सक्लूड की है, इसमें शामिल नहीं है। मेरी पार्टी

(श्री मोहम्मद गफ्फार ग्रली)

के लीडर ने कहा है, वह सही कहा है कि जो चीज किसी काइन्ड में ली गई हो, उनको शामिल नहीं करें। हमारे यहां सैकड़ों मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। ऐसी चीजों में कहीं गेहूं है। कहीं बाजरा है। जौ है। इस शक्ल में कर्जा देते हैं। वह कहेंगे कि हमने गेहूं, जौ, चना बेचा था तो वह ग्रांटोमैटिकली फायदा नहीं उठा पायेंगे। अगर वह काइन्ड के रूप में देते हैं।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

दो एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय ग्रौर बोलूंगा।

तो दूसरी चीज यह है कि जो चीज रहन रखी जाती है, उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है। ग्रापने कोई पाबन्दी लगाई नहीं है। थोड़ी लिखा पढ़ी हो तो कर्जा नहीं दिया जाये। जो चीज रहन हो सके। जैसा कि माननीय सदस्य जो कि मेरी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा है। यह उसको इस प्रकार मिलना चाहिए कि ग्राटोमैटिकली ही वह उसको मिल जाए। क्योंकि यह कानून में हो जाएगा तो कुछ लिखा पढ़ी हो जाएगी। लेकिन कानून के दायरे से निकलने के लिए वह ऐसी हरकतें करते हैं ग्न विजीलेंस कमेटी जैसी एक कमेटी होनी चाहिए। दूसरे जैसा कि ग्रलफाजों में बात हो जाती है। ग्रापने हाउस होल्ड का इस्तेमाल किया है। हमारे यहां हाउस होल्ड का मुद्दा कहीं डिफाइन हुग्रा नहीं है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के यहां रहने वाले, कामदार वगैरह जितने रहते थे, उन सभी को हाउस होल्ड कहते थे। वह सब हाउस होल्ड कहलाते थे। पुराने किसान हाउस होल्ड कहलाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हाउस होल्ड लाते हैं तो या तो इस ग्रलफाज को बदलें या इसको अल्टीमेटली डिफाइन करें। जब सीलिंग में डिफाइन करते हैं तो एक तरह से डिफाइन करते हैं जब कर्ज की माफी करते हैं तो दूसरे तरीके से तो यह एनोमोलस पोजीशन लाते हैं। यह सिद्ध करता है कि गवर्नमेण्ट की मंशा साफ नहीं है। यहां हाउस होल्ड कर दिया। जब कानून बनाते हैं तो डिफाइन नहीं करते हैं ग्रलफाजों को ठीक तरह से। तो ग्रन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि यह जो बिल लाया गया है, इसकी खूबसूरती में कसर रहने में ज्यादती पैदा हो जायगी। बनिस्बत इसके कि भद्दा ग्रौर भौंडी शक्ल में ग्राया है इसको लुभावना रखा जाये। जैसे कि माननीय मंत्री जी दिल ग्रौर चेहरे से हैं तो मैं चाहूंगा कि ग्राप इसको भी खूबसूरत बना दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्रीजी।

एक माननीय सदस्य : बालों की सफेदी को मत भूल जाना।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे ग्रत्यन्त प्रसन्नता है कि जिन 8 माननीय सदस्यों ने इस विधेयक जिसका कि टाइटिल राजस्थान ग्रनुसूचित ऋणी (ऋणिता समापन) विधेयक, 1976 है 8 प्रस्तावों के जरिये से इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित करने ग्रौर प्रवर समिति को सुपुर्द करने हेतु जो प्रस्ताव दिये थे, वह ग्राठों माननीय सदस्य बोले हैं। ग्रन्यथा किसी बिल पर ऐसा नहीं होता था कि पूरे माननीय सदस्य बोलते हों। विशेषता यह रही है

(श्री परसराम मदेरणा)

कि माननीय सदस्य उपस्थित रहे हैं और बोले भी हैं। श्री गफ्फार साहब की स्पीच सुनने के बाद मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि यह बिल या विधेयक लुभावने वाला नहीं है। उन्होंने जो मेरे बारे में कहा · ·

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: आप हैण्डसम आदमी हैं, इसलिए आपसे हैण्डसम कारनामों की उम्मीद है।

श्री परसराम मदेरणा: इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन कुछ प्रावधान वह चाहते हैं कुछ परिभाषाएं हैं जिनमें वह तब्दीली चाहते हैं या उनको एनलार्ज कर दिया जाये। चाहे वह इन्कम रेंज की परिभाषा हो या एग्रीकल्चर लेबर और रूरल आर्टीजन की हो या असेट्स रेंज से ताल्लुक रखने वाली हो। वह यह चाहते हैं कि परिभाषाओं में तब्दीली होनी चाहिए। और तब्दीली होने के अलावा जो सोर्सेज से आय के 2400 रुपये रखे हैं, उनकी यह मांग है कि एक व्यक्ति के लिए यह बहुत कम है। ऐसा दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा था। डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह 4000 रु. कर दी जाये। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य को कोई एतराज नहीं होगा, अगर उसे 3600 रु. कर दिया जाये। यहां पर यह भी कहा गया कि इस कानून के लागू हो जाने से जो खिलाफवर्जी करते हैं ऐसे व्यक्तियों को उनकी इस कार्यवाही के लिये दोषी माना जाना चाहिए और उनको सजा भी दी जानी चाहिए, इस बात का प्रावधान भी इस कानून में किया जाना चाहिए। यहां पर यह बात भी कही गई कि इस कानून को लागू करने के लिये कोई विजिलेन्स मशीनरी इन्वाल्व नहीं है इसलिए जैसे बॉन्डेड लेबर एक्ट में मशीनरी इन्वाल्व की गई है उसी प्रकार से इसमें भी होनी चाहिए। सीलिंग में जो डेफिनेशन बान्डेड लेबर की थी वही इसमें भी है की जानी चाहिए। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य का भी यही सुझाव था और इस आरग्यूमेन्ट की ताईद की है जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने। उन्होंने कहा है कि इससे सरकार की नियत पर शक-शुबाह और डाउट होता है कि एक कानून में एक परिभाषा होती है किसी के लिए और दूसरे कानून में उसी की दूसरी परिभाषा लगा कर हाउस-होल्ड रख दिया गया है। यहां पर यह भी कहा गया कि इस कानून के क्लाज 3 में जो सब-सेक्शन (ई) जोड़ा गया है वह नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद तो इस कानून के परव्यू में बहुत ही कम क्रेडिटर्स आ पायेंगे और इस तरह से इस बिल को खोखला बना दिया गया है। यहां पर यह भी कहा गया कि समाज के कुछ कमजोर वर्ग के लोग जो शिड्यूल्ड डेटर्स की परिभाषा में नहीं आते हैं—शिड्यूल्ड डेटर्स की परिभाषा क्लाज 2 में दी गई है—और इसलिए इसमें कुछ ऐसे लोग जो गरीब हैं, जैसे धोबी हैं, नाई हैं, हरिजन हैं, डोम हैं इनको भी उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनको इसमें सम्मिलित करने के लिये या तो कमजोर वर्ग की परिभाषा एक अलग ही बनाई जाय और ग्रामीण शिल्पियों को इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हुए इनको इन्क्लूड कर लिया जाय तो इससे डिजायर्ड आब्जेक्टिव प्राप्त किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा यह होता

(श्री परसराम मदेरणा)

कि मैं इन सब पर क्लाज बाई क्लाज कुछ कहता, लेकिन सदन के समय का ख्याल करते हुए, कुछ बातें जो यहां पर उठाई गई हैं वे बेसिक बातें हैं इसलिए मैं उचित समझता हूं कि उनका उत्तर दे दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन जानता है कि राजस्थान की सरकार ने और इसी सदन ने समय समय पर एग्रीकल्चरल रूरल इन्डेटेडनेस को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाये हैं, इन सबके डिटेल्स में तो मैं समय की कमी के कारण नहीं जाना चाहूंगा। इन्हीं उठाये गये कदमों में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के सैक्शन 2 के तहत युसुफ फेक्टरी के मोर्टगेज का समय दस साल रखा गया था, यह एक प्रोग्रेसिव स्टेप था और इसी तरह से 1957 में राजस्थान में राजस्थान रिलीफ ऑफ रूरल इन्डेटेडनेस का एक कानून बनाया गया और उसमें यह प्रावधान किया गया कि 1952 के पूर्व के के जो भी ट्रान्जेक्शन्स थे उनका इन्ट्रेस्ट सिक्योर्ड का 6 पर्सेन्ट और अनसिक्योर्ड का 9 पर्सेन्ट रखा गया था और 1-1-1945 के पूर्व के जो ऋण थे उनका स्केल डाउन हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मनी-लेन्डर्स एक्ट, 1963 इसी सदन में पास किया गया और उसमें यह प्रावधान था कि हर एक मनीलेन्डर इस एक्ट के तहत अपने आपको रजिस्टर करवायेगा और लाइसेन्स प्राप्त करेगा। वह अपने अकाउन्ट्स भी मेन्टेन करेगा और स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउन्ट भी डेटर्स को फरनिश करेगा उसमें भी इन्ट्रेस्ट की लिमिट रखी गई है और जिसमें प्रिन्सिपल को भी सम्मिलित किया गया था। इन तीनों अधिनियमों के अन्दर एग्रीकल्चरल रूरल इन्डेटेडनेस से रिलीफ दिलाने के जो प्रावधान थे उनके डिजायर्ड परिणाम हमारे सामने आये और बहुत कुछ रिलीफ मिल सका। उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री ने बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और बीस सूत्री कार्यक्रम कमजोर वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने के लिये हैं, यह देश का एक आर्थिक कार्यक्रम है, और इस आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार ने कुछ और कदम उठाये हैं। जैसा कि यह सदन जानता है सबसे पहले जो इस तरह का कदम उठाया गया जो अनुसूचित ऋणी थे जिनमें स्माल फार्मर्स भी सम्मिलित किये गये हैं उन पर मोरेटोरियम इम्पोज करके एक वर्ष के लिये वसूली पर रोक लगा दी गई। इसका उद्देश्य यही था कि पहले स्टेप में इस पर रोक लगा दी गई है और उसके बाद में उसके लिक्विडेशन के लिये कानून लाया जायगा, जो कि इस सदन के समक्ष विचाराधीन है। इसके तहत राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के सेक्शन 43 में युसुफ फेक्टरी का मोर्टगेज का पीरियड दस साल से 5 साल कर दिया गया है और बाद में जैसे कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सेक्शन 91 को लागू करने की बात कही थी और जो सेक्शन 43 में सूट हो जायगा तो एक चैनल आफेन्स मूव करने के लिये मैंने वह बिल का एक पार्ट बना दिया, उसी प्रकार का एक प्रावधान इस विधेयक में भी प्रस्थापित किया जाय यह सुझाव है। उसके साथ साथ मनीलेन्डर्स एक्ट की धारा 11, 36 और 37 में संशोधन किया जिसके अनुसार कोई भी अनलाइसेन्स्ड वाले ने भी पहले ऋण दिया है और वह रजिस्टर्ड नहीं था

Page No 83

(83)

(श्री परसराम मदेरणा)

इस सम्बन्ध में भी प्रोवीजन 26 और 27 में किया गया है। इसके बाद बोन्डेड लेबर का भी कानून बना और ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के बन्धक में थे उनको इससे मुक्ति दिलाई गई और साथ में जो उनका कर्जा था उससे भी उनको मुक्ति दिलाई गई इसलिए बोन्डेड लेबर का जो आर्डिनेन्स है क्योंकि यह आज के वक्त में इन्सानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा था इसलिए उसके प्रावधान जो किए गए हैं उन प्रावधानों में मनी लेंडिंग या समाप्ति के संबंध में उसी प्रकार के प्रावधान रखे जायं, यह बात उपयुक्त नहीं होगी। बांडेड लेबर का कानून बना है उससे भी बड़ा रिलीफ मिला। मैं इस भूमिका में इसलिए गया था क्योंकि मैं सदन को बता देना चाहता था कि लिक्विडेशन आफ डेट्स आफ शिड्यूल्ड डेटर्स, यह अपने आप में कदम नहीं है, बल्कि दूसरा कदम भी है जो इस केटेगरी के लोग हैं, अलग अलग अधिनियमों के प्रावधानों में उनको रिलीफ मिलेगा। ये सब कुल मिलाकर जो कदम हैं वे एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस को समाप्त करने के लिए और उसके कर्जे को मुक्ति देने के लिए है। अब मैं इस बिल के मेन प्रावधान पर आता हूं। इसमें शिड्यूल्ड डेटर्स की जो परिभाषा है उसमें स्माल फार्मर नहीं है। उनके कर्जे को स्केल डाउन करने का है, इसके लिए मैं राजस्थान रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस अधिनियम 1957 में जल्दी ही संशोधन ला रहा हूं और उसका प्रारूप तैयार हो रहा है। ऐसा मोटे तौर पर सोचा जा रहा है कि ऐसे जो स्माल फार्मर्स हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए टोटल जो उनकी खेती से आमदनी है उसमें एक साल में जो किश्तें रखी जायं वह 20 प्रतिशत आफ ग्रोस प्रोड्यूस से ज्यादा नहीं हों। उसमें भी यह रखा है कि कुछ वर्षों के लिए इक्वल इन्सटालमेंट्स में उसका कर्जा देय होगा और उससे ज्यादा अगर कर्जा है तो उसके ग्रोस प्रोड्यूस को आधार मानते हुए वह माफ हो जाएगा। इस प्रकार का कानून लाने का विचार है ताकि सदन को जानकारी रहे कि स्माल फार्मर्स को रिलीफ देने के संबंध में क्योंकि अभी मोरेटोरियम रहेगा, मोरेटोरियम का बिल सदन ने 15 तारीख को पारित किया है और इसलिए वह कानून बन जाएगा। एक साल तक की अवधि बढ़ाने की पावर्स राज्य सरकार के पास उस बिल में हैं। इस अवधि में जल्दी इस प्रकार का विधेयक ला रहे हैं और उसमें अनिश्चित स्थिति न रहे जो मोरेटोरियम लगा हुआ है छोटे काश्तकारों के दावों के संबंध में, वह अनिश्चितता की स्थिति साफ हो जाएगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मोरेटोरियम तो अभी एग्रीकल्चरल लेबर और मार्जिनल फार्मर्स के बारे में रहेगा 2400) रु. के ऊपर की आमदनी वाले...

श्री परसराम मदेरणा : जब तक यह कानून न बन जाए तब तक वह रहेगा लेकिन इनका डेट तो लिक्विडेट करने जा रहे हैं। उसके स्केल डाउन की बात है इसलिए आज जो बिल विचाराधीन है उसमें स्माल फार्मर का कर्जा लिक्विडेट नहीं हो रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बिल के पास हो जाने के बाद भी यह रिलीफ इन रिलेशन टु एग्रीकल्चरल लेबर और मार्जिनल

Page No 84

(84)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

फार्मर या ग्रामीण शिल्पी उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी आमदनी 2400 रु. वार्षिक या जितनी मंजूर करें उतनी है। 4000) रु. जिसकी आमदनी है उसका मारेटोरियम रहेगा लेकिन लिक्विडेशन नहीं होगा। इसलिए जिनका लिक्विडेशन नहीं होगा उनकी कैटेगरी में मोरेटोरियम जारी रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर रहा था स्माल फार्मर्स के संबंध में स्केल डाउन करने की बात सोची जा रही है। आज जो बिल आया है इसमें जो शिड्यूल्ड डेटर्स की परिभाषा है, उसमें तीन प्रकार के लोग रह गए हैं "Scheduled debtor" means an agricultural labourer, a marginal farmer and a rural artisan.

इसकी परिभाषा क्लाज 2 में दी गई है और एग्रीकल्चरल लेबरर की परिभाषा यह है कि "agricultural labourer" means a person who follows any or more of the following agricultural occupations in the capacity of a labourer on hire or exchange, whether paid in cash or in kind or partly in cash and partly in kind and whose annual household income from all sources does not exceed Rs. 2400/- a" year.

उसके साथ में एग्रीकल्चरल आक्यूपेशन्स क्या होंगे, यह भी कन्डीशन है उस परिभाषा में जो नीचे दी हुई है तो एग्रीकल्चरल लेबर का इन्कम रेन्ज नहीं है, उसके साथ और भी परिभाषा की कन्डीशन्स हैं, यह सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी रहनी चाहिए। इसी प्रकार हाउसहोल्ड के संबंध में एक बात कही गई। अब माननीय सदस्यों ने कहा कि परिभाषा साफ नहीं है। हमने जो डेफीनेशन ली है वह सेन्ट्रल गाइडलाइन्स के अनुसार है। यहां पर यह भी कहा गया कि सेंट्रल गाइड लाइन्स के साथ में नहीं रहना चाहिए कभी-कभी आगे भी बढ़ना चाहिए लेकिन हाउसहोल्ड का मतलब हमेशा यही होता है कि जो लोग शामिल भोजन करते हैं, एक ही रसोई होती है, सोर्सेज कुछ भी हों। यह जरूर है कि ग्रामीण शिल्पी की जो परिभाषा दी गई है उसमें ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन भी है, आधा बीघा भी है, उनको इसमें फायदा नहीं होगा, वह बिल्कुल बच गया है। अगर एक बीघा जमीन भी है ग्रामीण शिल्पी के पास में और दोनों ही सोर्सेज मिलाकर खेती और क्राफ्ट से आमदनी पूरी आमदनी अगर 2400) रु. से भी कम है लेकिन अगर उसके पास जमीन थोड़ी बहुत है तो शिल्पी भी परिभाषा में नहीं आएगा। ऐसी सेंट्रल गाइडलाइन्स थी, हमने उनके अनुसार इसमें प्रावधान रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाउसहोल्ड की डेफीनेशन कहीं नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं ग्रामीण शिल्पी की डेफीनेशन दे रहा था। दोनों में हाउस होल्ड है। एग्रीकल्चरल लेबरर में है :

"...Whose annual household income from all sources does not eceed Rs 2400/- a year."

यह शिल्पी में भी है, एग्रीकल्चरल लेबरर में भी है। लेकिन एग्रीकल्चरल लेबरर

(श्री परसराम मदेरणा)

यह है जो इन आक्यूपेशन्स को करता है, उसके पास भूमि है या नहीं। इस संबंध में कोई एक्सप्रेस प्रावधान उससे एक्सक्लूड नहीं होता है। जमीन है, उसके साथ धंधा करता है तो कुल मिलाकर 2400) रु. नहीं होने चाहिए। लेकिन रूरल आर्टीजन मीन्स ए परसन हू डज नाट होल्ड एनी लैंड। अगर थोड़ी बहुत लैंड है तो फिर रूरल आर्टीजन की परिभाषा में नहीं आयेंगे.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इसको डिफेक्टिव नहीं मानते ?

श्री परसराम मदेरणा : थोड़ा सा पेशन्स रखें। अगर मैं डिफेक्टिव नहीं मानता तो यह बात सदन में क्यों कहता ? इसलिए मुझे दिखता है कि इस संबंध में उनको कोई लाभ नहीं होगा। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो क्लाज 2 जे में संशोधन रखा है, उस संशोधन रखने में और दूसरी डेफीनेशन दी है ख के पास में उसमें मुझे विरोधाभास मालूम होता है। एक तरफ आप दलील दे रहे थे कि ग्रामीण शिल्पी की डेफीनेशन में सबको इन्क्लूड करो। उधर कमजोर वर्ग की आपने डेफीनेशन दी है उसमें लिखा है शिल्पी इसमें सम्मिलित नहीं होगा। अब प्रश्न यह रहा कि कुछ जातियां हैं, गरीब हैं। जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप नाई, धोबी, मिरासी व हरिजन को रखो और साथ ही साथ शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को रखो तो परिभाषा कमजोर वर्ग की बिल्कुल पूर्ण हो जाएगी और सब लोगों को इससे लाभ मिल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम कोई डेफिनेशन ऐसी रखना चाहते हैं जो कि जाति-पांति के आधार पर हो। शिड्यूल्ड ट्राइब का कोई भी व्यक्ति किसी भी गांव में बैठा हुआ है, चूंकि वह शिड्यूल्ड कास्ट का है या ट्राइब का है, इसलिये जो कर्जा है, कम आमदनी है तो उसको कर्जा माफ हो जाना चाहिये। उसी प्रकार से कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरी जाति का है, धोबी का काम करता है, उसकी क्या इनकम है, कम है या ज्यादा है, तीन हजार तक उसको भी जोड़ना चाहते हैं, किसी की तीन हजार से अधिक हो सकती है, अकाउन्ट तो वह मेन्टेन करता नहीं, जो व्यक्ति गरीब हैं उनको शिड्यूल में इन्क्लूड किया है, आप डेफिनेशन को एन्लार्ज करना चाहते हैं, उसमें ज्यादा लोग आना चाहिये और एनलार्ज कराना चाहते है जाति-पांति के आधार पर। शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी बहुत ज्यादा गरीब है, कुछ ठेकेदार भी हैं उनमें। ट्राइब में कम होंगे। इकोनोमिकली वीकर सेक्शन में दूसरी कौमों के लोग भी आ सकते हैं, परिस्थितियां आ सकती हैं। जिसमें बहुत माइनर रह सकता है, इसलिये जाति के आधार पर इसको न रख कर इस डेफिनेशन का आधार इकोनोमिक कन्डीशन और माली हालत रही है।

यहां पर अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि सेक्शन 3 ई में "any debt which represents the price of the goods purchased by a scheduled debtor"

यह जो सेक्शन 3 है "Inapplicability of the Act certain debts and liabilities"

उसमें इस प्रकार का कर्जा जो गुड्स के अगेंस्ट में लिया गया है अगर इसको इन

(श्री परसराम मदेरणा)

एप्लीकेबल बना देते हैं तो कुछ भी नहीं छोडा है और राहत नहीं मिलती है। इस प्रकार का प्रावधान है। भारत सरकार की गाइड लाइन्स मोरेटोरियम के बाद आयी, तो बिल की स्टेज आयी ओर्डिनेन्स निकाला, ड्राफ्ट था, यह इनएडवरटेन्टली नहीं आया है, मंत्री मण्डल में चर्चा हुई थी, गाइड लाइन्स के अनुसार ही रखना चाहते हैं इस प्रकार का प्रावधान कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी है और महाराष्ट्र में उस तरह से तो नहीं है लेकिन "22" जो महाराष्ट्र का भी है :

"Any claim arising out of a contract or transaction not connected with money matter"

बाकी में इसी प्रकार का प्रावधान है जो कि हमारे बिल में है। और जैसा कि अभी बहुत से माननीय सदस्य कह रहे थे कि गांव में आप जानते हैं कि गरीब आदमी किसी आदमी से बीज लेता है, खाद लेता है, गरीब आदमी अकाल के वक्त खाने के लिये एक क्विन्टल मोठ या बाजरा ले लेता है, गरीब आदमी किसी दूसरे आदमी से गुजारा चलाने के लिये कोई चीज ले लेता है, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य बात बिल्कुल सही कह रहे थे कि आपने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की और आल्टरनेटिव चैनल इवोल्व नहीं किया तो लोगों को आप अनसरटेन्टी में डाल देंगे। जो भी राजस्थान कोआपरेटिव एक्ट में वीकर सेक्शन को कर्जा देने के लिये कदम उठाये गये हैं, रूरल बैंक्स जिस रफ्तार से स्थापित हो रहे हैं एक जगह और खोला गया है।

(2.26 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में एक कमेटी बैठी थी जिसने अन्दाज लगाया था कि 200 करोड रुपये की आवश्यकता है राजस्थान को और देश में 4000 करोड की आवश्यकता है। कोआपरेटिव सेक्टर से एक चौथाई आवश्यकताओं को आज मीट कर रहे हैं, तो आल्टरनेटिव व्यवस्था इतनी जल्दी होना मुझे सम्भव नहीं दिखता है। इसलिये इस बारे में काम न किया जाय ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम लोगों को किल्लत और परेशानी में डाल दें। बात वे बिल्कुल सही कह रहे थे। इसके पास होने के बाद असर यह होगा कि आल्टरनेटिव एजेन्सी है नहीं, उसको करने के लिये सजेशन यह आया है कि बैंक खोल दीजियेगा। अभी सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कम से कम एक गांव में खोलें तो ठीक है, नहीं तो एक ग्राम पंचायत में बैंक की शाखा खोल दीजियेगा। उनकी डिमाण्ड यह थी। मुझे यह संभव प्रतीत नहीं होता है। और लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे अभी तो यह कर देंगे और गरीब आदमी को कर्जा मिलना बिल्कुल बन्द हो जावेगा और परेशानी में पड़ जावेगा। जो फायदा करने वाले हैं, जनता का कांग्रेस के सिद्धान्तों पर और नेता प्रधान मंत्री में विश्वास है, स्टेट गवर्नमेन्ट ऐसा एक्शन ले कर्जे के समापन में, वह उसको और कोई भी रिलीफ न दे और लोगों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाय तो उसको देखना चाहिये। जब तक कोई आल्टरनेटिव अरेन्जमेन्ट नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

करें और पहले ही ऐसा स्टेप ले लें तो यह रिक्वाइड हो सकता है।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने इस बिल में प्रावधानों को स्ट्रिन्जेन्ट नहीं बनाया। प्रोपर्टी के रेस्टोरेशन में और अन्य धाराओं में कोई उनका कन्ट्रावेन्शन करता है तो उसको सजा हो जावेगी। यह तो चाहिये। प्रावधान बनाने का प्रश्न भी हो जाय, लोग महरूम रह जायं और उनको मदद मिले नहीं क्योंकि आप यह मान कर चलिये कि मुझे शायद इस प्रकार का कानून लाने में यश मिले या अपयश मिले, पहला प्रोविजन एक हद तक डालने के पक्ष में हूं इतना स्ट्रिन्जेन्ट डालने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि अब तक आल्टरनेटिव चैनल ऑफ क्रेडिट जो होनी चाहिये उस प्रकार की कोन्स्टिट्यूट नहीं कर पाये हैं राजस्थान के 34 हजार गांवों में। और नहीं कर पाये हैं तो बहुत सोच समझ कर ही कदम उठाने चाहिये। यह किसी कन्जरवेटिज्म का रिफ्लेक्शन नहीं है किन्तु यह रियेलिज्म और यथार्थता का तर्क है। बिना सोच समझ कर कदम उठा लिया और उसके बाद यह फैल हो जाय उसके जो परिणाम निकलेंगे वे बहुत ही घातक होंगे। और ऐसी अगर सूरत है तो अभी जो हमने कानून बनाया है, भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार बनाया है। कुछ परिभाषा में संशोधन करना पड़ेगा तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अमेन्डमेंट नहीं करूंगा, मैं कुछ अमेन्डमेंट लाऊंगा भी लेकिन हमें उस व्यवहारिक पक्ष को भी नजरन्दाज नहीं करना चाहिये।

यहां पर, सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूं। तीन बजे तक इस बिल को पारित करना है लेकिन यह सब बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने सरकारी ऋण और कोआपरेटिव ऋण का समापन क्यों नहीं किया और कहा कि आप पूर्ण राहत नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट मनी लेन्डर्स का तो समाप्त कर रहे हैं लेकिन यह नहीं कर रहे हैं। मैंने वित्त मन्त्री जी से बात की है आगे भी करूंगा लेकिन राजस्थान के वेज एन्ड मीन्स को देखते हुये यह अभी सम्भव नहीं लगता है।

प्रमाण पत्र की बात कही सरपंच और पंच को इन्वोल्व कीजिये। माननीय सदस्य पंचायत राज संस्था के अध्यक्ष हैं और एक पदाधिकारी के नाते जो आपका प्रयास है, वह काफी सराहनीय है कि आप पंचायत राज को मजबूत बनाना चाहते हैं लेकिन क्लाज (5) में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के अलावा भी सरकार किसी को भी किसी समय सक्षम बना सकती है कि सर्टिफिकेट इश्यू करें। अगर आवश्यकता हुई तो आपके इस सुझाव को ध्यान में रखा जायगा।

यहां पर सादूलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक ऊंट की बात कही। एक हजार के ऊंट की बात बताई, 100 दिये और वह बीमार पड़ गया, इस तरह की कोई बात है तो यह मनी लैन्डर्स के कानून के तहत आता है, इस प्रकार एक आदमी को मदद दे दी है यह मनी लैन्डर्स में नहीं आता है। एक दफा दे दिया लेकिन आप धन्धा कर रहे हैं और ब्याज ले रहे हैं और ब्याज भी

(श्री परसराम मदेरणा)
वह ब्याज जिसका अभी जिक्र कर रहे थे चक्रवर्ती, वह लोगों की हड्डियां चूस लेता है। जैसा लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य को उत्तर दे चुका हूं वही उत्तर आपके लिये लागू होता है। सरकारी कर्ज के समापन के लिये कार्यवाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि देश भर में युनिफार्म कानून है और राजस्थान में अगर आपके सुझाव को मानेंगे तो राज्य की वित्तीय स्थिति डांवाडोल हो जायगी। हम ग्रामीण जीवन को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, उसमें सुधार लाना चाहते हैं और जो लोग उनका खून चूस रहे हैं उनमें सुधार लाना चाहते हैं।

सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कमजोर वर्ग की परिभाषा में परिवर्तन लाने की बात कही है, इसका उत्तर मैं दे चुका हूं-राजस्थान बोन्डेड लेबर की धारा 9 है आपने क्लाज (9) में अमेन्डमेंट किया है इसलिये आप क्लाज (9) पर विचार रखगे तो जो उस आर्डिनेन्स का सेक्शन (9) है उसको ध्यान में रखूंगा।

कागनिजेबल आफेन्स और नान-बेलेबिल आफेन्स के लिये डग से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी जोर दिया है। इसके व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रख कर सम्बन्धित क्लाज जब कन्सीडरेशन में आयेगा तब विचार किया जा सकता है।

2400 से 3000 की रेन्ज को जो एनलार्ज करना चाहते हैं, भारत सरकार की मंशा नहीं है। वह मैं फेमिली की परिभाषा में कह चुका हूं और दूसरी बात मशीन इन्वोल्व करने के सम्बन्ध में बोन्डेड लेबर में मशीन इन्वोल्व करना इसलिये जरूरी है कि कर्जे के एक्सटिंग्वस में जगह जगह यह देखना पड़ता है कि कोई बोन्डेड हो गया क्योंकि बोन्डेडलेबर का कानून और मनी लेन्डर्स एक्ट में भी इस बात का प्रावधान है कोई किसी को सतायेगा नहीं और अगर सतायेगा तो आफेन्स है। इसके साथ में बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने 30 दिन के रेस्टोरेशन की बात कही, उसका उत्तर भी मैं दे चुका हूं और मुझे अब ज्यादा नहीं कहना है। क्लाज आयेगा तो फिर अपने विचार रखूंगा। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव मूव किया है और जो माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखे हैं वे वापिस ले लिये जायं . . . :

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों ने विधेयक को जनमत जानने हेतु अथवा प्रवर समिति को सुपुर्द करने हेतु प्रस्ताव रखा है, क्या वे वापिस लेना चाहते हैं?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

कई माननीय सदस्य : प्रस्ताव वापिस लेते हैं।

श्री सभापति : प्रस्ताव वापिस लिये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता समापन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड (2)

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड (2) के भाग (क) की पांचवी लाइन में अभिव्यक्ति "2400" के स्थान पर "3000" अभिव्यक्ति लिखी जाय-यह प्रस्ताव रखा है । मैं समझता हूं आज कीमतों का स्तर बढ़ रहा है । मेरे विचार में आज जो कीमतों का स्तर है 60 रु. क्विन्टल ग्वार और 60 रु. क्विन्टल कोयला, 35 रु. क्विन्टल लकड़ी, 14 रु. क्विन्टल गन्ना, उसको देखते हुये मैंने कोई ज्यादा ऐसी सीमा नहीं बढ़ाई है और बहुत ज्यादा कहना भी नहीं चाहता हूं, एक रीजनेबल सीमा है 3000 रु. और इसे माननीय मंत्री महोदय को मान लेना चाहिये। आज की परिस्थितियों को देखते हुये यह कम से कम सीमा हो सकती है और माननीय मंत्रीजी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिये, इसको मानने में ।

इसके अतिरिक्त, मैंने यह प्रस्ताव रखा है, भाग (ख) के पश्चात् भाग (ख ख) निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित किया जाये :-(ख ख) 'कमज़ोर वर्ग' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कृषि, श्रमिक, सीमान्त-कृषक और ग्रामीण शिल्पी की परिभाषा में नहीं आता हो और जिसकी परिवार की वार्षिक आमदनी 3000 रुपये वार्षिक से अधिक न हो । टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 खण्ड (ख) के अन्दर है अधिनियम नम्बर (3), 1955 उस में यह संशोधन किया है कि कमजोर वर्ग से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो कृषि, श्रमिक सीमान्त-कृषक और ग्रामीण शिल्पी की परिभाषा में नहीं आता है और जिसकी परिवार की आमदनी तीन हजार से अधिक नहीं हो। यह, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिये रखा है कि यह कमजोर वर्ग है । मैं इस संशोधन को बुनियादी तौर से लाना चाहता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमजोर वर्ग का प्रावधान बिरादरी उनकी कौम के नाम से नहीं करना चाहते हैं तो मैं भी नहीं चाहता हूं कि कौम के नाम पर किया जाय । हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधाराओं के यह बिलकुल विपरीत भी है । हमारा तो हमेशा वर्ग संघर्ष रहा है भारत सरकार ने भी बान्डेड लेबर के सम्बन्ध में जिन लोगों को गिना है बान्डेड लेबर सिस्टम अबालिशन आर्डर में उनके नाम दिये हैं इस सिस्टम में बिरादरियां हैं । दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रकार की बिरादरियां हैं जो बहुत गिरी हुई हैं, न्यूनतम वर्ग की हैं। हमारे कमजोर वर्ग के नाम हैं, वह रख रहे हैं, आगे भ में डाले हैं । इस क्लॉज में केवल हमने ग्रामीण शिल्पी को शामिल किया है ।

इसके अतिरिक्त कुछ अमेंडमेंट रखे हैं भाग (च) के उप भाग (i)(ii)(iii)(iv)(v) को निम्न प्रकार पुनः लिखा जाये :

श्री परसराम मदेरणा : वह अलग से हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी का है । खण्ड 2 चल रहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : "(i) किसी भी प्रकार से सिंचित होने वाली भूमि 1.25 एकड़; भूमि रखा है, (ii) उर्वरा जोन, अर्ध उर्वरा जोन, या पहाड़ी जोन में 2.50 एकड़ भूमि, बारानी रखा है, '(iii) अर्ध रेगिस्तानी जोन में 6.50 एकड़ भूमि' रखा है, '(iv) रेगिस्तानी क्षेत्र में 9.00 एकड़

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

भूमि' रखा है यह हैक्टर का कन्वर्शन रखा है।

'भाग (झ) में शब्द 'उपार्जित करता है' के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और जोड़े जायें :

'जैसे कुम्हार, नाई, धोबी, तेली, मेहतर भंगी, चमार, बुनकर, जुलाहे, डोम, मिरासी, मनिहारी, रामदासिये, कोतवाल, सुथार, रामगढ़िये, ओड़, सांसी।'

जो कमजोर वर्ग के हैं वह विशेष रूप से ज्यादातर बान्डेड लेबर का काम करते हैं, उसके लिए इसका द्वार खोला है। इसमें एक वर्ग ऐसा है जिसे जोड़ा जा सकता है, मैंने भंगी को बिरादरी कहा है। यह शिड्यूल है जिसमें फ्रोम टाइम टू टाइम राजस्थान सरकार और नाम जोड़ सकती है। जहां तक एकड़ वगैरह का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं, यह सीमान्त कृषक है, इसकी परिभाषा के अन्दर, यह अधिक नहीं है, कम से कम रखा है, और हैक्टर का कन्वर्शन एकड़ में किया है। हां, यह ध्यान अवश्य रखा है, जो सिंचन क्षेत्र का सम्बन्ध है, कई प्रकार के सिंचन क्षेत्र हैं, कुए के द्वारा दो फसली, कुए के द्वारा एक फसली, मेजर प्राजेक्ट माइनर प्राजेक्ट मीडियम प्राजेक्ट हैं। मेजर प्राजेक्ट में दो होते हैं, एक पेरेनियल सिस्टम, दूसरा नान पेरेनियल सिस्टम। दुर्भाग्य यह है कि हमारा 1973 का सीलिंग एक्ट है उसमें सारे मेजर इर्रीगेशन प्राजेक्ट इन्टेन्सिटी के साथ सारे मामले को लिया गया है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर है वह इन्टेन्सिटी को डिसाइड करता है, वर्डिक्ट देता है। यह इतना बड़ा लेकुना है। बागात को चार गुना पानी लगता है. सीलिंग चूंकि आ रहा है—इसलिए इन सारी उलझनों को निकालते हुए एक सामान्य स्तर का अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है कि किसी भी प्रकार से सिंचित होने वाली भूमि 1.25 एकड़ रखी है। सारी उलझन में पड़ जायेंगे बान्डेड लेबर तय करने में, सभापति महोदय, कठिनाई सामने आयेगी और बान्डेड लेबर तय नहीं कर पायेंगे। मेजर इर्रीगेशन प्राजेक्ट एरिया के अन्दर इन्टेन्सिटी का मामला है, वह काम्प्लीकेटेड बना देगा। बान्डेड लेबर का मामला है, फिर कुए से इरिगेशन का मामला काम्प्लीकेटेड है, एक जगह पर डेढ़ सौ फीट गहरा कुआ है, झुंझुनू में दूसरे क्षेत्र में दस फीट गहरा कुआ है। उन सारे काम्पलीकेशन्स में से बान्डेड लेबर को निकाला है। एक तरह से मैंने सामान्य स्तर इवाल्व करने की कोशिश की है। माननीय मंत्री जी, बान्डेड लेबर एक कोढ़ है, इससे समाज को मुक्त करना चाहिए और कानून को इस दृष्टि से सिम्प्लीफाई करना चाहिए। पिछली बहस को मद्दे नजर रखते हुए इस सामान्य स्तर को मैंने डाला है, जिसको आपको स्वीकार करना चाहिए। इसको इस सारी उलझन से मैंने बाहर निकाला है। जहां तक खण्ड 2 का भाग (झ) है. उसके अन्दर मैंने यह शब्द प्रविष्ट करवाने की बात कही है, शब्द "उपार्जित करता है" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और जोड़े जायें, जैसे कुम्हार, नाई, धोबी, तेली मेहतर—भंगी, चमार, बुनकर—जुलाहे, डोम, मिरासी, मनिहारी, रामदासिये, कोतवाल, सुथार, रामगढ़िये····

श्री रघुनाथ विश्नोई : रामगढ़िये !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रामगढ़िये, गंगानगर में होते हैं, विलेज आर्टिजन हैं, खाती

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

का काम करते हैं, रामगढ़िये पंजाबी शब्द है। कौलोनाइजेशन एरिया में रामगढ़िये कहलाते हैं, हल वगैरह की मरम्मत करते हैं, भाले ढालते हैं, विलेज आर्टिजन हैं, उसको ज्यादा क्लियर किया है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : हलगढ़िये हमारे यहां पर होते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भारत सरकार ने और नामों को, विशेष रूप से अलग अलग क्लासिफाई किया है। इसमें बिरादरी का प्रश्न नहीं है। भंगी लिया है, इसमें बिरादरी का प्रश्न कहां है। यह बात ठीक है, आर्थिक रूप से शोषित हैं ही और साथ में दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक रूप से बहुत दलित हैं। डाकोत को ले लीजिए। माननीय सदस्य, डाकोत का नाम लिया है, वह केवल शनिश्चर का चित्र दिखा कर तेल डालता है, और चार पैसे इकट्ठे करते हैं। वह इतना आप्रेस्ड है कि किसी को सुबह डाकोत दिखाई दे

श्री रघुनाथ विश्नोई : खाने को नहीं मिलेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो वापिस चला जाय घर। दिल में घृणा भर जाती है, मंत्री जी, अगर डाकोत दिखाई दे जाय। सामाजिक तौर पर वह इतना आप्रेस्ड है। यह निम्न वर्ग की बिरादरी है। कोतवाल का बताया, उसका काम ऐसा है कि गांवों में मृत पशुओं को उठाता है, चमड़ा उतार लेता है, शव बाजार से निकालता है। मैं समझता हूं, इन बिरादरी का प्रश्न है, यह आर्थिक रूप से शोषित हैं ही, साथ ही साथ सामाजिक रूप से आप्रेस्ड हैं। इनके ऊपर दोहरी मार है, यह गुलामों के गुलाम हैं और यह मोस्ट आप्रेस्ड हैं यह मोस्ट आप्रेस्ड सिस्टम आफ लेबर है। मंत्री महोदय को संकोच नहीं होना चाहिए कि शिड्यूल में इनको एण्टर किया जाय।

इसके साथ ही' भाग (अ) में शब्द "तथा" विलोपित किया जाय और अभिव्यक्ति "ग्रामीण शिल्पी" के बाद तथा शब्द 'अभिप्रेत' से पहले अभिव्यक्ति 'एवं कमजोर वर्ग के व्यक्ति' अन्तःस्थापित किये जायें।' फिर भाग (छ), रीओरियेंटेड भाग (छ) में परिभाषा मार्जिनल फार्मर की रखी है, उसको इस दृष्टि से रीओरियेंटेड करने की जरूरत है।

'भाग (ट) को निम्न प्रकार पुनः लिखा जाय : (ट) उर्वरा जोन, अर्ध उर्वरा जोन, पहाड़ी जोन, अर्ध रेगिस्तानी जोन और रेगिस्तानी जोन के वही क्षेत्र होंगे जो राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (राजस्थान अधिनियम 11, सन् 1973) के संलग्न अनुसूची में ऐसे, प्रत्येक जोन के नीचे विनिर्देशित हैं।'

यह मेरे खण्ड 2 में, सभापति महोदय, कुछ अमेंडमेंट हैं। मैं समझता हूं कि इनको स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, माननीय मंत्री जी इन्हें समाविष्ट करेंगे।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं सपोर्ट करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, आप संशोधन भी मूव कर दीजिये और इसका जवाब दे दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : संशोधन है क्लॉज में वह पहले मूव कर दीजिये ।

श्री सभापति : हां पहले मूव कर दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, क्लॉज 2 में भाग क में शब्द 2400 रुपये के स्थान पर 3000 रुपये । उसके बाद ख में आपने कमजोर वर्ग की एक अलग परिभाषा दी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप उत्तर दे रहे हैं या खण्ड में संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री सभापति : आप मूव कर दीजिए संशोधन ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके संशोधन हैं वह पहले मूव कर दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं ।

श्री सभापति : यह नहीं बोल रहे हैं । सपोर्ट किया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने सपोर्ट किया है ।

श्री सभापति : आपने सपोर्ट किया है, जो हाण्डा जी ने कहा है । उसके बाद आप अपने संशोधन मूव कर दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मेरा खण्ड (2) के उप-खण्ड (च) में संशोधन इस प्रकार है : "उप-खण्ड (च) का स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण सं. (1) कर दिया जाय और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण (1) के . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन से में ?

श्री सभापति : च का स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण सं. (1) कर दिया जाय ।

श्री परसराम मदेरणा : स्पष्टीकरण संख्या (1) लगाना चाहता हूं च के पास में ।

श्री सभापति : आप पूरा पढ़ दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : 'उप-खण्ड (च) का स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण सं. (1) कर दिया जाय और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण और जोड़ा जाय अर्थात् : "(2) जल द्वारा सिंचित भूमि, उप-खण्ड (i) या (ii) के अधीन आने वाली नहीं समझी जायेगी बल्कि उप-खण्ड (iii) के अधीन आने वाली समझी जावेगी ।' इर्रीगेशन वाई वेल्स । दूसरा है, 'खण्ड (झ) में शब्द 'जो कोई भूमि धारण नहीं करता है तथा 'लोपित कर दिया जाय । यह दो संशोधन हैं ।

श्री सभापति : अब आप जवाब दे दीजिये, जो कुछ कहना है । माननीय सदस्य ने कहा उसके बारे में कुछ कहना हो तो कह दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो ऐसा सोच रहा था कि पहले जवाब दूंगा जो संशोधन मूव करे गये । क्योंकि अब मैंने मूव कर दिये हैं तो माननीय सदस्य ने जो सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने 2 के (झ) में 2400 रुपये के स्थान पर 3000 रखे जाने

(श्री परसराम मदेरणा)

का संशोधन प्रस्तुत किया है जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूं कि 2400 रुपया किसी एक हाउसहोल्ड का मतलब यह है कि 200 रुपया प्रति माह और 200 रुपया प्रतिमाह जिसकी इनकम है तो इस देश में जो पावर्टी लाईन के नीचे वाले लोग हैं उनकी इनकम 40 रुपये प्रतिमाह ही है। इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते और दूसरे कई राज्यों में मैं एक दो की तो नहीं कहता लेकिन सभी जगह 2400 रुपया ही रखा गया है। इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

कमजोर वर्ग की डेफीनेशन अलग से (ख) के बाद में डालते हैं जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं। कमजोर वर्ग को यहां डालकर उन्होंने आगे ग्रामीण शिल्पी की डेफिनेशन में उसको अलग डाला है। यहां तो वह यह कह रहे हैं कमजोर वर्ग से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कृषि श्रमिक, सीमान्त कृषक, ग्रामीण शिल्पी की भाषा में नहीं आते हैं और जिसके परिवार की वार्षिक आमदनी 3 हजार रुपये वार्षिक से अधिक नहीं हो और आगे जाकर वह शिल्पी की डेफिनेशन में जहां वह आगे जोड़ना चाहते हैं जैसे कुम्हार, नाई, धोबी और ढेश, ढेश, तो इधर तो शिल्पी की डेफीनेशन में नहीं आते हैं और उधर शिल्पी डेफीनेशन में उनको इन्ट्रोड्यूज किया है। यह कान्ट्रेडिक्ट्री है ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : कान्ट्रेडिक्ट्री नहीं है। अगर ग्रामीण शिल्पी की डेफिनेशन मान लेते हैं तो भी ऐसी क्लॉसेस रह सकती हैं जो कि कवर नहीं की गयी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कमजोर वर्ग को (ख) और (ग) में डिफाइन कर दिया। कमजोर वर्ग के लोग कौन हैं वह ग्रामीण शिल्पी की परिभाषा में सम्मिलित कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जरूरी नहीं है कि सारे आ जायें।

श्री परसराम मदेरणा : जरूरी नहीं है तो आपने लिख दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दे आर आनली एग्जाम्पल्स।

श्री परसराम मदेरणा : फिर डाकोत रह गये हों तो मालूम नहीं है। वह भी सम्मिलित हों तो पता नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें नहीं हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप कर सकते हैं शिल्पी में और आगे शब्द एवं रखा है। ग्रामीण शिल्पी एवं कमजोर वर्ग के लोग।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान प्रान्त में और भी ऐसे वर्ग हो सकते हैं, जो, कि यह दस बारह लिखे हैं इसमें नहीं आते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह कमजोर वर्ग के लोगों की अलग से डेफीनेशन नहीं दी जा सकती क्योंकि हमने जो डिफाइन कर दिया है यहां पर अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जाति की परिभाषा में उसकी इकानोमिक कन्डीशन्स का ध्यान रखा गया है इसलिए कमजोर वर्ग को अलग रखकर तीन शिड्यूल डटेर हैं इनको अलग कमजोर वर्ग से रखा

(श्री परसराम मदेरणा)

है। शिल्पी की डेफीनेशन में कुछ कम्युनिटीज का नाम लेना जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि हमारा आधार इकानामिक कन्डीशन्स रही हैं न कि जाति। कमजोर वर्ग के तीन प्रकार के शिड्यूल्ड डैटर के कर्जे को माफ करने का हमारा लक्ष्य रहा है और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने तीनों को डिफाइन कर दिया है।....

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री जी यह सोचिये कि मेहतर को भी कवर करना चाहते हैं या नहीं। तीनों डेफीनेशन में मेहतर कहीं कवर नहीं होते। न वह कृषि श्रमिक है और न सीमान्त कृषक है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मैं स्वीकार नहीं करता। इसलिए जो इनका संशोधन सीमान्त कृषक की परिभाषा में है 'आई' और 'डबल आई' का इसमें एक किया है और अर्ध रेगिस्तानी जोन और रेगिस्तानी जोन की भूमि 2 एकड़ में लिखी है तो उसके बाद में उन्होंने (ट) में जो संशोधन किया है वह कान्सीक्वेन्शल है इस संशोधन का। जैसा कि मैं उस दिन पहले ही आपको निवेदन कर चुका हूं कि इस पर मैंने विचार किया। भारत सरकार की गाइड लाइन में यह निर्देश है कि कन्वर्शन रेशो वही होना चाहिए जो कि लैण्ड रिफार्म्स एक्ट में रखा है और लैण्ड रिफार्म्स एक्ट में जो कैटेगरी अलग-अलग रखी है उन कैटेगरीज को यहां सम्मिलित करना–अगर पहली वाली बात मानी जाती है तो इसमें इर्रीगेशन वैल्स को भी आपने सम्मिलित कर लिया है जो कि 48 एकड़ की कैटेगरी में आते हैं। यह खामी रह गयी थी इसलिए मैंने लिखा है कि वही कन्वर्शन रहेगा और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपके संशोधन की वजह से यह जो त्रुटि रह गयी थी वह ध्यान में आ गयी। बाकी इसको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इसलिए कान्सीक्वेन्शल अपने आप ही समाप्त हो जाता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं मैं प्रेस करना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल और योगेन्द्रनाथ हांडा ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में प्रभारी मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 3

श्री परसराम मदेरणा : मेरा संशोधन खण्ड 3 में इस प्रकार है कि खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये :

'(ज) राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम 42 सन् 1959) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सार्वजनीन प्रन्यास अथवा वक्फ अधिनियम 1954 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 29 सन् 1954) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी वक्फ के पक्ष में देय कोई धनराशि।'

व्यवस्था का प्रश्न

प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक में प्रस्तुत संशोधन का वितरित न किया जाना

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं यह आब्जेक्शन करना चाहता हूं कि माननीय प्रभारी मंत्री जी ऐसा इम्पार्टेन्ट बिल है और इसमें आप बेसिक अमेन्डमेंट मूव कर रहे हैं जो हमें सरकुलेट भी नहीं हुआ और जिसके ऊपर हम अपना कोई विचार भी नहीं बना सकते कि उसका सपोर्ट किया जाये या विरोध किया जाये। माननीय मंत्री जी जो अमेन्डमेन्ट रखें उसको सपोर्ट करने या विरोध करने का हमारा अधिकार है। इस प्रकार से माननीय मंत्री जी इम्पार्टेन्ट बिल पर जबानी बोलें तो वह स्वीकार्य नहीं है। बाकायदा डिस्ट्रिब्यूट होना चाहिए जिससे हम अपनी राय जाहिर कर सकें। इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि यह जो अमेन्डमेन्ट मूव कर रहे हैं यह इनएडमिसिबल है और कार्य संचालन के नियमों के प्रतिकूल है इसलिए मैं यह नहीं चाहता कि कोई इम्पारटेंट अमेन्डमेन्ट्स रह जायें। इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि इस बिल को इसी स्टेज पर छोड़ दिया जाये और पहले अनुपूरक मांगें ले ली जायें तब तक माननीय मंत्री जी सरकुलेट करवा लें और एप्रोप्रियेशन बिल पास हो जाने के बाद हम इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन, इतना इम्पारटेन्ट बिल है और इसको इस तरह से लाया जाये और माननीय मंत्री जी उस पर जबानी बेसिक अमेन्डमेन्ट्स मूव कर दें और पूरी तरह से समझ में भी नहीं आये और हम अपना माइन्ड भी पूरी तरह से एप्लाई नहीं कर सकें तो वह लिखित में आना चाहिए तभी हम कोई विचार जाहिर कर सकते हैं।

श्री सभापति : आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, यह बात सही है कि जो भी संशोधन प्रस्तुत किए जावें समय से पूर्व कम से कम इतने समय पूर्व कि जिसमें विचार किया जा सकता हो, उसके हिसाब से उनका वितरण माननीय सदस्यों के समक्ष हो जाना चाहिए। परन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में और जो संशोधन आवश्यक समझे गए जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपके संशोधनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने, कुछ गवर्नमेंट लेवल पर कंसीडरेशन होना चाहिए और जहां तरमीम की जानी चाहिए, उसके हिसाब से कुछ संशोधन अपनी तरफ से मूव किए हैं। परन्तु मैं यह समझता हूं कि नियमानुसार इसकी इजाजत दी जा सकती है। इसके उपरान्त भी माननीय सदस्य को एक कापी दे दी जाय, ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे आप भी इस पर विचार कर सकें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सदन के अन्दर 184 माननीय सदस्य हैं, सभापति महोदय,

Page No 96

(96)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यहां पर। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हम किसी तरह भी काम को हेल्ड अप नहीं करना चाहते हैं, हम इस बिल को पास करवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी भी हमको सहयोग दें और अगर उनके पास साइक्लोस्टाइल्ड कापी नहीं है तो आप समय ले लें, एक घण्टे के बाद ले रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : After clause (g) add the following clause, namely :—

"(h) Any sum due in favour of a public trust registered under the Rajasthan Public Trust Act, 1959 (Rajasthan Act 42 of 1959) or a Wakf registered under the Wakf Act, 1954 (Central Act 29 of 1954)."

यह केवल इतना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और कोई सारे एक्ट में अमेंडमेंट नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : 3 में कोई नहीं है।

श्री सभापति : जैसा मैंने अभी कहा है अमेंडमेंट की एक कापी दे दी जाय आपको और जो भी अमेंडमेंट हैं, जो माननीय प्रभारी मंत्री जी मूव करना चाहते हैं और उनके ऊपर अगर कोई संशोधन हो तो आप मूव कर दें।

श्री भगराज चौधरी : Point of order, Sir.

सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है—

श्री सभापति : एक मिनिट, पहले आप मेरी बात सुनिए। मैंने जो व्यवस्था दी है मैंने अपनी ओर से नहीं दी, जो प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट है उसका रेलेवेंट पोरशन पढ़ कर सुना देता हूं :

"The Speaker may also waive the notice period for amendment, provided the House is agreed upon it. Government amendments are, as a general rule, allowed to be moved even without notice unless public interest is vitally affected in any way. Where Government amendments are allowed to be moved at short notice, amendments to those amendments have also been permitted at short notice. A last minute amendment to a Bill may also be admitted if agreed to and accepted by the mover of the Bill."

श्री भगराज चौधरी : I agree with that principle ....

श्री सभापति : इस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री भगराज चौधरी : I rise on a point of order.

श्री सभापति : दूसरा पाइन्ट आफ आर्डर उठा सकते हैं।

श्री मगराज चौधरी : In the ruling which you have given you have said that an amendment can be allowed without having been circulated before if the House is agreed upon it. In the present case the House has not been consulted, nor the House has agreed because the question has not been put before the House. The Chair should take the House into confidence. There should be a question from the Chair asking the House whether to allow the amendment to be moved or not.

श्री सभापति : मैंने जो कुछ भी कहा है, हाउस की व्यूज नहीं ली यह बात सही है, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स का सवाल है उन पर यह लागू नहीं होता है, इसलिए मैंने हाउस की कंसेंट नहीं ली। इसमें जो भी कायदे कानून से किया जाना चाहिए उसी मुताबिक किया जा रहा है।

श्री मीठालाल : ऐसे ही प्रेम से समझा दिया करो।

(व्यवधान–अश्रव्य)

विधेयक पर अग्रेतर विचार

श्री यशवन्तसिंह : मेरी भी प्रार्थना है माननीय मंत्रीजी से।

श्री सभापति : किस बारे में ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसी अमेंडमेंट को लेकर है। पब्लिक ट्रस्ट्स को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये किसी बड़े साहूकार से कम हैं इस तरह से अगर आप लास्ट मूमेंट पर अमेंडमेंट मूव न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, पब्लिक हित की बात हो तो आप बाद में भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो धर्मशालाएं हैं, गऊ शालाएं हैं, जिसमें आपके बेनिफिशियरीज किसी धर्म विशेष को मानने वाले हैं ईवन दर्जी जो कि एक बेनिफिशियरी है एक धर्म को मानने वाला है, एक मुसलमान मोमीन को मानने वाला इन सारे ट्रस्टों को आप एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जरूर करिये लेकिन इसका नक्शा तो देखिए। लास्ट मूमेंट अमेंडमेंट की क्या जरूरत है। आप जब भी चाहें एड कर सकते हैं एग्जेम्पशन पर।

श्री सभापति : बस, श्री हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मैंने दफा 3 के भाग (क) में अमेंडमेंट पेश किया है कि–

भाग (क) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाय:–

"(क) अनुसूचित ऋणी को पट्टे पर दी गई किसी भी सम्पत्ति के बारे में देय कोई एक वर्ष का किराया।"

इसमें स्पेसिफाई किया है एक वर्ष का किराया जब कि बिल है "अनुसूचित ऋणी को पट्टे पर दी गई किसी भी सम्पत्ति के बारे में देय कोई किराया"। इससे कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। मैं समझता हूं कि यह दायित्व पूरा इस अधिनियम पर लागू है, इसमें एक वर्ष का किराया इन्क्लूड होना

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

चाहिए तभी जाकर राहत मिल सकेगी। अभी पुराने में तो कितने ही वर्ष हों, हमने केवल एक ही वर्ष का किराया रखा है जिससे बहुत ही माइल्ड राहत मिलने वाली है। माननीय मंत्रीजी मेरे ख्याल से इस पर विचार करेंगे।

दूसरा है "न्यास-भंग के कारण उत्पन्न कोई दायित्व अथवा कोई अपकृत्य सम्बन्धी दायित्व"। इसकी जगह मैंने मूव किया है:

"भाग (ख) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाय :

(ख) किन्हीं भी अनुसूचित ऋणियों के मध्य न्यास-भंग के कारण उत्पन्न कोई दायित्व अथवा कोई अपकृत्य सम्बन्धी दायित्व"।

यानि अनुसूचित ऋणियों के अन्तर्गत आपके पास दायित्व है तो उसको एक्जेम्प्ट किया जाय। दूसरे दायित्वों को इस एक्जेम्पशन में नहीं दिया जाना चाहिए। केवल बोण्डेड लेबर का बोण्डेड लेबर के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वह तो लाजिकल नहीं होता है एग्जेम्पशन है। दूसरे दायित्वों को एग्जेम्पशन देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

फिर 'भाग 3 में (ग) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाय :

(ग) अनुसूचित ऋणी के प्रति अनुसूचित ऋणी के द्वारा की गई सेवाओं के लिए वेतन या अन्यथा रूप में बकाया मजदूरी या पारिश्रमिक के बारे में कोई दायित्व।'

यह भी उसको राहत का काम करेगा। अगर इस प्रकार के दायित्व को आप इनके ऊपर लागू नहीं करते हैं अधिनियम द्वारा तो मैं समझता हूं कि इससे भार कम होगा।

फिर इसके अलावा चौथा है, 'भाग (ङ) को विलोपित किया जाय।' जो बिल में है कि अनुसूचित ऋणी द्वारा खरीदे गए माल की "कीमत व्यपदिष्ट करने वाला कोई ऋण"। यह भी वही है जो माननीय सदस्य ने मेरे दल के नेता ने इस सदन के अन्दर प्रस्तुत भी किया था कि जितने ऋण हैं, कोई इस प्रकार के दिए जाते हैं, चाहे वह कपड़े के रूप में हों या डालडा घी के रूप में हों या बीज के रूप में या खाद के रूप में दिया जाय, अगर यह ऋण एग्जेम्प्ट कर देते हैं तो एक बड़ा भारी सेटबैक जो है होगा, इसका आपके बांडेड लेबर को उस सम्बन्ध में मिलेगा और इसलिए इसको विलोपित करना आवश्यक है और इसीलिए विलोपन किया गया है।

सभापति महोदय, हमारे यहां पर आढ़तियां है। उसके यहां पर सब ही किसान अपना माल ले जाते हैं। बोन्डेड लेबर का डाक्यूमेन्ट होता है। उसके पास ही कपड़े की, किराने की, डालडा की, तेल की, लकड़ी की दुकानें होती हैं और वे सब उससे माल लेते हैं यह सब बोन्डेड लेबर के रूप में उसको मिलता है। तीन चार गुना कीमत उसकी लिख दी जाती है और यह सारा बान्डेड लेबर पर ही होता है। यह सारा काम बदस्तूर उनका चलता रहता है। इसलिए खंड 3 के अन्दर ये चार अमेन्डमेन्ट मैंने प्रस्तुत किए हैं।

Page No 99

(99)

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध और सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

जो मंत्री महोदय ने संशोधन रखा है और जैसा कि बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कहा-पब्लिक ट्रस्ट जैसी कोई संस्था है तो उसका कर्जा भी माफ न हो, इसके लिये आप संशोधन रख रहे हैं, उनको भी इस केटेगरी में ले रहे हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर इन ट्रस्ट का किराया किसी प्रकार से किसी कमजोर वर्ग के ऊपर है जो चाहे वे ट्रस्ट हो, चाहे कोई हो, उनके कर्ज माफ हों और अगर उनके कर्ज माफ हो जाते हैं तो उनको कोई आर्थिक दिक्कत हो तो होने दीजिये। आर्थिक कष्ट उनका दूर करना है तो कष्ट तो बहुत हैं- ट्रस्ट को भी थोड़ा आर्थिक नुकसान होने दीजिये। इसलिए इस प्रकार का एग्जम्पशन में किसी प्रकार से उचित नहीं समझता हूं।

सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखे हैं क्लॉज तीन पर-ये ही संशोधन मोरेटोरियम के अन्दर भी रखे थे। यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि यह एरियर, किराये के नाम से लेण्ड लार्ड या मनी लेन्डर का कर्जा माफ करने जा रहे हैं तो उस मनी लेन्डर को आप एरियर आफ रेन्ट से बचना चाहते हैं। अगर कोई शिकमी काश्तकार की तरफ से जिसके पास दो बीघा जमीन है और लेन्ड लार्ड्स का पुराना लगान बकाया है, उस लगान की वसूली इस आरबिट से हटाना चाहते हैं। इस तरह से इसमें न्यास भंग हो जावे तो यह अगर उस केटेगरीज के धनी लोगों में हो तो इसका औचित्य है लेकिन अगर न्यास भंग एक शिड्यूल द्वारा और एक धनी आदमी के बीच हो तो उसको प्रोटेक्शन दें, इसका तो कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार से किसी किस्म का वेतन ड्यू है- गरीब आदमी के प्रति अच्छे स्ट्रांग आदमी का है, उसका भी प्रोटेक्शन देने का नहीं है। इसमें अमेन्डमेन्ट यह हो अगर डेटर्स् शिड्यूल्स के बीच में हो तो उनके ऊपर इनएप्लीकेबल कर सकते हैं लेकिन दूसरे लोग हैं, नान शिड्यूल डेटर है उनके लिए तो इनएप्लीकेबल नहीं करना चाहिये। इसके बारे में पहले भी निवेदन कर चुका हूं। मंत्री महोदय ने यह बात कह दी कि केन्द्र के इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन आये हैं, इसके अन्दर जोड़ दें तो मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और मैं समझता हूं जितना भी ढिंढोरा पीटा गया है, जितना यह सब कहा गया है कि कर्जा माफ किया जा रहा है परन्तु लोगों को आप किसी भी तरह से लाभ नहीं देना चाहते हैं। जिस तरह से आपके भाषण होते हैं उनसे भी यही ध्वनि निकलती है। आप कहते हैं जब तक आल्टरनेटिव इन्तजाम नहीं होता है तब तक हमको बहुत सोच समझ कर चलना होगा। चूंकि आपका बीस सूत्री कार्यक्रम है उसके लिए आप यह लाना चाहते हैं और इन वर्गों को एक्चुअली कोई राहत नहीं देना चाहते हैं। आपने कानून तो बना दिया लेकिन एक्जीक्यूशन मशीनरी क्रियेट न करें तो आप यह कहना चाहते हैं इन्दिराजी से कि कानून तो बना दिया है लेकिन इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम

(102)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पर ईमानदारी से अमल करने का यह रास्ता नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, क्लाज 3 में सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं क, ख और ग। भाग 1 (क) में उन्होंने 'एक वर्ष का किराया' की बात कही है। 2 (ख) में उन्होंने चाहा है: 'किन्हीं भी अनुसूचित ऋणियों के मध्य न्यास भंग के कारण उत्पन्न कोई दायित्व अथवा कोई अपकृत्य सम्बन्धी दायित्व' और भाग तीन के भाग (ग) में "की गयी सेवाओं के लिए वेतन या अन्यथा रूप में बकाया मजदूरी या पारिश्रमिक के बारे में कोई दायित्व" और 4 को विलोपित करने का कहा है। जैसा कि इस प्रकार के संशोधन 15 तारीख को यहां पर प्रस्तुत किये गये थे उस समय मैंने सेन्ट्रल गाइड लाइन को स्पेसिफिक रूप से पढ़ कर सुनाया था जो इस प्रकार है:—

"The provisions should not apply to:—

1. Any rent due in respect of any property let out to a scheduled debtor;

2. Any liability arising out of breach of trust or any tortious liability,

3. Any liability in respect of wages or remuneration.

due as salary or otherwise for services

rendered to a scheduled debtor;"

मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। सेन्ट्रल गाइड लाइन के अनुसार ही इसको यहां लाया गया है। इसलिए मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

यहां बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी एतराज किया है पब्लिक ट्रस्ट के नीचे जो संस्थान है उनका कर्जा एग्जेम्प्ट किया जाये, यह कानून महाराष्ट्र ने अभी पास किया है कुछ रोज पहले, 3 तारीख को यह एक्ट बना है, उसमें उन्होंने यह रखा है:

"Any claim arising out of a contract or a transaction not connected with money matter.

Any sum due in favour of a public trust registered under the Bombay Public Trust Act."

इस प्रकार का हमने रखा है - आप समझ रहे हैं कि हम ने कोई मठाधीश बिठा दिये हैं ?

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मैंने यह निवेदन किया है कि दर्जी जात है, कुटुम्ब के 25 आदमी हैं उन्होंने एक पब्लिक ट्रस्ट बना दिया. Will you allow it ? 90 percent of your trusts are of this nature. फिर भी आप करना चाहते हैं। मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि आप जल्दीबाजी में यह एग्जेम्पशन न दें।

श्री परस राम मदेरणा : आप इसको जल्दीबाजी समझते हैं तो जो अमेन्डमेन्ट मैंने मूव किया है उसको मैं विथड्रा करता हूं।

श्री सभापति : आप विथड्रा करते हैं।

श्री परस राम मदेरणा : जी हां।

अलबत्ता जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कई स्टेट में यह प्राविजन है इसलिए मै संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री सभापति : आप विथड्रा करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी नहीं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड 3 में जो संशोधन माननीय श्री हांडा और माननीय श्री रामानन्द जी अग्रववाल ने प्रस्तुत किये हैं, उनको स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां पक्ष जीत गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We claim division.

श्री सभापति : मैं दुबारा पूछता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is most crucial amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड 3 में जो संशोधन श्री योगेन्द्र नाथ हांडा और श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत किये हैं, इन्हें स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री रामानन्द अग्रवाल : हां पक्ष जीत गया है। We claim division.

(मत विभाजन–घण्टी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब सारी प्रक्रिया ही बदल देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो अभी आये हैं उनको बता दीजिए कि वोट किस पर हो रहा है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 पर माननीय सदस्य श्री हाण्डा व श्री रामानन्द अग्रवाल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्रीजी ने जो अपने अमेंडमेंट को वापिस लेने का प्रस्ताव रखा है क्या सदन की अनुमति है कि उनको वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई.

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4। श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सभापति महोदय, यह खण्ड अनुसूचित ऋणी के ऋण-समापन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

का है। उसके स्पष्टीकरण के बाद में मैंने एक नया पैरा एड करने के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि "इस खण्ड के अन्त में प्रयुक्त स्पष्टीकरण के अन्त में जोड़ा जाये—

'लेकिन ऐसे भुगतान की वसूली जो राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) अध्यादेश, 1975 के लागू होने के बाद अनुसूचित ऋणी द्वारा भुगतान किया गया हो या लेनदार द्वारा वसूल किया गया हो अनुसूचित ऋणी द्वारा वापिस वसूली योग्य नहीं होगा'।"

श्री सभापति : योग्य होगा या नहीं होगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अनुसूचित ऋणी द्वारा वापिस वसूली योग्य होगा।

जब यह मोरेटोरियम इश्यू हुआ था उसके बाद अगर ऋणी ने कोई भुगतान कर दिया हो तो वह भुगतान उस ऋणी को वापिस दे दिया जाना चाहिए, उसका रेस्टोरेशन होना चाहिए। यह एक बड़ा सिम्पल सा एमेंडमेंट है। आर्डिनेन्स के बाद में भुगतान जिन्होंने किया है और जब यह आर्डिनेन्स आया था तो बड़ा तूफान आ गया था कि जितनी भुगतान ली जा सके ली जाय, किसी का विक्टेमाइजेशन हुआ है, मारपीट करके, हर बहाने से प्रेशर लाकर इल्लीगल केसेज बना कर, सी.आर.पी. सी. और आई. पी. सी. के केसेज बनाकर उन्होंने भुगतान लेने की कोशिश की है, जिसकी मिसालें मैंने प्रारम्भ में दी हैं, जो कि भूपतियों के फार्म पर हुई हैं, जो कि मैंने इस सदन के समक्ष प्रस्तुत की हैं। अगर आप चाहें तो गंगानगर की सैंकड़ों मिसालें मेरे पास मौजूद हैं इस प्रकार की कि जैसे ही मोरेटोरियम आया कर्जा वसूली करने का अभियान चालू हो गया, और कर्जे की वसूली के लिए झूठे केसेज बनाने चालू हो गये। इसलिए ऐसे जितने भी ऋण वसूल कर लिये गये हैं वह सारे के सारे ऋणियों को रेस्टोर किये जायं, वापिस किये जायं, यह मेरी मन्शा है।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह जो संशोधन है, आपने जो यह दो अलग अलग कदम उठाये हैं कि पहले मोरेटोरियम किया है और अब उसका लिक्विडेशन कर रहे हैं तो यह फाल्स स्टेप है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मोरेटोरियम के तहत लोगों के कर्जे की वसूली बन्द हो गई थी—अब किसी ने जबरदस्ती वसूली कर ली तो आप भी कहते हैं कि वसूली नहीं करनी चाहिए। आपके पास वह पहुंच रहे हैं जो जबरदस्ती करके लोगों को तंग करके वसूल कर रहे हैं और आप एक्ट बनाकर यह कर रहे हैं कि वसूल कर लिये तो कोई हर्ज नहीं। अगर यह एक्ट बनाते हुए अब आप यह कर रहे हैं लिक्विडेशन के वक्त तो स्माल फार्मर का जब स्केलिंग डाउन करेंगे तो उस वक्त भी इस तरह का कानून लायेंगे कि इस कानून और मोरेटोरियम के होते हुए किसी ने वसूली कर ली तो वह कर ली और एक्ट से वह स्केलिंग डाउन भी हो जायगा। तो फिर मोरेटोरियम बेमानी हो गया। इसके पास करते ही अब लोग मोरेटोरियम के होते हुए वसूली करेंगे। पैनल्टी उस पर कोई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है नहीं, और इसलिए जब आपका यह बेसिक एक्ट आ जायेगा तो वह सारी की सारी वसूली लीगल हो जायगी, जैसे इस कानून के पास होते ही और दो महीने पहले वह लागू हुआ है, मान लीजिये, और दो महीनों के अन्दर जिन्होंने श्रमिक कृषकों से कर्जा वसूल कर लिया बावजूद इस बात के कि वसूली बन्द थी। तो अब तक तो यह था कि उसके खिलाफ दावा करके वसूल भी कर सकते थे, लेकिन इसके सामने आते ही यह बात आती है कि वसूल नहीं कर सकते तो कानून बना देते हैं जिसके लिए आपने खुद ने कहा है कि वसूल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि इस बात का कानून ही बना देते। हमारे इस एमेंडमेंट का मतलब यह है कि यह लिक्वि-डेशन का एक्ट है इससे पहले जब से मोरे-टोरियम आपने लागू किया है उसके बाद जो भी वसूली है वह नाजायज है, जो भी वसूली कर ली गई वह गलत है, और इसका कान्सीक्वेन्शल तरीका होना चाहिए, वरना मोरेटोरियम के पहले के लिए नहीं कहता कि उनसे वसूली कर ली लेकिन मोरेटोरियम के आने के बाद नाजायज वसूली थी। इस नाजायज वसूली के लिए हमारा यह कहना है कि वह वापिस देनी होगी। उस नाजायज वसूली के लिए आप कहते हैं कि वह वसूल नहीं हो सकेगी तो फिर मोरेटोरियम के एक्ट को बिगड़ा कर लें। लोगों को बेवकूफ मत बनाइये फालतू जब आप यह कहते हैं कि वसूली के योग्य नहीं होगा। तो यह तो बिल्कुल विरोधा-भास है। इसलिए मैं मंत्रीजी से यह कहूंगा कि इस एमेंडमेंट को आप मन्जूर कर लें यह मोरेटोरियम ऑन डेट्स से संगत है वरना यह बेहूदा हो जायगा।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी !

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापतिजी, क्लाज 4 में इस स्पष्टीकरण के बाद में सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने स्पष्टीकरण के पैरे के अन्त में यह जोड़ना चाहा—

"लेकिन ऐसे भुगतान या वसूली जो राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधि-स्थगन) अध्यादेश, 1975 के लागू होने के बाद अनुसूचित ऋणी द्वारा भुगतान किया गया हो या लेनदार द्वारा वसूल किया गया हो अनुसूचित ऋणी द्वारा वापिस वसूली योग्य होगा।"

यह जो कुछ भी हमारा स्पष्टीकरण है उसको नेगेटिवेट करता है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : नेगेटिवेट पूरा नहीं करता है। मोरेटोरियम डेट के पहले का वसूली योग्य नहीं होगा वह तो मानता हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री परसराम मदेरणा : मोरेटोरियम जो कुछ भी था उससे कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही थी वह एबेट हो गई और नये एक्ट में शेड्यूल्ड डेटर्स के खिलाफ नहीं ला सकते इस प्रकार का प्रोवीजन करके। डेटर ने पे कर दिया, वालन्टरी कर दिया। वालन्टरी पेमेन्ट के लिए सूट नहीं ला सकते या जो सूट लाया हुआ है वह एबेट हो गया है जब तक कि दूसरा कानून लिक्विडेट का नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)
बन जाए। इसका मतलब यह हुआ कि वालन्टरी कर दिया तो मोरेटोरियम में इस बात का प्रोवीजन नहीं था कि इस प्रकार से पे नहीं कर सकेगा। कोर्ट के अन्दर जो कुछ भी है तो उनकी डिक्रियां रुकी हुई हैं। आप शेड्यूल्ड डेट्स के खिलाफ डिक्री नहीं ला सकें ऐसा प्रावधान रिट्रोस्पेक्टिव बनाना चाहते हैं। ऐसा प्रावधान मोरेटोरियम के कानून के अन्दर नहीं था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह था कि वसूली नहीं कर सकेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : वसूल नहीं कर सकेंगे। कौन कर रहा है, कोर्ट में कर रहा है? मोरेटोरियम कोर्ट के केसेज के विरुद्ध था। अगर किसी आदमी ने अपने आप कर दिया वालन्टरली···

श्री रामानन्द अग्रवाल : आउट आफ कोर्ट केस भी कर दिये।

श्री परसराम मदेरणा : कोर्ट में दावे चल रहे थे। आगे नहीं ला सकते। दावा उस पीरियड में नहीं कर सकेंगे। वह एवेयेन्स में पड़े हैं। पेमेन्ट ऐसे आदमी ने कर दिया जिसने वालन्टरली जाकर चुपचाप कर दिया। न दावा किया हुआ है और न केस है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कोर्ट के अन्दर का क्वेश्चन नहीं है। मोरेटोरियम आने के बाद, यह जानकारी प्राप्त होने के बाद कि अब मोरेटोरियम आ गया है, और रोक लग गई है तो कौन सा मूर्ख है जो कि कर देगा···

श्री परसराम मदेरणा : उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम फाइनल प्रोवीजन नहीं बना सकते। इसलिए माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 पर माननीय श्री हाण्डा और माननीय श्री रामानन्दजी अग्रवाल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5। श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : सभापति महोदय, इसमें मैंने प्रमाण पत्र मेंशन किया इम्प्लीमेण्टेशन के क्वेश्चन में पहले विकास अधिकारी के बारे में। वैसे तो भारत सरकार ने जो गाइड लाइन दी है, इम्पलीमेन्टेशन के क्वेश्चन में, मैं समझता हूं कि यह बहुत क्लीयर है। यह बहुत क्लीयर कही गई है। इसके नजदीक सरकार पहुंची नहीं है। फिर भी मोरेटोरियम को देखते हुए मैं इस सेक्शन को बढ़ाना चाहता हूं। जो भारत सरकार ने माना है–

"The State Government may confer such powers and impose such duties on a District Magistrate as may be necessary to ensure that the provisions of this Ordinance

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

are properly carried out and the District Magistrate may specify an officer subordinate to him who shall exercise all or any of the powers and perform all or any of the duties so conferred or imposed, and the local limits within which such powers or duties shall be carried out by the officer so specified."

इसका स्ट्रोंग प्रोवीजन उन्होंने रखा है। स्पेशली इस काम के लिए है। आपकी जिम्मेदारी इम्प्लीमेण्टेशन के लिए बाण्डेड गुड्स हैं, उनको रिटर्न करने के लिए है। यह दूसरा सवाल है कि उनको रिटर्न करने का उन्होंने स्पेशल प्रावधान रखा है। वह मजिस्ट्रेटी पावर्स दिये हैं। वह पावर्स की जगह लागू करेंगे। इस किस्म की जो मशीनरी है, वह करेगी। ऐसी कोई मशीनरी आपने क्रियेट नहीं की है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार रखे हैं। इसमें मैंने एक विकास अधिकारी जोड़ा है। मेरा संशोधन है शब्द "तहसीलदार" से पहले शब्द "विकास अधिकारी" जोड़ा जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, विकास अधिकारी का एक सिम्पल सा संशोधन है। और, वह आसानी से उपलब्ध हो सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें आपने पढ़ा होगा–

"The Tehsildar, Naib Tehsildar and Inspector Land Records within the local limits of whose jurisdiction a debtor actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain and such other officer or authority as may be prescribed, shall be competent to issue a certificate in the prescribed form and manner certifying that the debtor is an agricultural labourer, a marginal farmer or a rural artisan."

इसके अलावा भी गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है किसी भी आथोरिटी को। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन था। सरपंच को, आपके विकास अधिकारी को, जिसको कि गवर्नमेंट उचित समझेगी; यह नहीं कि यह तीन ही आदमी दे सकेंगे, जिन जिन को गवर्नमेंट उचित और उपयुक्त समझेगी वे, ऐसे लोगों का शिड्यूल डेटर सर्टिफिकेट इश्यू करेंगी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री रामानन्द अग्रवाल ने खण्ड 5 में जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उनको स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया।

खण्ड 7 श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह खण्ड है :

"7. Property of scheduled debtor to be freed from mortgage etc.—(1) All property belonging to a scheduled debtor which was, immediately before the commencement of this Act, under any mortgage, charge, lien or other incumbrances in connection with debt owed by a scheduled debtor shall, in so far as it is relatable to such debt, stand freed and discharged from such mortgage, charge, lien or other incumbrances ..."

इसमें मैंने संशोधन रखा है, "उपखण्ड (1) के अन्त में निम्नांकित जोड़ा जाय : यदि सम्बन्धित बन्धकदार, या प्रभार, स्वत्व अथवा अन्य विल्लंगम धारक ने 30 दिन के अन्दर अन्दर ऐसी सम्पत्ति का कब्जा अनुसूचित ऋणी को नहीं लौटाया तो वह 500/- रु. जुर्माना या और 6 महीने की सख्त कैद की सजा का मुस्तहक होगा।"

इसमें हमने पीनल सेक्शन रखा है। अगर दण्डित किया जाता है तो 6 महीने की सजा और 500 रु जुर्माना किया जायगा। भारत सरकार ने भी यह पीनल पनिशमेण्ट इम्पोज किया है। 3 साल का भारत सरकार ने भी इम्पोज किया है। मजिस्ट्रेट को पावर दी है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

दूसरा उन्होंने क्लीयर क्लाज में दिया है। तो मुझे माननीय मन्त्री महोदय से यही कहना है कि बिल में अगर हम पीनल क्लाज रख देंगे तो पहले से ही बड़े भयभीत हैं, इस हिसाब से हम कर्ज नहीं दे सकते हैं। तो सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह जीवन संघर्ष है। समाजवाद की ओर आने के लिए यह आप कर रहे हैं। अगर उनकी शक्ति सारी खेतों के मैदान में जुटा पायेंगे तो इस गुलामी से मुक्ति वह पा सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

वह अपने श्रम के द्वारा उत्पादन करेंगे। इसमें यह इतना बड़ा क्लाज हो गया है। इससे भयभीत हैं। उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब वह एम्प्लायज हो जायेंगे तो वह बड़े व्यक्ति नहीं रहेंगे। इनके पास लैण्ड नहीं रहेंगे। यह सब नहीं रहेंगे तो यह गरीब और स्वाभिमानी आदमी अग्रसर होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अगवाल : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने 7वां खण्ड रखा है। वह 7वां सेक्शन है। यह बिल का हिस्सा है—

"(1) All property belonging to a sheduled debtor which was, immediately before the commencement of this Act, under any mortgage,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

charge, lien or other incumbrances in connection with debt owed by a scheduled debtor shall, in so far as it is relatable to such debt, stand freed and discharged from such mortgage, charge, lien or other incumbrances ...."

इसका 7वां है। इसका कारस्पोंडिंग पीनल सेक्शन 19वां है—

"Whoever, being required by this Ordinance to restore any property to the possession of any bonded labour, omits or fails to do so within a period of thirty days from the commencement of this Ordinance, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both, and out of the fine, if recovered, payment shall be made to the bonded labourer at the rate of Rs. 5 for each day during which possession of the property was not restored to him.

मैंने जो इस पर संशोधन रखा है, वह यह रखा है, कर्जा माफ होने के बाद जो उसकी जमीन या कोई चीज गिरवी थी, वह वापिस करने का प्रावधान रखा है। लेकिन वापिस करने को मजबूर करने का पीनल प्रावधान आपने नहीं रखा है। जैसा कि आप सैण्ट्रल की गाइड लाइन पर बनाना चाहते हैं, वह इसके अन्दर भी आनी चाहिए थी। बान्डेड लेबर में उन्होंने बताया है उससे आप डेवियेट कर रहे हैं या सैन्ट्रल की गाइड लाइन पर चलना चाहते हैं। इससे तो यह कागजी कार्यवाही होकर रह जायगी और यह जो बेसिक उद्देश्य है वह प्राप्त नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, टीनेन्सी लॉ में इसलिए अमेन्डमेन्ट लाया गया है कि वहां पर इम्मूवेबल प्रोपर्टी का प्रश्न था जिसमें डिस्प्यूट खड़े हो सकते थे जब कि उसका कुछ पोर्शन एडजस्ट कर लिया गया है तो पीनल आफेन्स रखना ठीक नहीं होगा। अब बोन्डेड लेबर किसको रखा जाय यह भी इसमें साफ है लेकिन जहां तक लोन टू शिड्यूल्ड लेबर्स का सवाल है इसका डिसीजन तो सिविल कोर्ट में होगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य ने जो संशोधन उन्होंने दिया है उसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड (7) में माननीय सदस्य श्री हांडा और माननीय सदस्य श्री अग्रवाल ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 स्वीकार किया।

(स्वीकृत)

Page No 108

(108)

(श्री सभापति)

खण्ड 8 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 8 (क) माननीय मंत्री जी ।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं अंग्रेजी में पढ़ दूं इसको ।

श्री सभापति : हां, अंग्रेजी में बोलिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : You may move in English.

श्री परसराम मदेरणा : After clause 8, insert the following clause, namely.—

"8 A. Creditors not to accept payment against extinguished debt.—(1) No creditor shall accept any payment against any debt which has been discharged or deemed to have been discharged or fully satisfied by virtue of this Act.

(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

(3) The court convicting any person under sub-section (2) may, in addition to the penalties which may be imposed under that sub-section, direct the person to deposit in court the amount accepted incontravention of the provisions of sub-section (1) within such period as may be specified in the order for being refunded to the scheduled debtor.

(4) The offence under this section shall be cognizable and bailable and may be compounded by the scheduled debtor from whom the payment was accepted."

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Thank you.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता समापन) विधेयक, 1976 में माननीय प्रभारी मन्त्रीजी ने खण्ड 8 (क) जोड़ने के लिये जो प्रस्ताव किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 8 (क) स्वीकार किया गया ।

खण्ड 9। श्री हांडा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड 9 में मूव करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसको 8 (क) मान लिया गया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इसको वापिस लेना चाहता हूं ।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने खण्ड 9 में जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया है उसको वापिस लेने की अनुमति दी जाय ।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 9 को स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता समापन) विधेयक, 1976 के खण्ड (1) को अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि सहित स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड (1) अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि सहित स्वीकार किया गया।

माननीय मन्त्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता समापन) विधेयक, 1976 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(3.47 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो इस सदन में आज पास करने के लिये प्रस्ताव माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक और कानून बनेगा और हमारे दल की ओर से मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। परन्तु फिर भी हमने इसकी कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है खास तौर से बहुत से अहम मसलों की ओर जिसमें गुड्स के रूप में जो भी कर्जा दिया जाता है उसको एग्जम्प्शन में लेने की एक भयंकर कमी मानता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार अपने अनुभवों के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के अनुभवों के आधार पर जो भी अनुभव आवें उनके ऊपर पुनर्विचार करके इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिये जल्दी ही अगले बजट में संशोधन पेश करेगी, इन्हीं शब्दों के साथ में इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो निवेदन करना चाहता हूं, एक तो यह बर्डन ऑफ प्रूफ और जूरिस्डिक्शन का सवाल आता है। इसमें मेरी मान्यता है कि...

श्री उपाध्यक्ष : यह स्टेज नहीं है सजेशन देने की।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं। मेरा मतलब यह है कि जैसे तहसीलदार या नायब तहसीलदार ने प्रूफ दे दिया कि वह शिड्यूल्ड डेटर है तो वह कोर्ट में जायगा। इसी तरह से जूरिस्डिक्शन का प्रश्न है। ऐसे केसेज में कितने तैयार होंगे, कौन तो एवीडेन्स देने आयेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि शिड्यूल्ड डेटर्स हैं, आगे आने वाले बजट सेशन में उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाय, इससे उनको लाभ हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी !

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लाज सिक्स के बारे में जो बात कही वह मेरे समझ में नहीं आई कि अगर वे शिड्यूल्ड डेटर्स की डेफिनेशन में नहीं आते हैं तो क्या दिक्कत हो जायगी, यह मैं नहीं समझ सका। इसके अलावा दूसरे भी कानून बने हैं उनमें उन पर कोई बर्डन नहीं डाला गया है।

यह बिल जो यथासंशोधित है, मेरी मान्यता है और राज्य सरकार की जो नीति है, यह समाजवादी आधार को मजबूत करेगा और एकाधिकार को समाप्त करके कमजोर वर्ग को इससे लाभ मिलेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को सदन पारित करे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता समापन) विधेयक, 1976 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋणिता समापन) विधेयक, 1976 संशोधित रूप में पारित किया गया।

अनुपूरक अतिरेक अनुदान की मांगें

अनुपूरक अनुदान की मांगें 1975-76 (प्रथम संकलन) और अतिरेक अनुदान की मांग 1970-71 पर विचार एवं पारण

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी !

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 75,86,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय, 52–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26, 06, 421 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री दीपंकर : पहले आसन से व्यवस्था हुई थी कि एप्रोप्रियेशन बिल और यह साथ-साथ चलेंगे। अब अलग अलग ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह नियम की बात है, यह आसन पर छोड़ दीजिये। आपको बोलना है या नहीं–यह फैसला कर लीजिये।

श्री दीपंकर : मैं बोलना चाहता हूं। मैं नोटिस में लाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे नोटिस में है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको नहीं बोलना है तो मैं बोल दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप फैसला कर लीजिये, आपको बोलना है या नहीं।

श्री दीपंकर : बोलना है। उपाध्यक्ष महोदय, जो कृषि के बारे में और सार्वजनिक निर्माण के बारे में मांगें रखी हैं, अब संयुक्त रूप से बोल सकता हूं या अलग अलग।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों साथ मूव की हैं, साथ ही बोल लीजिये।

श्री मीठा लाल : जैसा आपका दिमाग काम करे, वैसे बोल लें।

श्री चन्दन मल वैद : नहीं करे तो !

श्री उपाध्यक्ष : समय कम है इसलिए जितना संक्षेप में कह सकें, कहें।

श्री दीपंकर : जी हां।

जो कृषि के बारे में मांग रखी गई है उसके निमित्त मेरा निवेदन है...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कृषि में आपका है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप का पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में है, स्टोर पर्चेज के बारे में।

श्री दीपंकर : इसमें भी है।

श्री केशरीमल : कृषि में भी है।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के बारे में मेरा निवेदन है कि कृषि के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, वह तो प्रशंसनीय है, परन्तु जो कृषि की योजनायें पड़ी हुई हैं, बनी हुई हैं आपके विभाग में, उनको राजस्थान कृषि पुर्नवित निगम अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की मार्फत रुपया कृषि विभाग द्वारा-स्वीकार करा कर चालू किया जाना चाहिए, वैसा नहीं किया जा रहा है। यह दृष्टिकोण व्यापक नहीं है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि नागौर जिले की जो कृषि की योजनायें हैं, उनमें डीडवाना और लाडनूं तहसील में योजना बनी हुई पड़ी हैं, परन्तु उन पर तवज्जह नहीं है।

दूसरे कृषि उद्योग निगम जो यहां काम कर रहा है काश्तकारों के लिए, उसमें जिस तरह की आज ट्रेक्टर की असुविधायें हैं, उसके लिए लम्बी क्यू लगी हुई है और इस से पैसा जमा करा कर वापिस लोग उठाने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि समय पर उनको ट्रेक्टर नहीं मिलते हैं। उनको ट्रेक्टर समय पर मिलने चाहिए। वह न मिलने के कारण काश्तकारों को दिक्कत होती है। आज गांवों में यह प्रथा चल गई है कि लोग बैल खरीदेंगे, ऊंट रखेंगे और हल चलायेंगे, उसके बजाय वह सोचते हैं कि एक दिन में अधिक काम कर लेंगे ट्रेक्टर के द्वारा इसलिए ट्रेक्टर की सुविधा नहीं होती है तो वह पूरी काश्त नहीं कर पाते हैं।

इसके साथ ही काश्त के नाम पर जो योजनायें बनी हुई हैं, लघु सिंचाई योजनायें और ट्यूब वैल की स्कीम है, उसके तहत बेरे खुदे पड़े हुए हैं। लेकिन उन बेरों पर बिजली न होने की वजह से उत्पादन नहीं बढ़ता है। इस तरफ कृषि विभाग ने ध्यान नहीं दिया है, जो दिया जाना चाहिए। जो माननीय मंत्री जी ने मांग की है, इसमें शक नहीं है कि आवश्यकतानुसार कृषि हेतु कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन यह जो बातें हैं

(श्री दीपंकर)
इनकी तरफ भी कृषि मंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही पी. डब्ल्यू. डी. की ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पी. डब्ल्यू. डी. जो स्वयं काम करता है वह ठीक नहीं होता है और जो ठेके पर काम कराता है, उसको वह गलत बताता है। इस स्थिति में अन्तर आना चाहिए। उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि नागौर जिले के अन्दर और चूरू के बीच जसवन्तगढ़ कालेज बना है, उसके लिए दस पन्द्रह लाख का डोनेशन जनता ने दिया है और सरकार ने भी दिया है, और भवन का निर्माण पी. डब्ल्यू. डी. ने किया है। लेकिन अफसोस यह है कि शिक्षा मंत्री भी जाकर आये हैं, वहां छात्रों ने बताया है कि न जाने छत कब उनके ऊपर गिर जाय, यह पता नहीं है। यह भवन का पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा निर्माण किया हुआ है। मेरा निवेदन है कि काम में और सतर्कता आनी चाहिए, चुस्ती आनी चाहिए और निगरानी अच्छी होनी चाहिए, जो मैटिरियल जिस काम के निमित्त इश्यू किया जाता है, उसका उपयोग उसी में होना चाहिए न कि प्राइवेट तौर पर बेचा जाय या कुछ किया जाय। जहां विभाग द्वारा काम कराना है, वहां उस पर अच्छी निगरानी रखी जाय तो उपयुक्त होगा। इसके अलावा जो प्राइवेट तौर पर काम करवाये जाते हैं, वह अधिग्रहण नहीं होते हैं। डीडवाना में बांगड़ कालेज है, पन्द्रह वर्ष से जसवन्तगढ़ में एक दो स्कूल चलते हैं, लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. उनको आज तक अधिग्रहण नहीं कर रहा है। वह कहता है कि यह भवन ठीक नहीं बने हुए हैं जब कि उनके बने हुए भवन टूट जाते हैं। मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी प्राइवेट काम करवाये जा रहे हैं, उनको ठेकेदारी प्रथा बन्द करके विभाग द्वारा करवाया जाना चाहिए ताकि ज्यादा लोगों को काम मिले और बेकार इंजिनियरों को काम पर लगाया जा सके और एतराज की बात न हो सके। बस इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई !

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के बारे में मांग संख्या 36 के बारे में मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं। यह जो एग्रो इंडस्ट्रियल निगम है, इसके द्वारा कृषि की मौजूदा परिस्थितियों में सहायता आदि उपलब्ध की जा रही है वह नापर्याप्त है....

श्री चन्दनमल बैद : क्या ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जो मैटिरियल या इम्प्लीमेंट्स निगम ने निकाले हैं उनको काश्तकार पसन्द भी नहीं करते हैं। इन्होंने थोड़ी बहुत काश्तकारों की दिक्कत महसूस की है, लेकिन जो ट्रेक्टर देते हैं, उसके साथ में वेट फालतू देते हैं। उसकी क्या उपयोगिता है, आप बतायें। दूसरे, आपको खुद को मालूम है, उदाहरण स्वरूप एग्रो इंडस्ट्रियल निगम 2811 ट्रेक्टर देता है उसके साथ शुरू में कम्प्रेसर था, ट्रोली थी और आइल मीटर था। लेकिन इनके पास आने के बाद इन तीनों को निकाल दिया है, अब देते नहीं है। उधर तो यह इम्प्लीमेन्ट निकाल लिये और इधर अठारह हजार कोस्ट और बढ़ा दी। इसमें क्या जस्टिफिकेशन है। आप उससे एग्रीमेंट करके काश्त

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कारों को लूटने दे रहे हैं। दूसरे वह ट्रोली बनाते हैं, वह ट्रोली बेकार की ट्रोली है, जो काम में नहीं आती है और काश्तकारों को दूसरी बनानी पड़ती है। इसके अलावा जो सर्विस, सीड, फर्टीलाइजर निगम द्वारा देने की बात थी, उस रूप में भी कोर्पोरेशन ने ठीक ढंग से सेवायें उपलब्ध नहीं कीं। इसका फल यह हुआ, आप सिरोही को ही ले लीजिये, वहां सब-डिविजन खोल रखा है, वहां दफ्तर खोल कर आ गये, लेकिन वहां सर्विस नहीं है, एक आफिसर बैठा रखा है, कन्साइनमेंट कहां उतारेंगे, कहां नहीं यह व्यवस्था नहीं लेकिन आफिस बना दिया। काश्तकारों को जो फर्टीलाइजर और सीड मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था नहीं है। इसलिए इसकी उपयोगिता नहीं है। शार्ट टर्म लोन लेकर सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम के लिए लोन की मांग की थी लेकिन इसके सिलसिले में स्टेटिसटिक्स तैयार नहीं हैं और योजना नहीं है। जब कि सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम लागू करने के लिए मांग है। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या मन्शा है, क्या आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं, किस तरह इसे मंजूर करेंगे, क्या इसकी उपयोगिता होगी? इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा कि जहां यह स्कीम मंजूर की गई, वह कब मंजूर की गई, कितना यूटिलाइजेशन हुआ है और लोन मिला है या नहीं मिला है और आगे क्या योजना है, किस तरह इनका उपयोग करेंगे? इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। यह कह कर मैं एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन से और माननीय मंत्री से चाहूंगा कि भविष्य में काश्तकारों की मांग के अनुसार ऐसी सर्विस प्रदान करें ताकि ट्रैक्टर वगैरह का अलाटमेंट करके, जब कि उन्होंने इतना रुपया लगाया है, आपने वर्कशाप भी नहीं खोला है, ऐसी स्थिति नहीं रहे। आपने एग्रो सेन्टर खोल रखे हैं, उसके लिए सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को लोन दे दिया है, बाकी कुछ नहीं है। वहां लोग नहीं हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। यह क्या संतोषजनक स्थिति है। आप खुद इसे महसूस करें। इस स्थिति को सुधारा जाय और जो सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम ले ली है, उसको लेकर जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए लागू करें ताकि काश्तकारों को अधिक फायदा हो। ऐसी आप व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन राज।

श्री मोहन राज (पाली) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव की तरफ कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पाली जिले में कई गांवों में जो गेहूं की फसल में रोली की बीमारी फैल रही है, उसके लिए मैंने लिखा है। यहां पर जो साइक्लोस्टाइल्ड कागज दिया गया है उसमें गन्ने की फसल लिखा है लेकिन वास्तव में गेहूं की फसल के लिए मेरा कहना है। बात यह है कि यह बीमारी जब एक जगह पैदा होती है तो दूसरे क्षेत्रों में भी लगातार बढ़ती जाती है और सारी की सारी फसल बरबाद हो जाती है। इस समय इसकी शुरूआत है इसलिए और जगह यह न फैले, इसके तत्काल प्रयत्न होने चाहिए। वहां के कृषि अधिकारी से मैं मिला था। वह खुद इसके मुतल्लिक कई गांवों में गए। उन्होंने इन रोगग्रस्त फसलों का निरीक्षण किया है। उन्होंने तमाम विधायकों, प्रधानों और सरपंचों को लिखा कि जहां कहीं ऐसी

(श्री मोहनराज)

बीमारी हो तो जानकारी दें लेकिन दवाइयों की इतनी कमी है कि वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए हैं। हमारी पंचायत समितियों में जो अधिकारी काम कर रहे हैं वे चाहते हुए भी इस बीमारी की रोकथाम के लिए सक्रिय प्रयत्न नहीं कर पाए हैं। इसलिए जो भी दवाइयां उपलब्ध हैं, तत्काल पहुंचाने की कोशिश करें।

विभाग द्वारा अच्छे खाद व बीज देने से वे उत्पादन बढ़ाने में सहायक हुए हैं और आम काश्तकार लाभान्वित हुआ है। ये जो कि सारे के सारे इम्प्रूव्ड सीड्स, इम्प्रूव्ड प्रेक्टिसेज का अभियान शुरू हुआ है लेकिन यह बीमारी फसल को बरबाद करती है, इसकी अधिक से अधिक जानकारी काश्तकारों को करानी चाहिए। विभाग के पास जो टैक्नीकल नो-हाउ है उसकी अधिक से अधिक जानकारी दी जाए कि बीमारी की रोकथाम कैसे की जाए और दवाइयां पंचायत समिति व ग्राम सेवक स्तर पर उपलब्ध कराई जायें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो काश्तकारों को दवाइयों के पीछे भागने में ज्यादा समय लगता है। इसलिए आप अपने विभाग को सशक्त करें ताकि अधिक से अधिक दवाइयां पंचायत समिति और ग्राम सेवक स्तर पर उपलब्ध हो सकें और काश्तकारों को अधिक से अधिक जानकारी दें, वे उसका उपयोग कर सकें वरना हमारे दूसरे प्रयास जैसे सिंचाई के साधन बढ़ायेंगे, अच्छी खाद व बीज देंगे, विफल होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम गोपाल।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचंद्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री केशरी मल।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस पर अपना कटौती प्रस्ताव पेश किया है कि कुछ अव्यवस्थाओं की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पूर्ववक्ता माननीय श्री मोहनराजजी ने जिक्र किया कि गेहूं की फसल में रोली का डर है। ऐसा ही इससे पहले वाली फसल में बहुत से कीड़े और बीमारियां लगीं जिससे फसल खराब हुई चाहे ज्वार का हो चाहे बाजरे का। इसी प्रकार सब्जी की फसल को भी नुकसान हुआ। फिर भी राज्य की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से छोटे-छोटे किसान बोते हैं, बीज और खाद इकट्ठी करते हैं। उसके बाद जब फसल नष्ट हो जाती है न तो देश की पैदावार बढ़ती है और न ही काश्तकार को जितना फायदा मिलना चाहिए वह मिल पाता है।

उपाध्यक्षजी, बहुत सी व्यवस्थायें हैं, जैसे बीज की व्यवस्था करनी चाहिए थी। कृषि उद्योग निगम द्वारा 1974 में फैसला किया गया कि बीज की व्यवस्था यह निगम करेगा लेकिन बीज पूरा नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है वह शंकास्पद है। किसान को या तो समय पर बीज नहीं मिलता और मिलता है तो ठीक प्रमाणित बीज नहीं होता है। इसी तरह से जो खाद की व्यवस्था है वह भी नहीं हुई, न मशीनों की व्यवस्था यह निगम कर पाता है। बहुत

(115)

(श्री केसरी मल)

से स्टेशन्स इनको स्थापित करनी चाहिए जहां कृषि संबंधी जितनी मशीनें लगती हैं वे जगह जगह उपलब्ध हों, किसानों को किराए पर सरकार से मिलें जब उत्पादन हो तो वह किराया जमा करा दें। लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की, कहीं भी स्टेशन्स नहीं बनाए, जहां भी बनाये काम ठीक नहीं हुआ, बहुत सी मशीनरी चाहिए वह भी नहीं। कई जगह तो लाखों रुपए की मशीनरी बर्बाद हो रही है, चाहे कोटा में चाहे और जगह थ्रेशर्स वगैरह सबको पानी में डाल रखा है।

इतना ही नहीं, रूस से 15 मशीनें मंगाई गईं, 22 लाख की एक मशीन है, वे कोटा में पड़ी हुई हैं काफी समय से, खुले में, उनका सत्यानाश हो रहा है, विभाग बिल्कुल नकारात्मक तरीके से चल रहा है, न इस बात की कोशिश करता है कि जो उनके पास चीजें हैं उनका उपयोग हो सके। तो हम चाहते हैं कि आखिर यह सरकार क्या करना चाहती है? ऐसे किसानों को राहत मिलनी चाहिये। जब हम राहत की व्यवस्था ही नहीं कर पाते हैं तो जो हम पैदावार को बढ़ावा देना चाहते हैं, वह नहीं हो सकेगी। इसी से जुड़ा हुआ मसला है सिंचाई और बिजली का। कई गांवों में पानी उपलब्ध है तो वहां बिजली नहीं पहुंच पाती और जहां बिजली है तो पानी नहीं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कृषि से संबंधित बात कर रहा हूं। मेरे इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली...

श्री उपाध्यक्ष: फिर तो इससे प्राणविक शक्ति भी जुड़ी हुई है। लेकिन मैं अलाऊ नहीं कर सकता। कृषि मंत्री।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग की अनुपूरक अनुदानों के संबंध में 4 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और विशेष रूप से राजस्थान एग्रो-इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन की ओर से की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में उन्होंने कुछ आलोचना की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काम करने में कमियां तो बहुत रह सकती हैं। लेकिन जो अच्छे काम विभाग के द्वारा किये गये हैं, कार्पोरेशन के द्वारा किये गये हैं उनकी जानकारी देना चाहता हूं।

राजस्थान एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के बारे में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करूं कि संभवतः यह पहला वर्ष है जब कि गेहूं की हाई ब्रीड वैराइटी का उत्पादन 45 हजार क्विन्टल किया गया है। पिछले वर्ष 8 हजार क्विन्टल गेहूं हाई ब्रीड वैराइटी का बाहर से मंगवा कर डिस्ट्रिब्यूट किया गया था और आपको यह जान कर भी प्रसन्नता होगी कि इस बार अपने सोर्सेज से ही राजस्थान के सीड ग्रोअर्स ने 45 हजार क्विन्टल मैक्सिकन व्हीट की हाई ब्रीड वैराइटी पैदा किया और उसको डिस्ट्रिब्यूट करने के लिये भी आउट लेट्स कायम किये।

रेट्स के लिये अवश्य माननीय सदस्यों को शिकायत हो सकती है इसमें हमारा वश नहीं है। जहां तक सीड को सीड ग्रोअर्स से मर्ज करने का सवाल है 195 रुपया क्विंटल

(श्री शिवचरण माथुर)

का भाव था। सीड ग्रोग्रर्स कह रहे थे कि अच्छा भाव नहीं देंगे तो वे इसका उत्पादन नहीं कर सकेंगे। उनकी बात सही भी है। लेकिन कमीशन आदि जोड़ कर निश्चित सीमा तक किये। आप जानते ही है कि गेहूं के भाव और अन्य चीजों के भाव एक दम क्रेश हुए और 200 क्विन्टल में मिलने वाला गेहूं 117) और 120) में मिलने लगा। 130) में तो फेयर प्राइस शोप्स से दे रहे हैं। 275 तक डिस्ट्रिब्यूट किया था। माननीय सदस्यों की चिन्ता को मैं समझ सकता हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परिस्थितियों में इतना परिवर्तन आया है कि कोई फेयर प्राइस शोप्स के लोग गेहूं उठाने के लिये तैयार नहीं फिर या तो इसको सब्सीडाइज करें या आज के मुताबिक लोअर प्राइस पर दें तो कई करोड़ की धनराशि की सब्सीडी देकर ही दे सकते हैं। वित्तीय परिस्थितियां कैसी हैं राजस्थान की। आप सब जानते हैं। फिर भी इस बारे में वित्त विभाग से सलाह की और यह संभव नहीं हो सकता कि सब्सीडाइज करके बाजार भाव से दे सकें। उसके बावजूद कहना चाहता हूं कि उस 45 हजार क्विन्टल में से 27 हजार क्विन्टल हाई ब्रीड वैराइटी के गेहूं का डिस्ट्रीब्यूट किया है जो कि एक रिकार्ड है। यदि भाव ठीक होते तो 45 हजार पूरा का पूरा ही उठ गया होता।

कृषि विभाग सीड के उत्पादन में प्रयत्न नहीं करता है, मैं समझता हूं कि आपकी यह आलोचना वाजिब नहीं है। हाई ब्रीड वैराइटीज में जहां तक बीमारियों का प्रश्न है इसमें गहराई में जाने की कोशिश की है। किसी भी जिन्स के बीज को ले लीजिये, जानवर के खाने के बीज को ले लीजिये। बाहर से हाई ब्रीड वैराइटी का बीज आता है। रिलेटिवली एडवान्टेज देखने की बात आती है। बीमारियों के बावजूद भी इसका प्रोडक्शन बढ़ाने की क्षमता इन हाई ब्रीड वैराइटीज के बीजों में ही है और यह एक फैक्टर है और उसको किसान पसन्द करता है। इस सम्बन्ध में लगातार कोशिश की है, माननीय सदस्यों को बताऊं कि बारले में जितनी लगने वाली बीमारियां हैं, मैंने स्वयं ने सब जगह से यह जानने की कोशिश की है कि ये बीमारियां जो फसलों पर आ रही हैं उनके लिये क्या इन्तजाम किया जाय। देश के बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी ओवर नाइट नहीं मिटा सकते हैं और आप चाहते हैं कि इनको ओवरनाइट मिटा दें। लगातार रिसर्च करके इनको एक दम खत्म कर दें यह संभव नहीं है क्योंकि रिसर्च के नतीजे में टाइम लगता है। हम हर तरह से फसलों को बचाने के लिये प्रयत्नशील हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : समय हो जायगा इस तरह से। कट मोशन है एग्रो सैन्टर के बारे में उस के लिये तो कुछ फर्माइये।

श्री शिवचरण माथुर : यही तो है। मेरे बारे में कहा तो कुछ तो कहूं।

श्री उपाध्यक्ष : सुनना है तो मंत्रीजी को सुन लें वे क्या जवाब देते हैं।

श्री मोहरसिंह : मैं जानकारी चाहता हूं सीड में बीमारी के बारे में। शेखावाटी में चूरू जिले में बाजरी में कई वर्षों से बीमारी है उसके लिये क्या रिसर्च किया है ? झुंझुनूं, शायद नागौर जिले के भी कुछ

(श्री मोहर सिंह)

हिस्से में है। उसके लिये क्या इलाज ढूंढ़ा है और अब की बार बाजरी में जो बीमारी लगी उसके लिये भी क्या सोचा है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं जवाब दे रहा हूं तो मुझे बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था, कि माननीय मंत्रीजी से जानकारी ले लें।

श्री मोहरसिंह : जानकारी चाहिये।

श्री शिवचरण माथुर : कृषि विभाग के सम्बन्ध में यही कहना चाहूंगा कि हम हर प्रकार से जागरूक हैं। जितनी भी बीमारियां लगती हैं उनकी रोकथाम करें और रिसर्च का भी प्रबन्ध करें।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पाली जिले में गेहूं में बीमारी के समाचार मिले हैं। सांचोर तहसील में भी कुछ ऐसे समाचार मिले हैं। विशेषज्ञ दल गया है। उसने देखा है। मैं जानकारी लाया था। 73.74 में नहेड में बहुत पानी आया था उस वर्ष भी इस प्रकार का रस्ट लगा था। हमने उस समय भी कहा था कि पर्टीकुलर टाइप का ही सीड बोयें। 15 हजार हैक्टीयर में से 12 हजार हैक्टयीर में देशी गेहूं बोया गया बावजूद कृषि विभाग के मना करने पर भी। बाकी में ऐसा गेहूं बोया गया, जिस पर रोली का असर खत्म होता है। रुतबा गांव को जाकर भी आइडेन्टिफाई किया। उस सारे एरिया को देख कर और उसको यहां तक कि जलाने की भी व्यवस्था की। जितनी भी दवाइयां हैं उनकी पूरी माकूल व्यवस्था है। सांचोर इलाके में नहेड है। किसान एक ही बार बोने के लिये जाता है, और काटने के लिये ही दुबारा जाता है। हमारे यहां यह प्रावधान है कि बड़े पैमाने पर बीमारी लग गयी हो, महामारी ग्रस्त हो, एपेडेमिक हो तब ही अनुदान देने का प्रावधान है। हमारे से अनुदान लेकर 50 परसेन्ट उसमें अपना खर्चा करके उसकी रोकथाम की जाय। किसान लेने के लिये तैयार नहीं है। विभाग के पास सीमित साधन हैं, असीमित साधन तो नहीं हैं, जितनी बीमारियां हैं उनके लिये इन्तजाम करें दवाइयों का। जितना बजट है उसके हिसाब से रखने की कोशिश की है और किसानों को समझाया भी है कि इस प्रकार की विधियां काम में लायी जायं जिससे बचाया जा सकता है। विभाग काफी सतर्क और जागरूक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक ही प्रश्न है।

श्री शिवचरण माथुर : आप तो बोले ही नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये जो सीड बोर्न डीजिजेज हैं, जो सीड के जरिये ही फैलती हैं, उनके बारे में कुछ नहीं किया है, खेद का विषय है कि आपके विभाग की इस ओर कमजोरी रही है।

श्री शिवचरण माथुर : आई. सी. ए. आर. द्वारा सीड सर्टिफाई किया जाता है। बांटने वाला इसको सर्टिफाई नहीं करता है। कानून के अनुसार डिस्ट्रिब्यूट करने वाली एजेन्सी सर्टिफाई नहीं करती है। इतना

(श्री शिवचरण माथुर)

करने के बावजूद भी उसमें दिक्कत या गड़-बड़ी आती है तो उसका अन्दाज लगाना मुश्किल होता है। लेकिन जहां तक हो सके वहां तक कोशिश की जा सकती है कि व्यवस्था की जाय कि सीड अच्छा आये। कहीं-कहीं शिकायत आती है आखिर पैदावार राजस्थान की 52 में 29 लाख बढ़ कर 75 लाख कैसे पहुंच गई, यह किसका कन्ट्रीब्यूशन है। मैं निवेदन करता हूं कि कमियां कई रह सकती हैं–आई डु नाट होल्ड ब्रीफ फार माई डिपार्टमेंट लेकिन उसके बावजूद जो कमियां रह गई हैं उसको भी मिटाने की कोशिश की जायेगी। ट्रैक्टर के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा हम जो भेजते हैं जीटर 2511 उसमें 18 हजार की कीमत बढ़ा दी। तो ट्रैक्टर एच. एम. टी. बनाता है, हम नहीं बनाते हैं और आज हर एक चीजों के भाव बढ़े हुये हैं। एक समय था जब इम्पोरटेड ट्रैक्टर आया करते थे अपने देश में लेकिन आज देश की ट्रैक्टर बनाने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। एच. एम. टी. ट्रैक्टर 2511 है, उसकी कीमत बढ़ी है लेकिन कीमत बढ़ाने का ट्रेन्ड उस आधार पर होता है। हम इतना अवश्य कह सकते हैं ट्रैक्टर 2511 राजस्थान में अब आवश्यकतानुसार उपलब्ध है और कोशिश करते रहेंगे, कि जितनी मांग हमारे पास आये हम एच. एम. टी. को उसी के अनुसार बढ़ाने के लिये कहते रहेंगे . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : लेकिन उसमें कम्प्रेसर, माडल सीट आदि कई चीजें हटा दी हैं . . .

श्री शिवचरण माथुर : जो कुछ हटाया है हमने नहीं हटाया है एच. एम. टी. ने ही हटाया है। अगर कुछ कमी की गई है तो वह मैन्युफेक्चरर के द्वारा ही की गई है। इसलिये विभाग को दोषी ठहराना, मैं समझता हूं उचित नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये लोन्स क्या है ?

श्री शिवचरण माथुर : एक आपने कहा सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम के बारे में तो ये इंडियन कौन्सिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च से स्कीम आती है और जब बजट पास होता है तो उनकी सेंक्शन नहीं होती है–साल के दौरान जो ग्रान्ट मिलती है उसके लिये प्रावधान बजट पास होने के बाद करना पड़ता है इसीलिये तो हम सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट लाये हैं। आइ. सी. ए. आर. से जो स्कीम आई है, वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं-यह साइल स्ट्रक्चर पर है जैसे काटन, शुगर बीट, आइल सीड्स, राइस–तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिये मेजर कन्ट्रीब्यूशन हमको देना पड़ता है। उस समय प्रोविजन इसलिये नहीं कर पाये कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सेंक्शन नहीं आई थी और इसलिये हम सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के रूप में उपस्थित हुये हैं।

श्री मोहर सिंह (सादुलपुर) : मैंने पूछा था उसका जवाब नहीं है। 3–4–5 जिलों में ऐसी बीमारी है। मंत्री महोदय चाहें तो एक मिनिट में जवाब दे सकते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित . . .

श्री मोहर सिंह : उसका जवाब तो एक मिनिट में दे सकते हैं। 6-7 वर्ष से हम कह रहे हैं·····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहीं है।

श्री मोहर सिंह : इसलिये कि कटमोशन नहीं रखा है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, चाहें तो एक मिनिट में जवाब दे सकते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण कार्य—भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय, मांग संख्या 27 के सम्बन्ध में लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही की लाडनूं क्षेत्र में डीडवाना में कुछ बिल्डिंग अनुदान के रूप में जन सहयोग के रूप में बनाई गई है और खास तौर से शिक्षा विभाग के बारे में कहा है। उनका कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग बिल्डिंग का कब्जा नहीं लेता है और वे चाहते हैं कि बिल्डिंग का कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग ले। तो बिल्डिंग का आधिपत्य लेना सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम नहीं है। यह उस विभाग का है जिसके लिये वह तैयार की गई। इसके अलावा कोई और चर्चा नहीं आई है इसलिये सार्वजनिक विभाग की अतिरेक अनुदान की मांग सं. 27, 26 लाख 6 हजार 421 है, उसे स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मुख्य बन्द का प्रयोग करता हूं और अनुदान की मांगों को मतदान हेतु रखता हूं—

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 36 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 75,86,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 8 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 38,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 9 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,65,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 14 के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री उपाध्यक्ष)

1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,75,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 22 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 3,14,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 25 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 76,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 32 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,43,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 34 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 35 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,90,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 37 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 17,30,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 39 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976

(श्री उपाध्यक्ष)

को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,19,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 40 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, 23,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 41 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 42 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,42,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,56,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

अतिरेक अनुदान की मांगें

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक

50— सार्वजनिक निर्माण कार्य

50— सार्वजनिक निर्माण कार्य-भवन और सड़कें (सयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय।

52— सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,06,421 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 57,039 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 4 मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 33,292 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 5 मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 85,430 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,92,544 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 11 मुख्य शीर्षक 22-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,12,442 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 13 मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग

(श्री उपाध्यक्ष)

के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,717 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 14 मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,376 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,16,969 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,96,521 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 17 मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 70,51,514 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 19 मुख्य शीर्षक 33–पशु पालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,24 967 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 25 मुख्य शीर्षक 42–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,01,849 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 43–सिंचन

(श्री उपाध्यक्ष)

नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

44–सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय

के संबन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,43,643 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,93,88, 311 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 37 मुख्य शीर्षक 94–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,17,921 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,58,749 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

माननीय मंत्री महोदय।

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1976

श्री चन्दनमल बैद : मान्यवर, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : मान्यवर, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित भी करता हूं।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री चन्दनमल बैद : मान्यवर मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1976 को पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक 1976 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1976

श्री चन्दनमल बैद: मान्यवर मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई

श्री चन्दनमल बैद : मान्यवर, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करता हूं ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1976 को विचारार्थ लिया जाये ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया

श्री चन्दनमल बैद : मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976 को पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया

सदन की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 23 जनवरी, 1976 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 4.40 बजे शुक्रवार दिनांक 23 जनवरी, 1976 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(120)

परिशिष्ट-1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

शराब के ठेकेदारों में बकाया राशि

258. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) राज्य के शराब के ठेकेदारों में सन् 1971 से 1975 तक कितनी रकम बकाया है ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बकाया रकम को वसूल करने के बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्य के शराब के ठेकेदारों में वर्ष 1970-71 से दिनांक 30-9-75 तक 46,06,983 रुपये बकाया हैं। वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विभाग द्वारा बकाया राशि वसूल करने हेतु भू-राजस्व नियमों के अन्तर्गत जिला आबकारी अधिकारियों को जुलाई सन् 1971 में अधिकार दिये गये थे। सहायक आबकारी अधिकारियों व आबकारी निरीक्षकों को क्रमशः भू-राजस्व अधिनियम की धारा 239 एवं 229 के तहत अधिकार दिनांक 5-6-75 से दे दिये गये हैं। वसूली के कार्य को गति देने के लिये 1 अप्रेल, 1975 से विशेष वसूली अभियान चलाया गया है। परिणामस्वरूप विभाग द्वारा पूर्व वर्षों की तुलना में अधिक रकम वसूल की गई है।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

जोधपुर नगर में खनिज क्षेत्र की सड़कें

259. श्री अमृत लाल गहलोत (सरदारपुरा जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर नगर के खनिज क्षेत्र की निम्न सड़कें कब से निर्माणाधीन हैं एवं प्रति वर्ष इनके निर्माण के लिए कितनी कितनी धनराशि आवंटित की गई थी :-

(क) नाडेलाव से सोढ़ों की ढाणी

(ख) हनुमानजी का बाडिया से केरु

(2) वित्तीय वर्ष 1976-77 में उपरोक्त कार्यों के लिए कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है एवं उनका निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा।

उत्तर

(1) नाडेलाव से सोडान की ढाणी सड़क का निर्माण वर्ष 74-75 से प्रारम्भ हुआ। वर्ष 74-75 में इस कार्य हेतु 30,000 रु. का तथा वर्ष 75-76 में 1,50,000 रु. का प्रावधान रखा गया।

(खनिज मंत्री)

(ख) हनुमानजी का बड़िया से करूपीया, सड़क के निर्माण के लिये वर्ष 75–76 में 2.075 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

(2) वित्त वर्ष 1976–77 में नाड़ेलाव से सोडान की ढाणी एवम् हनुमानजी का बड़िया से करूपीया सड़कों के लिये क्रमशः 1,80,000 रु. व 90,000 रु. का प्रावधान रखने का प्रस्ताव है। नाड़ेलाव से सोढो की ढाणी तक सड़क की वर्ष 1976–77 तथा हनुमानजी का बड़िया से करूपीया की सड़क की वर्ष 77–78 में पूर्ण होने की आशा है।

मण्डावा में राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा क्रय की गई जमीन का भुगतान

260. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मण्डावा (झुन्झुनू) में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के सब-स्टेशन एवं जूनियर इन्जीनियर का कार्यालय बनाने के लिए श्री जमना पुत्र नाथू से उसके खेत की भूमि क्रय की थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन की कीमत 250 रु. प्रति बीघा की दर से देना तय किया गया था ? यदि हां, तो क्या जमीन की कीमत का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं तथा अब तक मुआवजा नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) मण्डावा (झुन्झुनू) में मण्डल ने 33 के. वी. सब स्टेशन जूनियर इंजीनियर के कार्यालय के लिए भूमि क्रय की थी जो एक से अधिक स्वामित्व की है। तहसील कार्यालय से अभी तक स्वामित्व के प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त हो सके हैं।

(2) जैसे ही स्वामित्व निश्चित हो जाता है, भुगतान कर दिया जायगा।

जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा भू-खण्डों का आवंटन

261. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर): क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर नगर विकास न्यास ने पिछले तीन वर्षों में कितने-कितने भू-खंड आवंटित किए हैं ?

(2) क्या नगर विकास न्यास ने नगर आयोजना विभाग की सिफारिश से पिछले पांच वर्षों में किन्हीं सरकारी कर्मचारियों को भू-खंड आवंटित किए हैं ? यदि हां, तो किन किन को और किन कारणों से ?

(3) नगर विकास न्यास की शहर के पास निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को उचित दर पर भू-खण्ड आवंटित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कितने ऐसे लोगों को भू-खंड आवंटित करने का विचार है और कहां पर व कब तक ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास जयपुर ने गत तीन वर्षों में 84 भू-खंड आवासीय

(नगर विकास न्यास मंत्री) योजनाओं में तथा 3111 भू-खंड कच्ची बस्तियों में आवंटित किए हैं।

(2) गत पांच वर्षों में न्यास ने मृत सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति से अम्बा बाड़ी योजना में कम्पेन्सेट ग्राउन्ड के आधार पर 2 भू-खंड एवं 2 भू-खंड अवार्ड के फलस्वरूप आवंटित किए हैं। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। न्यास ने निम्न व मध्यम आय वर्ग के लोगों को आवासीय भू-खंड उपलब्ध करवाए जाने हेतु कमला नगर योजना बनाई है जिसमें 800 भू-खंडों का प्रावधान रखा गया है। इनमें से 400 भू-खंड निश्चित आय वर्ग एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। यह योजना राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय में न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर देने के कारण विवादग्रस्त थे। विवाद समाप्त होने के बाद ही इस योजना में भू-खंड आवंटित करने में न्यास समर्थ होगा। इसके अतिरिक्त भी समाज के कमजोर वर्ग एवं आवंटन नियमों के अन्तर्गत भू खंड पाने के योग्य व्यक्तियों को भू-खंड देने हेतु न्यास की योजना है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। भूमि के अभाव में न्यास द्वारा आवंटन संभव नहीं हो पा रहा है। भूमि प्राप्त करने की दिशा में अवाप्ति की कार्यवाही के अतिरिक्त अम्बा बाड़ी योजना से लगी हुई चांदमारी की भूमि खाली करवाकर चांदमारी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कराने एवं वर्तमान चांदमारी की भूमि न्यास को हस्तान्तरित कराए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। यदि यह भूमि उपलब्ध हो सकी तो इसमें लगभग 3000 भू-खंड उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

तालिका

क्र.सं.	नाम	योजना	भू.सं.	आवंटन की दिनांक	राज्य सरकार की स्वीकृति का क्रमांक व दिनांक
1.	श्रीमती भागीरथी देवी धर्मपत्नी श्री स्व. बाल मुकुन्द शर्मा	अम्बा बाड़ी	डी–2	22–12–73	एफ 3(109)टीपी।71 दिनांक 23–9–71
2.	श्रीमती संतोष तलवार धर्म पत्नी श्री एस. एल.तलवार	,,	सी–28	19–4–72	एफ 3(180)टीपी।70 दिनांक 13–6–71
3.	श्रीमती रतनकंवर	,,	एस–29	25–2–74	,, ,, (अम्बा बाड़ी योजना के लिए भूमि अवाप्त करने के कारण आवंटित किए गए हैं।)
4.	श्री पृथ्वीसिंह	,,	एस–58	25–2–74	,, ,,

पंचायत समिति विराटनगर के ग्रामों का विद्युतिकरण

262. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पं.स.विराटनगर जिला जयपुर के किस किस ग्राम का विद्युतिकरण कब कब किया गया? इस समिति क्षेत्र में कुल कितने ग्राम हैं? शेष ग्रामों का विद्युतिकरण कब तक किया जावेगा?

(2) क्या यह सच है कि ग्राम चतुरपुरा धूलकोट, बहड़ोदा, बीलवाड़ी, लुहाकना, नौरंगपुरा, पापड़ी ग्रामों में होकर 11 के.वी.ए. विद्युत् लाइन गई हुई है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या यह सच है कि अस्वीकृत ग्राम पापड़ी में विगत 5 वर्ष पूर्व कनेक्शन हो चुके हैं? यदि हां, तो इस ग्राम को अब तक क्यों नहीं स्वीकृत किया गया?

(4) क्या यह सच है कि विगत 3 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र की आर.ई.सी.बनाये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) पं. स. विराटनगर के कुल 82 ग्रामों में से 14 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। शेष ग्रामों का विद्युतिकरण विद्युत् मण्डल को ग्रामीण विद्युतिकरण के लिये मिलने वाले प्रावधान पर निर्भर करता है।

(2) जी हां। 1967 से अब तक।

(3) अस्वीकृत ग्राम पापड़ी में कुछ कनेक्शन पास के गांव के ट्रान्सफार्मर से दिये गये हैं। धनाभाव के कारण इसकी स्वीकृति अभी तक सम्भव नहीं हो सकी।

(4) जी हां। राज्य सरकार ने वर्ष 72–73 में इस तहसील की आर.ई.सी. की स्कीम बनाने के लिये स्वीकृति दी थी तथा उपलब्ध सब ट्रान्समिशन लाइनों की क्षमता के अनुसार एक आर. ई सी. स्कीम वर्ष 74–75 में आर. ई.सी. द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

जिला विकास अधिकरण, बाड़मेर

263. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सूखा सम्भाव्य क्षेत्र परियोजना (डी.पी.ए.पी) के अन्तर्गत बाड़मेर जिला विकास अधिकरण में विधान सभा सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा कब हुआ? मनोनयन में विलम्ब के क्या कारण रहे? सदस्यों की सूची सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) उक्त जिला विकास अधिकरण की कब कब बैठकें हुई और उक्त अधिकरण ने क्या क्या सिफारिशें प्रस्तुत की और क्या क्या निर्णय लिये? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त परियोजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में सन् 75–76 में विभिन्न विभागों के लिए क्या क्या प्रावधान रखा और उनके अन्तर्गत क्या क्या व्यय हुआ? क्या क्या

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

कार्य हाथ में लिये गये और क्या क्या हाथ में लिये जा रहे हैं ? मार्च 76 तक क्या क्या कार्य सम्पन्न हो सकेंगे ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त परियोजना के अन्तर्गत इस वर्ष जिले में विद्युत विभाग के लिए क्या प्रावधान रखा गया है और क्या व्यय किया गया ?

(5) उक्त परियोजना के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितना प्रावधान विभिन्न विभागों के लिये रखा गया है ? विभाग वार प्रत्येक वर्ष के अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) दिनांक 18 दिसम्बर, 75 को मनोनयन करने से पहले माननीय अध्यक्ष लोकसभा, राज्य सभा एवं विधान सभा को अनुमति प्राप्त करने के लिये लिखा गया था। माननीय लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति दिनांक 11–12–75 को प्राप्त होने के पश्चात् संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों के मनोनयन के आदेश एक साथ सभी जिला विकास अधिकरणों को जारी कर दिये गये। जिला विकास अधिकरण बाड़मेर में विधान सभा के माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द्र जैन व श्रीमती मदन कौर का मनोनयन किया गया है।

(2) प्रथम बैठक की तिथि 20 जनवरी, 1976 को निश्चित की गयी थी, वह स्थगित कर दी गई है और अब 2 फरवरी, 76 को निश्चित की गयी है।

(3) वर्ष 1975–76 में मदवार प्रावधान व व्यय के आंकड़े निम्न हैं:—

(लाख रुपये)

मद	वित्तीय प्रावधान	व्यय सितम्बर, 75
1. कृषि	2.00	0.31
2. भू-जल	10.00	—
3. वन विकास	6.00	0.06
4. लघु सिंचाई	0.43	0.19
5. पशु एवं दुग्ध विकास	29.25	20.00 (टेन्टेटिव)
6. संस्थापन	2.48	—
7. अनकमिटेड	0.08	—
योग	50.24	20.56

कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख हैक्टर में रीकनायसेंस सर्वेक्षण, आठ हजार हैक्टेयर में विस्तृत सर्वेक्षण व आठ हजार हैक्टेयर में टोपोग्राफीकल सर्वेक्षण किया जाना है। भू-जल मद में विस्तृत हाईड्रोलोजिकल सर्वेक्षण का प्रावधान है। वन विकास के अन्तर्गत चरागाह विकास का कार्यक्रम है। लघु सिंचाई में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के शेष कार्य पूर्ण किये जायेंगे। पशु एवं दुग्ध विकास कार्यक्रम में बाइसिरा में आक्सीजन यंत्र लगाया जा रहा है। दूध एकत्रित करने का प्रावधान है व इनपुट कार्यक्रम भी लिया जा रहा है।

(4) कुछ भी नहीं।

(कृषि मन्त्री)

(5) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक साढ़े चार करोड़ रुपये सूखा सम्भाव्य क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में व्यय किये जाने का प्रावधान है। मदवार आंकड़ों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

जयपुर शहर की मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति

264. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर शहर की मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति सहकारी विभाग से पंजीकृत है ? यदि हां, तो कौन कौन इसके पदाधिकारी हैं ?

(2) इस सहकारी समिति के पास कहां कहां जमीन है और क्या यह जमीन मास्टर प्लान के अन्तर्गत है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सहकारी समिति की जमीन को आवास के लिए परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

(3) इस सहकारी समिति के चुनाव कब से नहीं हुए हैं ?

(स्थगित किया गया)

विजयपुर के पहाड़ी क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनायें

265. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ उप-खण्ड में विजयपुर के पहाड़ी क्षेत्र जहां आदिवासी जन संख्या निवास करती है क्या वहां की दो लघु सिंचाई योजनायें अधूरी पड़ी हैं।

(2) "मोडिया महादेव" तथा "बरखेड़ी" बांध पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? पृथक्-पृथक् सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) निकट भविष्य में उक्त अधूरे कार्यों पर पुनः कब तक कार्य शुरू किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इस क्षेत्र में मोडिया महादेव व बरखेड़ी नामक सिंचाई योजनाओं पर कार्य अधूरा पड़ा है।

(2) मोडिया महादेव योजना पर रु. 6.62 लाख व बरखेड़ी योजना पर केवल अकाल राहत मद में रु. 0.10 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(3) मोडिया बांध योजना पर सन् 1976–77 में कार्य प्रारम्भ किया जावेगा और बरखेड़ी बांध योजना पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर प्रारम्भ की जा सकेगी।

लालसोट तहसील के कस्बों की जल प्रदाय योजना

266. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि लालसोट तहसील (जयपुर) के (1) रामगढ़-पचवारा (2) डीडवाना, व (3) मन्डावरी कस्बे की जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति सरकार

(श्री मीठालाल मीणा)
के पास काफी दिनों से विचाराधीन चली आ रही है ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त दोनों कस्बों की जनता ने आवश्यक ढाई प्रतिशत अंशदान की राशि काफी समय पूर्व सरकार के पास जमा करा दी है ?

(3) क्या यह सच है कि जिले में उक्त कस्बों से छोटे छोटे कस्बों की जल प्रदाय योजनायें सरकार ने इस वर्ष स्वीकार कर दी हैं ?

(4) क्या यह सच है कि दोनों कस्बों में विद्युत् लग गई है अथवा लग रही है ? यदि हां, तो फिर उक्त जल प्रदाय योजनाओं को राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति प्रदान न करने का क्या कारण है तथा भविष्य में कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। वर्ष 75–76 से राज्य सरकार के निर्णयानुसार नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार स्वीकृत की जा रही हैं। इस वर्ष प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार उपरोक्त ग्रामों में से ग्राम मण्डावरी की जल प्रदाय योजना इस वर्ष स्वीकृत की जा रही है। शेष योजनाओं को आगे जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

शहरी क्षेत्रों में जमीन का समाजीकरण

267. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शहरी क्षेत्रों में जमीन (अरबन एण्ड अरबेनाइजेबल लैंड) का समाजीकरण करने के बारे में राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाये ?

(2) राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बिना घर वालों व अल्प आय वाले लोगों को बसाने के बारे में क्या कदम उठाये ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति बानसूर द्वारा नई सड़कों की मांग

268. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की बानसूर पंचायत समिति व वहां की जनता द्वारा कई नई सड़कों के बनाये जाने की सरकार से मांग की जा रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बानसूर की सड़क हरसोरा से बानसूर होकर नरायनपुर की मरम्मत होना बहुत आवश्यक है ? यदि हां, तो इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बानसूर की नरायनपुर से कारीना, बानसूर से मोहनपुर,

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

तथा हाजीपुर से मण्डली सड़क निर्माण के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए थे। धनाभाव के कारण उक्त सड़कों को योजना में नवीन कार्य होने के कारण शामिल नहीं किया गया है।

(2) हरसोरा से बानसूर वाया नारायणपुर रोड के मैटल भाग की दशा अधिक अच्छी नहीं है। संपूर्ण भाग पर डामर कार्य एक साथ सम्भव नहीं है। उपलब्ध धनराशि अनुसार 2 किलोमीटर में डामर कार्य प्रगति पर है।

बारां में जंगलात की भूमि में आवासीय भू-खण्डों का आवंटन

269. श्री रामगोपाल (किशनगंज): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि वन मण्डल अधिकारी बारां ने सरकार द्वारा चलाये गये अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को जंगलात की भूमि में से आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये हैं जिससे आज वे लोग परेशान हैं तथा उनको आवंटित भू-खण्डों पर कब्जा नहीं मिल पाया है? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

जी नहीं।

चंवली नदी व पीलिया खाल पर पुलिया का निर्माण

270. श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पिड़ावा गांव के पास चंवली नदी व पीलिया खाल की वजह से वर्षा काल में यातायात के साधन ठप्प हो जाते हैं? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इस पर पुलिया बना कर जनता की समस्या का समाधान करना चाहती है? अगर हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

चंवली नदी व पीलिया खाले पर अधिक पानी आने पर यातायात कुछ दिनों के लिए अवरुद्ध होता है। समस्या का स्थाई हल उक्त स्थानों पर बने काजवे को ऊंचा उठाना है, जो अभी धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

ग्राम पंचायत ततारपुर (अलवर) के सरपंच व पंचों के विरुद्ध शिकायतें

271. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ततारपुर के सरपंच व पंचों के खिलाफ पंचायत रिकार्ड में फर्जी कार्यवाही करने की शिकायत हुई थी?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश अलवर ने अपने आदेश दि. 4-8-65 में सरपंच व पंचों द्वारा की गई कार्यवाही मन्सूख की है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत के सरपंच व पंचों के खिलाफ मुकदमा धारा 466 भारतीय दंड संहिता के अधीन चलाने की इजाजत सरकार से मांगी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त इजाजत के सम्बन्ध में कागजात अक्टूबर माह में सचिवालय में आ चुके हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

नागौर जिले के पशुपालन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

272. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नागौर जिले के जिला स्तरीय पशुपालन अधिकारियों के खिलाफ अनेकों शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं और बाद जांच उन्हें स्थानान्तरित किया गया, परन्तु उन्हीं अधिकारियों को पुनः जिले में उन्हीं पदों पर किन्हीं प्रभावशाली व्यक्तियों के कहने पर वापिस स्थानांतरित कर नागौर में ही रखा गया है ? अगर हां, तो राज्य सरकार पर ऐसा प्रभाव डालने वाले व्यक्ति कौन हैं और इन अधिकारियों का पुनः यहां क्यों स्थानान्तरित किया गया ?

उत्तर

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

परबतसर—हरसोरा सड़क

273. श्री जेठमल वरबड़ (परबतसर) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) परबतसर तहसील में परबतसर-हरसोरा वाया भकरी बागोट ग्रेवल रोड कब बनी थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रोड नागौर जिले में बहुत पुरानी है और आज तक इसको डामर रोड नहीं बनाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त रोड भारी वर्षा के कारण टूट गई है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त रोड पर परिवहन निगम की बसें भी जोधपुर से परबतसर तक चलती हैं ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त रोड पर ग्राम रोहण्डी में रोड के दोनों ओर वर्षा के पानी से 10 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया है जिससे दुर्घटना होने की हर समय सम्भावना रहती है ? यदि हां, तो इस सड़क के दोनों तरफ पत्थरों की पिचिंग करने की व्यवस्था कब तक की जायेगी या पुल बनाया जायेगा ?

उत्तर

(1) परबतसर हरसोरा वाया भकरी बागोट ग्रेवल रोड निर्माण वर्ष 1958 से प्रारम्भ कराया जाकर समय समय पर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
स्वीकृत अकाल राहत कार्यों में पूर्ण कराया गया है।

(2) धनाभाव के कारण सड़क को डामर सड़क में परिवर्तन नहीं किया जा सका।

(3) वर्ष 1975 की अतिवृष्टि से सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। उपलब्ध धनराशि अनुसार मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

(4) जी हां।

(5) नाले के पानी से सड़क कटी है, जिसकी मरम्मत उपलब्ध धनराशि अनुसार की गई है, और दुर्घटना का खतरा नहीं है।

टोंक जिले में कृषि हेतु भूमि का आवंटन

274. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टोंक में कृषि हेतु भूमि के आवंटन व नियमन के अभियान के दौरान कितने आवंटन व नियमन हुए ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि भूमि अलॉटमेन्ट रूल्स, 1971 के तहत छोटी पट्टियों की नीलामी की कार्यवाही होनी चाहिये थी ? यदि हुई हो तो इस प्रकार के कितने केस उक्त जिले में हुए व उनमें राज्य सरकार में कितना पैसा जमा हुआ ?

(3) क्या खेतों के बीच की छोटी भूमि जो नियमन होने से बच गई उसे राज्य सरकार पास वाले खेत के मालिक को निश्चित रेट पर देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस रेट पर ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान लैंड रेवेन्यू (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1970 के नियम 19 (11) के अन्तर्गत दो खातेदारों की भूमि के समीप स्थित छोटी पट्टी को दोनों खातेदारान द्वारा आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की दशा में ही नीलाम द्वारा आवंटन का प्रावधान है अन्यथा नहीं। जिले में छोटी पट्टियों का आवंटन ही किया गया है। नीलामी से छोटी पट्टी का कोई आवंटन नहीं किया गया है। ऐसी दशा में राज्य सरकार में रकम जमा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) इस प्रकार की भूमि आवंटन हेतु पहले ही राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1970 के नियम 19 में प्रावधान है। जिसमें आवंटन सम्बन्धी प्रक्रिया एवं रेट आदि निर्धारित की हुई हैं।

टोंक जिले में त्वरित भू-आवंटन एवं नियमन, अभियान के अन्तर्गत तहसीलवार निम्न प्रकार भू-आवंटन एवं नियमन किए गए हैं:—

(क्षेत्रफल एकड़ों में)

नाम तहसील	आवंटन		नियमन	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
टोंक	1547	5129	2068	1418
निवाई	1439	4361	865	1203

(राजस्व मन्त्री))

1	2	3	4	5
अलीगढ़	789	2026	839	1407
देवली	2130	6176	137	206
मालपुरा	1148	2464	56	116
टोडारायसिंह	1530	3400	217	447
योग:—	8583	23556	4182	4797

पश्चिमी राजस्थान के जिलों में रोजगार देने की योजना

275. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एक फसली पश्चिमी राजस्थान के जिलों में जहां पर कि फसल कटाई के बाद किसान एवं किसान मजदूर नवम्बर से लेकर आगामी जुलाई या वर्षा होने तक प्रतिवर्ष 7–8 माह बेकार रहते हैं ?

(2) यदि हां तो क्या पंचम पंचवर्षीय योजना में इस बेकार समय में उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

(3) यदि हां तो क्या और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) एक फसली राजस्थान के पश्चिमी दस जिले अकाल ग्रस्त रहने के कारण वहां बेकारी की समस्या काफी जटिल रहती है।

(2व3) इसलिए ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम (डी.पी.ए.पी.) के तहत बेकारी की समस्या एवं अकाल का स्थाई हल करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चालू किये गये हैं जैसे कि ट्यूब वैल व कुओं की खुदाई, दुग्ध विकास, पशु पालन, भेड़ पालन, वन एवं चारागाह योजना, लघु सिंचाई योजनाएं, उन्नत कृषि एवं भू-संरक्षण योजनायें। इसके अतिरिक्त कुटीर उद्योग, विशेष रूप से ऊनी खादी उत्पादन की योजना भी तैयार की जा रही है।

अलवर शहर में मीठे पेयजल की समस्या

276. श्री रतीराम यादव (अलवर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर की स्कीम नं. 1 व 2 में मीठे पेय जल की भारी कमी है ?

(2) क्या पेय जल की इस कमी को दूर करने हेतु राज्य सरकार ने कई वर्ष पूर्व गाजू की नदी के पास कई ट्यूबवेल्स बनवाये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन ट्यूबवेल्स को सीधी पाइप लाइन से गत वर्ष ही जोड़ दिया गया था ताकि शीघ्राति_

Page No 137

(137)

(श्री रतीराम यादव)

शीघ्र जनता को पानी दिया जा सके ? यदि हां, तो जनता को पानी की सप्लाई में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ? अब इस योजना का पानी कब तक शहर की जनता को प्राप्त हो सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। रेल्वे क्रासिंग व विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति देर से प्राप्त होने के कारण पानी की सप्लाई में विलम्ब हुआ। माह फरवरी, 1976 के अन्त तक स्कीम नं. 1 व 2 में पानी जनता को प्राप्त हो सकेगा।

जयपुर में अजमेरी दरवाजे और गन्दी मोरी के पास बसे हुए लोग

277. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा यह फैसला किया गया है कि जो लोग जहां पर रहते हैं, उनको वहां पर बसाया जावे ? यदि हां, तो जयपुर में अजमेरी दरवाजे और गन्दी मोरी के दोनों तरफ बसे हुए लोगों को क्यों उठाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि जो लोग वहां पर बसे हुए थे, वे राज्य सरकार के प्लान के अनुसार मकानात बनाने को तैयार थे ? यदि हां, तो उनको यह सहूलियत क्यों नहीं दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि इस वक्त तक न तो उनको पट्टे दिये गये हैं और न उनको साधारण सुविधायें उपलब्ध हैं ?

(स्थगित किया गया)

रेवदर व सिरोही तहसीलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अलॉट भूमि

278. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की रेवदर व सिरोही तहसीलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अलॉट की गई भूमि पर भूतपूर्व जागीरदारों का कब्जा है ? यदि हां, तो कितनों को और किस किस ने कब्जा कर रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पिछड़े हुए काश्तकारों को भूतपूर्व जागीरदार डरा धमका कर निकाल देते हैं ? यदि हां, तो उनको राहत दिलाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की ?

(3) सिरोही जिले में कुल कितनी भूमि किस किस से सीलिंग के अन्तर्गत प्राप्त हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी यह सही नहीं है।

(3) सिरोही जिले में कुल 6,336-74 एकड़ भूमि सीलिंग के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। जिन जिन भूमि-धारियों से भूमि सीलिंग

(राजस्व मंत्री)

के अन्तर्गत प्राप्त हुई, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील नोखा के ग्रामों में विद्युत लाइन हेतु सर्वे

279. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम साधासर, तहसील नोखा, ग्राम लालमदेसर, बड़ा व छोटा व उलाममदेसर आदि गांवों को विद्युत लाइन से जोड़ देने के लिये विभाग ने सर्वे करा लिया है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सुरपुरा (तहसील नोखा) से सिजगुरी विद्युत लाइन जो लगभग 2 मील की है उसका सर्वे कर लिया है ? अगर हां, तो उपरोक्त लाइन का कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। धनाभाव के कारण अभी कुछ कहना संभव नहीं है। सर्वे करने पर 11 के. वी. की 5.75 कि. मी. लाइन आती है परन्तु योजना आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं है।

असनावर (झालावाड़) की ग्रामीण जल प्रदाय योजना

280. **श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन)** : क्या जल प्रदाय योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) असनावर (जिला झालावाड़) की ग्रामीण जल प्रदाय योजना का कार्य कब पूरा होगा ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम असनावर के लगभग सौ व्यक्ति घरों में कनेक्शन लेना चाहते हैं ? यदि हां, तो कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) असनावर की जलप्रदाय योजना का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा।

(2) जी हां। असनावर में लगभग 65 व्यक्तियों द्वारा निजी कनेक्शन लेने के लिये आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। योजना के अन्तर्गत कुआ बनाने का कार्य प्रगति पर है। कुआ बनने पर जल की उपलब्धि के बाबत अन्तिम रूप से जानकारी होने के बाद ही निजी कनेक्शन देने बाबत निर्णय लिया जा सकेगा।

रेलमगरा तहसील में चरणोट जमीन पर नाजायज कब्जे

281. **श्री नानालाल (राजसमंद)** : क्या राजस्व मंत्री यह बतावे की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के रेलमगरा तहसील में गांव मारो में चरणोट जमीन पर कई लोगों के नाजायज कब्जे हैं ? यदि हां, तो किस किस ने कितनी कितनी जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 139

(139)

(श्री नानालाल)

(2) क्या यह सही है कि इन नाजायज कब्जों को हटाने के लिए जिलाधीश, उदयपुर द्वारा आदेश दिये गये किन्तु अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय उदयपुर द्वारा स्थगन आदेश के कारण से नाजायज कब्जे नहीं हटाये गये हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

(स्थगित किया गया)

सांगानेर में कृषि विद्युत् कनेक्शन्स

282. **श्री मोहर सिंह राठौड़** (चूरू) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सहायक अभियन्ता कार्यालय सांगानेर में कृषि हेतु विद्युत् कनेक्शन के लिये गत 5 वर्षों में कितने आवेदन-पत्र आये और उनमें से कितने आवेदकों को कब कब कनेक्शन दिये एवं कितनों को कब कब निरस्त किया ? निरस्त करने के नियमों की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अधिकारी के अधीन कितने ट्रान्सफार्मर ओवरलोडेड हैं और उनसे कितने हार्स पावर के कनेक्शन दिये हुए हैं एवं कितने दिये जाने चाहिये थे ?

(3) क्या यह सत्य है कि इन ट्रान्सफार्मर्स के ओवरलोडेड होने के कारण या तो फ्यूज उड़ जाते हैं या वे जल जाते हैं जिसके कारण कभी भी सही समय किसानों को बिजली नहीं मिल पाती और उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

(4) क्या इन ट्रान्सफार्मर्स को बढ़ाने की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब और क्या सरकार इन्हें बढ़ाकर विचाराधीन आवेदकों को कनेक्शन देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या मार्जिनल किसानों को, या अनुसूचित जनजाति को अथवा अग्रिम धनराशि पर कनेक्शन देने वाले आवेदकों को ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स से कनेक्शन दिये जा सकते हैं ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि यहां के अभियन्ता कनेक्शन लेने वाली पार्टी से ट्रान्सफार्मर्स बढ़ाने हेतु 15-15 हजार रुपये मांगते हैं ? यदि हां तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि सरकारी मीटर खराब हो जाने पर उनको ठीक करने अथवा बदलने के लिए कृषकों से 200 रु. बिना रसीद दिये लेने का नियमों में प्रावधान है ? यदि हां, तो नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता, कार्यालय सांगानेर में गत 5 वर्ष में कृषि हेतु 3110 आवेदन-पत्र आये जिनमें से 1119 आवेदन-पत्र निरस्त किये गये। 1399 कृषि कनेक्शन दिये गये। आवेदनों की जांच तकनीक की आर्थिक दृष्टि से की जाती है। यदि ये जांच में सही पाये जाते हैं तो मांग पत्र दिया जाता है और मांग-पत्र की राशि समय पर जमा हो जाती है तो कनेक्शन देने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती है, अन्यथा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाता है। पूरी सूची बनाने में समय लगेगा।

(2) इस समय उस उप सम्भाग में 63 ट्रान्सफार्मर्स पर भार अधिक है। ओवरलोड

(विद्युत् मंत्री)

कनेक्शनों की संख्या से नहीं बल्कि उस पर दिये गये लोड से जांचा जाता है। ये ट्रांसफार्मर कुल 5200 के.वी.ए. क्षमता के हैं और उन पर भार 7838 होर्स पावर का है।

(3) फ्यूज उड़ने या जल जाने के कई कारण होते हैं। जिनमें ओवरलोड भी हो सकता है। फ्यूज उडने पर सप्लाई में व्यवधान आता है परन्तु सूचना मिलने पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

(4) धन की उपलब्धि के अनुसार ट्रान्सफार्मर कैपेसिटी बढ़ाई जाती रही है। अभी ट्रान्सफार्मर्स से ओवर लोड होने के कारण और आवेदकों को कनेक्शन देना संभव नहीं है।

(5) यदि अग्रिम धन राशि देने वाले आवेदक ट्रान्सफार्मर बदलने का खर्च भी जमा कराएं।

(6) अग्रिम धनराशि योजना के तहत आवेदन कर्ताओं से ट्रान्सफार्मर बढ़ाने हेतु रकम मण्डल के नियमानुसार ली जा सकती है। यदि उन कनेक्शनों को देने के लिये स्थित ट्रान्सफार्मर में जगह न हो। बिना रसीद लिये किसी भी प्रकार की रकम लेने का कोई नियम नहीं है।

सीलिंग कानून के अन्तर्गत जमीन

283. श्री मोहर सिंह (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) कितनी बीघा जमीन पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत निकाली गई थी तथा नये सीलिंग कानून के तहत कितनी जमीन उपलब्ध हो सकेगी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या सही नहीं है कि सीलिंग की जमीन से अधिक वाली जमीन पर भी काफी जगह वर्षों से विभिन्न काश्तकारों द्वारा काश्त होती आ रही है?

(ग) क्या यह सही नहीं है कि इस सिलसिले में काफी जगह भूतपूर्व नरेशों व जागीरदारों द्वारा कीमत लेकर किसानों के नाम रजिस्ट्रियां करवादी गई थीं? अगर हां, तो जिलेवाइज किसानों की संख्या व जमीन बीघों में दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(घ) उपरोक्त किस्म के किसानों में से कितने काश्तकार खातेदार बन चुके हैं और कितने अभी गैर खातेदार हैं?

(स्थगित किया गया)

सालपुरा-अकलेरा सड़क

284. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि सालपुरा से छीपाबड़ोद होती हुई अकलेरा सड़क की हालत बहुत ही दयनीय व जीर्ण शीर्ण है?

(श्री जगमोहन सिंह)

(2) क्या यह भी सत्य कि छीपाबड़ौद तहसील में आवागमन हेतु एक मात्र यही सड़क है ?

(3) यदि हां, तो इसको कब तक ठीक करा कर डामर करा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सालपुरा छीपाबड़ौद रोड के मेटल भाग की दशा सन्तोषप्रद नहीं है।

(2) जी हां।

(3) धनाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता। उपलब्ध धनराशि अनुसार मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

----

(142)

परिशिष्ट--2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 144 की सूची)

क्र. सं.	योजना का नाम	ग्रामों का नाम	1971 आबादी	अनुमानित लागत लाख रु.
		चालू योजनाएं		
1.	पी. एण्ड टी. शाहबाद	शाहबाद	2089	0.87
		निर्माणाधीन योजनायें		
1.	चे. ज. प्र. योजना राजपुर	राजपुर	1303	2.29
		खेन्ना	830	
		तेलमी	118	
		किगर पहाड़ी	543	
2.	हैण्ड पम्प योजना	मेहरामता	1057	–
		गोरधन पुरा	151	
		हरीपुरा	193	
		गेगची	119	
		गेगचा	335	
		सर्वेक्षण की हुई योजनायें		
1.	पी. एण्ड टी. किशन गंज	किशन गंज	3374	–
2.	भंवरगढ़	भंवरगढ़	3257	1.33
3.	कस्बाथाना	कस्बाथाना	2295	1.12
4	नाहरगढ़	नाहरगढ़	3009	1.45

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न सं. 169 की सूची)

सूची मन्ज़ूर शुदा सिंचित क्षेत्र मुरब्बावार चक 23 बी. बी.

मुरब्बा नम्बर	पत्थर नम्बर	मन्ज़ूर शुदा सिंचित क्षेत्र (सी.सी.ए.)	
		बीघा	बिस्वा
1	2	3	
1.	134/216	आबादी	
2.	133/216	आबादी	
3.	133/217	24	10
4.	134/217	आबादी	
5.	135/217	15	19
6.	136/217	10	7
7.	137/217	2	3
8.	140/218	2	5
9.	139/218	9	14
10.	138/218	10	10
11.	117/217	23	10
12.	136/218	24	00
13.	135/218	24	10
14.	134/218	23	10
15.	133/218	25	–
16.	133/219	24	10
17.	134/219	23	10
18.	135/219	24	10
19.	139/219	24	00
20.	137/219	24	10
21.	138/219	24	10
22.	139/219	24	10
23.	140/219	23	11
24.	141/219	17	19
24/I	142/219	–	–

Page No 144

(144)

1	2	3		
24/II	142/220	7	00	
25.	141/220	24	10	
26.	140/220	24	10	
27.	139/220	24	10	
28.	138/220	24	10	
29.	137/220	24	10	
30.	136/220	गैरमुमकिन		
31.	135/220	25	–	
32.	134/220	24	10	
33.	133/220	25	–	
34.	133/221	25	–	
35.	134/221	24	10	
36.	135/221	25	–	
37.	136/221	24	–	
38.	137/221	24	–	
39.	138/221	गैरमुमकिन		
40.	139/221	10	–	
41.	140/221	25	–	
42.	141/221	24	10	
43.	141/222	24	10	
44.	140/222	14	14	(अतिरिक्त आबादी)
45.	139/222	आबादी		
46.	138/222	आबादी		
47.	137/222	25	–	
48.	136/222	24	10	
49.	135/222	25	–	
50.	134/222	24	6	
51.	133/222	25	–	
52.	133/223	25	–	
53.	134/223	24	–	
54.	135/223	25	–	
55.	136/223	25	–	

Page No 145

145

1	2	3	
56.	137।223	25	–
57.	138।223	25	–
58.	139।223	आबादी	
59.	140।223	10	–
60.	141।223	25	–
61.	134।224	24	–
62.	133।224	24	10
63.	135।225	25	–
64.	134।225	25	–
	योग :	1246	17 लगभग 1247 बीघा या 879 एकड़

(146)

परिशिष्ट-4

(स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 की सूची)

क्र. सं.	नाम न्याय पंचायत			कुल देय रकम
1.	सचिव न्याय	पंचायत	रामगढ़ पंचवारा	4140.00
2.	,,	,,	दौलतपुरा	468.00
3.	,,	,,	,,	2760.00
4.	,,	,,	मन्डावरी	569.50
5.	,,	,,	तलावगांव	60.00
6.	,,	,,	बिलौना	4913.00
7.	,,	,,	लालसोट	600.00
8.	,,	,,	,,	600.00
9.	,,	,,	राहूवास	280.00
10.	,,	,,	डीडवाना	3660.00
			कुल बकाया	18050.50

परिशिष्ट--5

(प्रश्न. प्र. सं. 34 की सूची)

नोट:--छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की कमी के संदर्भ में ब्यौरेवार सूची

क्र.सं. 1	पाठशाला का नाम 2	वर्तमान छात्र सं. 3	कार्यरत शिक्षकों की सं. 4	अतिरिक्त शिक्षकों की मांग 5
1.	प्रा. शाला पालड़ी	54	1	1
2.	,, पहाड़पुरा	56	1	1
3.	,, हाडेतर	111	2	1
4.	,, प्रतापपुरा	53	1	1
5.	,, ढवाल	52	1	1
6.	,, पथमेड़ा	50	1	1
7.	,, धूड़वा	52	1	1
8.	,, बासन चौहान	46	1	1
9.	,, गोलासन	52	1	1
10.	,, कोड	53	1	1
11.	,, हरियाली	95	2	1
12.	,, रूड़ा का गोलिया	46	1	1
13.	,, भाव	120	2	1
14.	,, खिरोड़ी	110	1	2
15.	,, गुड़ा हेमा	111	2	1
16.	,, जोधावास	64	1	1
17.	,, धांरा	97	1	2
18.	,, पोढा	94	2	1
19.	,, पमाणा	123	2	2
20.	,, मालवाड़ा	80	1	1
21.	,, परावा	79	1	1
22.	,, धाकोली	46	1	1
23.	,, पादरड़ी	46	1	1
24.	,, सांगड़वा	49	1	1
25.	,, वीछावाड़ी	117	2	1
26.	,, वन्ना की ढाणी	57	1	1

1	2		3	4	5
27.	प्रा. शाला	काछेला	64	1	1
28.	,,	वांता	95	2	1
29.	,,	विरोल	52	1	1
30.	,,	केसूरी	58	1	1
31.	रा. प्रा.	जानवी	49	1	1
32.	,,	वाक	72	1	1
33.	,,	बालेरा	47	1	1
34.	,,	भीमगुडा	46	1	1
35.	,,	पारवा	46	1	1
36.	,,	धानता	87	2	1
37.	,,	भादरूणा	52	1	1
38.	,,	चोरा ग्राम	97	2	1
39.	,,	बावरला ढाणी	54	1	1
40.	,,	डडूसण	58	1	1
41.	,,	बावरला ग्राम	59	1	1
42	,,	पामली	81	1	1
43	,,	हालीवाव	154	1	3
44.	,,	वीरावा	49	1	1
45.	,,	मेघावा	58	1	1
46.	,,	खुटाकुई	58	1	1
47.	,,	मवातड़ा	45	1	1
48.	,,	गोलिया गोधोरा	45	1	1
				योग	53

नोट :—लड़कों की संख्या के अनुपात में उक्त 48 पाठशालाओं में कुल 53 शिक्षकों की कमी है अत: तृतीय श्रेणी के नये 53 शिक्षकों के पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है ।